खंड – IV

अनुबंध की सामान्य शर्तें (जी सी सी)

नियमों की तालिका

प्रस्तावना

क.	**परिभाषा और व्याख्या**		
	1.	परिभाषाएं	1
	2.	व्याख्या	7
ख.	**अनुबंध की विषय वस्तु**		
	3.	सुविधाओं का दायरा	13
	4.	प्रारंभ करने और समापन करने के लिए समय	15
	5.	ठेकेदार की जिम्मेदारियां	15
	6.	नियोजक की जिम्मेदारियां	16
ग.	**भुगतान**		
	7.	अनुबंध की कीमत	17
	8.	भुगतान की शर्तें	18
	9.	प्रतिभूतियां	18
	10.	कर एवं शुल्क	23
घ.	**बौद्धिक सम्पदा**		
	11.	कॉपी राइट	27
	12.	गोपनीय सूचना	27
ङ.	**सुविधाओं का निष्पादन**		
	13.	प्रतिनिधि	29
	14.	कार्य का कार्यक्रम	32
	15.	उप अनुबंध	34
	16.	डिजाइन और इंजीनियरिंग	35
	17.	संयंत्र और उपकरण	39
	18.	संस्थापना	43
	19.	परीक्षण और निरीक्षण	69
	20.	सुविधाओं का समापन और प्रचालनात्मक स्वीकृति	72
च.	**गारंटी और देयताएं**		
	21.	समापन समय की गारंटी	80
	22.	दोष संबंधी देयताएं	81
	23.	कार्यात्मक गारंटी	85
	24.	उपकरण कार्य निष्पादन गारंटी	86

	25.	पेटेंट क्षतिपूर्ति	87
	26.	दायित्व की सीमा	89
छ.	**जोखिम वितरण**		
	27.	स्वामित्व का हस्तांतरण	90
	28.	सुविधाओं की देख–रेख	91
	29.	संपत्ति की हानि अथवा क्षति; कामगारों की दुर्घटना या चोट; क्षतिपूर्ति	91
	30.	बीमा	93
	31.	कानून और विनियमों में परिवर्तन	102
	32.	अप्रत्याशित घटना	103
ज.	**अनुबंध तत्वों में परिवर्तन**		
	33.	सुविधाओं में परिवर्तन	104
	34.	समापन के लिए समय का विस्तार	108
	35.	निलंबन (संस्पेशन)	110
	36.	समाप्ति (टर्मिनेशन)	111
	37.	कार्य की सुपुर्दगी (असाइनमेंट)	119
झ.	**विवादों का निपटारा**		
	38.	विवादों का निपटारा	119
	39.	मध्यस्थता	121

अनुबंध की सामान्य शर्तें (जी सी सी)

प्रस्तावना

बोली संबंधी दस्तावेज (जिसे अनुबंध की सामान्य शर्तों के रूप में (जी सी सी) नाम दिया गया है), के इस खंड (खंड- IV) में अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों के सभी अधिकारों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। इस खंड में वे प्रावधान भी निहित हैं, जिनका उपयोग उसमें बिना किसी बदलाव के तब तक किया जाना है जब तक कि खंड – V (जिसे अनुबंध की विशेष शर्तें (एस सी सी) नाम दिया गया है), में जी सी सी में किसी परिवर्तनों अथवा किसी पूरक सूचना, जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे एस सी सी में दर्शाया गया हो, में अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं हो। यदि खंड – IV और खंड – V के प्रावधानों में कोई टकराव हो तो खंड – V के प्रावधान लागू होंगे।

क. परिभाषाएं और व्याख्या

1. परिभाषाएं

1.1 निम्नलिखित शब्द और अभिव्यक्तियों का अभिप्राय एतद्वारा उन्हें दिए गए अभिप्रायों से होगा :

(क) "मध्यस्थ" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है, जिनकी नियुक्ति इसके जी सी सी के उप नियम 39.1 (मध्यस्थता) के अनुसरण में नियोजक और ठेकेदार के बीच पक्षकारों द्वारा उन्हें संदर्भित किसी विवाद अथवा मतभेद का निपटारा करने के लिए अथवा उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए नियोजक और ठेकेदार के बीच करार द्वारा किया गया है।

(ख) "एसोसिएट" से तात्पर्य एक ऐसे पक्षकार से है, जिसे ठेकेदार द्वारा, अनुबंध के तहत सुविधाओं के संबंध में ठेकेदार की समग्र जिम्मेदारियों को प्रभावित किए गए बिना अनुबंध की सुविधाओं के पूर्व-चयनित भाग का स्वतंत्र निष्पादन करने और उसे संबद्ध ठेकेदारी अधिकार और दायित्व प्रदान करने के लिए सहयोजित किया गया है।

(ग) "सहयोगी" अथवा "परेंट कंपनी" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों/ निगमों से से है जिनसे विशिष्ट उपकरण के लिए उत्पादन सीमा स्थापित करने के लिए निर्माता को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की है।

(घ) "प्रवर्तन में लाना" से तात्पर्य तकनीकी विनिर्देशनों में विनिर्दिष्ट अनुसार, ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी सी सी) के उप नियम 1.1 (ङ) के तहत सुविधाओं अथवा तत्संबंधी किसी भाग के प्रचालन से है, जिसका प्रचालन, परीक्षण - प्रचालन (जी सी सी उप नियम 20.1.4) के प्रयोजन के लिए जी सी सी उप नियम 20.1.3 (प्रवर्तन में लाना) में उल्लिखित अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाना है।

(ङ) "समापन" से तात्पर्य है कि सुविधाएं (अथवा तत्संबंधी कोई भाग, जहां विशिष्ट भाग को एस सी सी में विनिर्दिष्ट किया गया है) प्रचालनात्मक और संरचनात्मक रूप से पूरी हो चुकी हैं और उचित व स्वच्छ अवस्था में रखी गयी हैं और यह कि सुविधाओं (अथवा तत्संबंधी कोई भाग, जहां विशिष्ट भाग को एस सी सी में विनिर्दिष्ट किया गया है) के पूर्व प्रवर्तन के संबंध में सभी कार्य पूरे हो चुके हैं

(तकनीकी विनिर्देशों के तहत, जहां कहीं भी आवश्यक हो) और प्रवर्तन के साथ परीक्षण प्रचालन पूरा हो चुका है , जैसा कि जी सी सी उप नियम 20.1 (सुविधाओं का समापन) में यथा प्रदत्त है ।

(च) "अनुबंध" का अभिप्राय नियोजक और ठेकेदार के बीच किए गए अनुबंध करार के साथ साथ उनमें उल्लेख किए गए अनुबंध संबंधी दस्तावेजों से है ।

(छ) "अनुबंध संबंधी दस्तावेजों" का अभिप्राय उन दस्तावेजों से है जिन्हें अनुबंध करार (उससे संबंधित किसी संशोधनों को शामिल करते हुए) के रूप में अनुच्छेद 1 के नियम 1.1 (अनुबंध संबंधी दस्तावेज) में सूचीबद्ध किया गया है ।

(ज) "अनुबंध मूल्य" का अभिप्राय उस राशि से है जिसका उल्लेख अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत) के नियम 2.1 में किया गया है लेकिन यह वैसे समावेशनों और कटौतियों, जिसे संविदा के अनुसरण में किया गया है, के अध्यधीन होगी । परिसमाप्त क्षति और अनुबंध कार्य निष्पादन गारंटी के उद्देश्य से, अनुबंध मूल्य का अभिप्राय उस राशि से है जिसका उल्लेख अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत) के नियम 2.1 में किया गया है ।

(झ) "ठेकेदार" से तात्पर्य ऐसी फर्मों से है, जिसकी बोली अनुबंध के निष्पादन के लिए नियोजक द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अनुबंध करार में नाम शामिल कर लिया गया है तथा इसमें ठेकेदार के कानूनन उत्तराधिकारी अथवा अनुमत्य वारिश शामिल हैं।

(ञ) "ठेकेदार के उपकरण" से तात्पर्य सुविधाओं के संस्थापन, समापन और अनुरक्षण के लिए ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी संयंत्र, सुविधाओं, उपस्करों, मशीनों, उपकरणों, औजारों अथवा अपेक्षित हर तरह की वस्तुओं से है लेकिन इसमें सुविधाओं के निर्माण अथवा उसके आंशिक भाग के लिए अपेक्षित संयंत्र और उपस्कर अथवा अन्य वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

(ट) "ठेकेदार के प्रतिनिधि" से तात्पर्य ठेकेदार द्वारा नामित अथवा नियोजक द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति से है, जो ठेकेदार द्वारा यथा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के लिए जी सी सी के उप नियम 13.2

(ठेकेदार के प्रतिनिधि और निर्माण प्रबंधक) में प्रदत्त तरीके से किया गया है ।

(ठ) "दिन" का अभिप्राय ग्रेगोरियन कलेंडर के किसी कलेंडर दिन से है।

(ड) "दोष संबंधी देयता अवधि" से तात्पर्य ठेकेदार द्वारा प्रदत्त वारंटियों की वैधता अवधि से है, जो जी सी सी उप नियम 1.1 (ङ) के तहत सुविधाओं अथवा तत्संबंधी किसी भाग के समापन पर प्रारंभ होगी, जिसके दौरान संविदाकार जी सी सी उप नियम 22 (दोष संबंधी देयता) में यथा प्रदत्त सुविधाओं (अथवा तत्संबंधी संगत भाग) के संबंध में दोषों के लिए जिम्मेदार है।

(ढ) "प्रभावी तारीख" से तात्पर्य अवार्ड की अधिसूचना की तिथि से है जिससे समापन के समय का निर्धारण किया जाएगा ।

(ण) "नियोजक" से तात्पर्य अनुबंध की विशिष्ट शर्तों (एस सी सी) में नामित फर्म/ निगम/ सरकारी संस्था से है, जो सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नियोजक स्वयं मालिक हो सकता है अथवा मालिक द्वारा नियुक्त कोई एजेंसी हो सकती है और इसमें नियोजक के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अनुमत्य वारिश शामिल होंगे।

(त) "सुविधाएं" से तात्पर्य अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले और लगाए जाने वाले संयंत्र और उपकरण तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है।

(थ) "जी सी सी" का अभिप्राय इसके अनुबंध की सामान्य शर्तों से है।

(द) "गारंटी परीक्षण" से तात्पर्य सफलतापूर्वक प्रवर्तन होने तथा साथ ही परीक्षण प्रचालन हो जाने के दौरान/ बाद में जी सी सी उप नियम 30.2.1 (गारंटी परीक्षण) के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी विनिर्देशनों में विनिर्दिष्ट प्रचालनात्मक गारंटियों की प्राप्ति के लिए सुविधाएं अथवा तत्संबंधी भाग के समर्थ होने का पता लगाने के लिए तकनीकी विनिर्देशनों में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण(णों) से है।

(ध) "संस्थापन सेवाएं" से तात्पर्य संविदा के तहत संठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए संयंत्र और उपकरण की आपूर्ति के लिए

सहायक ऐसी सभी सेवाओं अर्थात यातायात और समुद्री अथवा अन्य समकक्ष बीमा का प्रावधान, निरीक्षण, स्थल तैयारी कार्य (ठेकेदार के उपकरण का प्रावधान और उपयोग तथा सभी अपेक्षित निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति सहित), संस्थापन, परीक्षण, पूर्व प्रवर्तन में लाना, प्रवर्तन, प्रचालन रखरखाव, प्रचालन व अनुरक्षण मैन्युअल का प्रावधान प्रशिक्षण इत्यादि से है।

(न) "महीना" का अभिप्राय ग्रेगोरियन कलेंडर के कलेंडर महीने से है।

(प) "अवार्ड की अधिसूचना" का अभिप्राय ठेकेदार को यह अधिसूचित करते हुए कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है, नियोजक द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस से है।

(फ) "प्रचालनात्मक स्वीकृति" से तात्पर्य सुविधाओं (अथवा सुविधाओं के किसी भाग, जहां अनुबंध में सुविधाओं की आंशिक तौर पर स्वीकृति का प्रावधान है) के लिए नियोजक द्वारा स्वीकृति से है, जो परीक्षण प्रचालन के साथ साथ सफलतापूर्वक प्रवर्तन में लाने के बाद जी सी सी उप नियम 20.22 (प्रचालनात्मक स्वीकृति) के प्रावधानों के अनुसार सुविधाओं (अथवा तत्संबंधी संगत भाग) की कार्यात्मक गारंटी के संबंधी में ठेकेदार द्वारा अनुबंध को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है ।

(ब) "मालिक" का अभिप्राय उस प्रतिष्ठान/ निगम/ सरकारी कंपनी से है जिसका नाम एस सी सी में दिया गया हो, जिसने इन सुविधाओं को स्थापित करने का निर्णय लिया हो और उसने कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे अथवा मालिक द्वारा कार्यों की अनुमति दी गई हो।

(भ) "संयंत्र और उपकरण" से तात्पर्य अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा सुविधाओं में शामिल और प्रदान किए जाने वाले स्थायी संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, उपकरण, वस्तुएं तथा सभी सामान से है (जी सी सी उप नियम 3.3 के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों (स्पेयर पार्ट सहित) लेकिन इसमें ठेकेदार के उपकरण शामिल नहीं हैं।

(म) "पूर्व प्रवर्तन" से तात्पर्य जी सी सी उप नियम 20.1.2 (पूर्व प्रवर्तन) में यथा प्रदत्त पूर्व प्रवर्तन के लिए तैयारी में ठेकेइार द्वारा किए जाने वाले तकनीकी विनिर्देशनों में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण, जांच और अन्य अपेक्षाओं से है।

(य) "परियोजना प्रबंधक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसकी नियुक्ति नियोजक द्वारा इसके जी सी सी उप- नियम 13.1 में दिए गए रूप में नियोजक द्वारा प्रत्यायोजित कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए नियोजक द्वारा की गई हो।

(र) "एस सी सी" का अभिप्राय अनुबंध की विशेष शर्तों से है।

(ल) "स्थल" से तात्पर्य ऐसी भूमि और अन्य स्थानों से है जिन पर सुविधाएं स्थापित की जानी हैं और ऐसी अन्य भूमि अथवा स्थान, जो अनुबंध में विनिर्दिष्ट है और स्थल के भाग हैं।

(व) "उप- ठेकेदार"/"विक्रेता"/"उप विक्रेता" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों/ निगमों/ सरकारी कंपनियों से है जिन्हें आपूर्ति किए जाने वाले सामानों के किसी भाग अथवा संबंधित सेवाओं के किसी भाग को कार्यान्वित करने के लिए ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में नियोजक की सहमति से प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर उप ठेका दिया गया हो और इसमें इसके कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा अनुमति दिए गए कार्य शामिल होंगे।

(श) "कार्य लेने" का अभिप्राय नियोजक की जी सी सी उप नियम 20.4 में किये गये प्रावधान के अनुसार दायित्व का निवर्हन करने के लिए ठेकेदार के बाद उपबंध के अंतर्गत सामानों एवं उससे संबंधित सेवाओं की लिखित स्वीकृत से है।

(ष) "समापन के लिए समय" से तात्पर्य ऐसी अवधि से है, जिसके भीतर विनिर्देशनों के अनुसार समग्र सुविधाओं का समापन (अथवा सुविधाओं के आंशिक भाग, जहां एस सी सी में ऐसे भाग के समापन के लिए एक पृथक समय निर्धारित किया गया है) किया जाना है और नियोजक द्वारा "कब्जा" लिया जाना है।

2. व्याख्या

2.1 अनुबंध

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अनुबंध नीचे दिए अनुसार होंगे :

(i) प्रथम अनुबंध : बाह्य कार्यों के लिए अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों (स्पेयर पार्ट) सहित सभी उपकरणों और सामग्रियों की आपूर्ति और टाइप टेस्ट करने के लिए (चाहे भारत में या भारत से बाहर) (बाह्य कार्य आपूर्ति अनुबंध) ।

(ii) द्वितीय अनुबंध : सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्थात स्थल पर सामान भेजने के लिए स्वदेशी यातायात; बीमा, अनलोडिंग, स्टोरेज, स्थल पर हैंडलिंग, संस्थापन, टेस्टिंग और प्रवर्तन जिसमें ''प्रथम अनुबंध'' के तहत आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों के संबंध में निष्पादन परीक्षण शामिल है, दिया जाने वाला प्रशिक्षाण (चाहे भारत में या भारत से बाहर) और अनुबंध दस्तावेजों (सेवा अनुबंध) में विनिर्दिष्ट कोई अन्य सेवाएं।

2.1.2 दो पृथक अनुबंध प्रदान करने से विनिर्देशनों के अनुसार सुविधाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक अनुबंध में कोई (उल्लंघन दूसरे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में स्वत: ही होगा, जिससे नियोजक को ठेकेदार के जोखिम व लागत पर दूसरी संविदा को भी समाप्त करने का अधिकार होगा।

2.1.3 अनुबंध की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और ठेकेदार को एक मूल प्रति प्रदान की जाएगी और दूसरी प्रति नियोजक द्वारा रखी जाएगी।

2.1.4 ठेकेदार नियोजक को सभी इंजीनियरिंग डाटा, ड्राइंग और बोली के साथ प्रस्तुत विस्तृत सामग्रियों दो प्रतियों में नि:शुल्क प्रदान करेगा ताकि अवार्ड की अधिसूचना के बाद ये तत्काल अनुबंध का भाग हो सकें।

2.2 अनुबंध संबंधी दस्तावेज

सभी दस्तावेज दो अनुबंध का हिस्सा बनते हैं (और उसके सभी भाग) का उद्देश्य सह संबंधी, पूरक और आपसी तौर पर व्याख्यात्मक होना है और यह उपबंध करार के अनुच्छेद 1.2 (अग्रगामी होने के क्रम) के अध्यधीन होगा। अनुबंध को संपूर्ण रूप में पढ़ा जायेगा।

2.3 भाषा

अनुबंध की नियम संबंधी भाषा और संप्रेषण के लिए भाषा अंग्रेजी होगी।

2.4 एकवचन और बहुवचन

एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होगा लेकिन यह वहां शामिल नहीं होगा, जहां इस संदर्भ की अन्य प्रकार से अपेक्षा हो।

2.5 शीर्षक

उपबंध की सामान्य शर्तों में शीर्षक और सीमांत नोट संदर्भ की सुविधा के लिए शामिल किए गए और यह न तो उपबंध का एक भाग होगा और न ही यह इसकी व्याख्या को प्रभावित करेगा।

2.6 समग्र करार

इसके जी सी सी उप नियम 12.4 के अध्यधीन, यह उपबंध, उपबंध की विषय वस्तु में नियोजक और ठेकेदार के बीच संपूर्ण करार शामिल है और यह उप उपबंध की तिथि के पूर्व पक्षकारों के संबंध में किए गए सभी पत्राचारों, सुलह और करारों (चाहे वह लिखित रूप में हो अथवा मौखिक रूप में हो) को अधिक्रमित करेगा।

2.7 संशोधन

उपबंध में किसी प्रकार का संशोधन अथवा अन्य बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे लिखित रूप में नहीं दिया गया हो अथवा उसकी तिथि नहीं दी गई हो तथा स्पष्ट तौर पर उपबंध को संदर्भित नहीं करता हो और इसके प्रत्येक पक्षकार के विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस पर हस्ताक्षर न किया गया हो।

2.8 स्वतंत्र ठेकेदार

ठेकेदार एक स्वतंत्र ठेकेदार होगा जो उपबंध का निर्वहन करता हो। यह उपबंध कोई एजेंसी, साझेदारी, संयुक्त उद्यम अथवा इसके पक्षकारों के बीच अन्य संयुक्त संबंध नहीं बनाता है।

उपबंध के प्रावधानों के अध्यधीन, ठेकेदार उस रूप में जिम्मेदार होगा जिसमें उपबंध को कार्यान्वित किया जाना है। उपबंध के कार्य निष्पादन के संबंध में ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों, प्रतिनिधियों अथवा उप ठेकेदार ठेकेदार के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन होंगे और उन्हें नियोजक के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जायेगा और साथ ही उपबंध में निहित किसी बात के नहीं होने अथवा ठेकेदार द्वारा दिए गए किसी उप अनुबंध में निहित किसी बातों के न होने का अर्थ यह नहीं होगा कि यह ऐसे किसी कर्मचारियों, प्रतिनिधियों अथवा उप ठेकेदारों और नियोजक के बीच उपबंध संबंधी किसी संबंध को बनाता है।

2.9 संयुक्त उद्यम

यदि ठेकेदार दो अथवा उससे अधिक प्रतिष्ठानों का एक संयुक्त प्रतिष्ठान है तब इस प्रकार के सभी प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग तौर पर उपबंध के प्रावधानों की पूर्ति किए जाने के लिए नियोजक के प्रति बाध्य होंगे और इस प्रकार का एक प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम को बनाये रखने के लिए अधिकार के साथ एक अग्रणी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करेगा। संयुक्त उद्यम की संरचना अथवा गठन में नियोजक की पूर्व में प्राप्त किसी लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2.10 गैर माफी

2.10.1 नीचे दिए गए जी सी सी उप नियम 2.10.2 के अध्यधीन, उपबंध के किसी नियमों अथवा शर्तों को लागू करने में इसमें से किसी पक्षकार द्वारा कोई छूट, सहनशीलता, बिलंब अथवा लिप्तता नहीं होगी अथवा इसमें से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे को समय देना उपबंध के अंतर्गत उस पक्षकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा अथवा उसे प्रतिबंधित नहीं करेगा और न

ही बाद में उपबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन को माफ करने के रूप में उपबंध के उल्लंघन के लिए किसी पक्षकार द्वारा कोई माफी नहीं दी जाएगी।

2.10.2 इस उपबंध के अंतर्गत किसी पक्षकारों के अधिकारों, शक्तियों अथवा निदान संबंधी उपायों की कोई माफी लिखित रूप में दी जाएगी, इस पर इस प्रकार की माफी दिए जाने के संबंध में पक्षकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तिथि दी जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और यह निश्चित रूप से उस अधिकार और सीमा का उल्लेख करेगा, जहां तक इसे माफ किया जा रहा है।

2.11 अलग होने की क्षमता

यदि उपबंध का कोई प्रावधान अथवा शर्त पर रोक लगाई गई हो अथवा उसे अवैध करार दिया गया हो या उसे लागू न करने योग्य माना गया हो तब इस प्रकार के प्रतिबंध, अवैधता अथवा लागू न करने की क्षमता उपबंध के किसी अन्य प्रावधानों और शर्तों की वैधता अथवा उसे लागू करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा

2.12 उत्पत्ति का देश

"उत्पत्ति" का आशय उस स्थान से जहां सामानों का खनन किया गया है, उसे पैदा किया गया है, उसका उत्पादन किया गया है, उसका विनिर्माण किया गया है अथवा उसे प्रसारित किया गया है अथवा विनिर्माण, प्रसारण अथवा संघटकों को पर्याप्त रूप में एसेम्बल करने के माध्यम से, एक वाणिज्यिक रूप से मान्यता प्राप्त उत्पाद के परिणाम वह होते हैं जो मूल लक्षणों में अथवा उस उद्देश्य से अथवा उस उपयोगिता के उद्देश्य से अपने संघटकों से पूर्ण रूप से अलग हो।

2.13 सूचना

2.13.1 यदि उपबंध में अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया हो तब उपबंध के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सूचनाएं लिखित रूप में होंगी और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के साथ उपबंध के करार में निर्धारित संबंधित पक्षकार के पते पर व्यक्तिगत प्रदायगी, विशेष कुरियर, टेलीग्राफ, फैक्स अथवा इलेक्ट्रानिक डाटा अंतरण (ई डी आई) द्वारा भेजी जाएगी।

(क) टेलीग्राफ, फैक्स अथवा ई डी आई के द्वारा भेजी गई किसी सूचना की पुष्टि इस उपबंध में किए गए अन्य प्रकार से उल्लेख को छोड़कर विशेष कुरियर द्वारा भेजी गयी सूचना द्वारा डिस्पेच के बाद दो (2) दिनों के भीतर की जाएगी।

(ख) विशेष कुरियर द्वारा भेजी गयी किसी सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि (पूर्व की प्राप्ति रसीद के साक्ष्य न होने पर) इसे डिस्पेच के बाद दस (10) दिनों के भीतर दे दिया गया है । डिस्पेच के तथ्य को सिद्ध करने में, यह दर्शाना व्याप्त होगा कि इस प्रकार की सूचना वाले लिफाफे पर सही रूप से पता लिखा गया था, इस पर मुहर लगाई गई थी और इसकी सूचना डाक अधिकारियों को दी गई थी अथवा कुरियर सेवा को विशेष कुरियर द्वारा आगे भेजे जाने के लिए दिया गया था। इसके अलावा, इस शर्त के साथ की जब कभी डाक अधिकारी अथवा कुरियर सेवा इसे वितरित किए जाने का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं तब वह डिस्पेच के तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए भी लागू होगा।

(ग) व्यक्तिगत रूप से दी गई किसी सूचना अथवा टेलीग्राफ, फैक्स अथवा ई डी आई द्वारा भेजी गई किसी सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि इसे, इसके प्रेषण की तिथि को दे दिया गया है।

(घ) इनमें से कोई भी पक्षकार लिखित रूप में अन्य पक्षकार को दस (10) दिनों की सूचना देकर इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति के लिए अपने डाक, फैक्स अथवा ई डी आई पते में परिवर्तन कर सकता है।

2.13.2 सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि इसमें उपबंध के अंतर्गत दी जाने वाली अनुमोदन, सहमति, अनुदेश, आदेश और प्रमाण पत्र शामिल किया जायेगा।

2.14 शासी कानून एवं इसके क्षेत्राधिकार

इस उपबंध को संघ सरकार के कानूनों के अनुसार शासित किया जायेगा और इसकी व्याख्या की जायेगी तथा नई दिल्ली के न्यायालयों का इस उपबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

ख. अनुबंध की विषय वस्तु

3. सुविधाओं का दायरा

3.1 जब तक तकनीकी विनिर्देशनों में विशेष रूप से अन्यथा सीमित न किया गया हो, ठेकेदार के दायित्व में सभी संयंत्र और उपकरण के प्रावधान और संयंत्र व उपकरण के डिजाइन, निर्माण (खरीद, गुणवत्ता आवश्वासन, निर्माण, संस्थापन, संबद्ध सिविल कार्य, पूर्व- प्रवर्तन और डिलीवरी सहित) के लिए अपेक्षित सभी संस्थापन सेवाओं का निष्पादन और योजनाओं, प्रक्रियाओं, विनिर्देशनों, ड्राइंग, कोड और तकनीकी विनिर्देशनों में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य दस्तावेजों के अनुसार सुविधाओं का निष्पादन परीक्षण करना शामिल होगा। ऐसे विनिर्देशनों में पर्यवेक्षण और इंजीनियरी सेवाओं का प्रावधान, श्रम, सामग्री उपकरण, स्पेयर पार्ट (जैसा कि नीचे जी सी सी उप नियम 3.3 में यथा विनिर्दिष्ट है) तथा सहायक सामान की आपूर्ति; अस्थायी सामग्री, संरचनाएं और सुविधाएं; यातायात (बिना सीमा, सीमा शुल्क स्वीकृति, पोर्ट हैंडलिंग, अनलोडिंग और स्थल तक लाना व ले जाना शामिल है); ऐसी आपूर्तियों, कार्यों और सेवाओं को छोड़कर स्टोरेज एवं प्रशिक्षण, जो नियोजक द्वारा प्रदान किए जाने अथवा निष्पादित किए जाने हैं, जैसा कि अनुबंध करार के परिशिष्ट 6 (नियोजक द्वारा कार्यों और आपूर्ति का दायरा) में यथा निर्धारित है, शामिल तो होंगे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

3.2 ठेकेदार यदि उपबंध में विशेष रूप से उन मदों को बाहर न किया गया हो, ऐसे सभी कार्य और/ अथवा इस प्रकार के सभी मदों और सामग्रियों जिनका विशेष रूप से उल्लेख उपबंध में नहीं किया गया हो परंतु जिन्हें उचित रूप में सामानों और उससे संबंधित सेवाओं की पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने के रूप में समझा जा सके, मानो की इस प्रकार के कार्य और/ अथवा मदों और सामग्रियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख उपबंध में किया गया था, का निवर्हन करेगा ।

3.3 अनिवार्य स्पेयर पार्टस, यदि कोई हो की आपूर्ति को उपबंध में शामिल किया जायेगा। उपरोक्त अनिवार्य स्पेयर पार्टस के अलावा ठेकेदार इन सुविधाओं के पूरा होने की तिथि से 15 वर्षों की एक न्यूनतम अवधि के लिए नियोजक को इन सामानों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्पेयर पाटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ठेकेदार इन सामानों के लिए उपभोग किए जाने योग्य स्पेयर्स की एक्स स्टॉक आपूर्ति सुनिचित करने के लिए पर्याप्त माल भंडार रखेंगे। यदि नियोजक द्वारा इस प्रकार की इच्छा

व्यक्त की गई तो ठेकेदार नियोजक से अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसके विचारार्थ और आदेश दिए जाने के लिए 6 महीने की वैधता अवधि के साथ नियोजक द्वारा पहचान की गई इस प्रकार के स्पेयर पार्टस के लिए उसकी आपूर्ति से संबंधित विनिर्देशन कीमत और नियम एवं शर्तें प्रस्तुत करेंगे।

3.4 ठेकेदार इस बात की गारंटी देंगे कि ठेकेदार अथवा उसके उप ठेकेदार द्वारा स्पेयस पार्टस के उत्पादन की समाप्ति की स्थिति में :

(i) ठेकेदार अपेक्षित आवश्यकताओं की खरीद करने के लिए नियोजक को अनुमति देने के लिए 2 वर्षों के समय के साथ समापन के लंबित रहने तक नियोजक को अग्रिम अधिसूचना भेजेंगे और

(ii) इस प्रकार की समाप्ति के बाद, ठेकेदार, यदि अनुरोध किया गया तो स्पेयर पार्टस का ब्लू प्रिंट, आरेखण और विनिर्देशन नियोजक को बिना किसी लागत के प्रस्तुत करेंगे।

3.5 यदि ठेकेदार ऊपर में निर्धारित शर्तों के अनुसार स्पेयर पार्टस की आपूर्ति करने में असफल् होते हैं तब नियोजक ठेकेदार को भावी परियोजनाओं के लिए समय की उल्लिखित अवधि के लिए उन्हें अपात्र घोषित करते हुए अनुमोदन दे सकते हैं

4. प्रारंभ करने और समापन करने के लिए समय

4.1 ठेकेदार अनुबंध की प्रभावी तारीख से और जी सी सी उप नियम 21.2 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुविधाओं का कार्य प्रारंभ करेगा। उसके बाद ठेकेदार अनुबंध करार के परिशिष्ट- 4 (समय अनुसूची) के अनुरूप विनिर्दिष्ट समान अनुसूची के अनुसार सुविधाओं के साथ आगे बढ़ेगा।

4.2 ठेकेदार सुविधाओं (अथवा जहां अनुबंध में ऐसे भाग के समापन के लिए एक अलग समय विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां सुविधाओं के भाग का समापन कथित समापन के समय के भीतर अथवा ऐसे विस्तारित समय के भीतर जिसमें ठेकेदार जी सी सी उप खंड 34 के तहत पात्र होगा, करेगा।

5. ठेकेदार की जिम्मेदारियां

5.1 ठेकेदार उपबंध के अनुसार पूरा ध्यान देते हुए तथा पूरे विचार विमर्श के बाद इन सामानों का डिजाइन बनाएंगे, इसका विनिर्माण करेंगे (इससे जुड़े खरीद और/ अथवा उप ठेका देने सहित) और इन सुविधाओं को समापन करेंगे।

5.2 ठेकेदार इस बात की पुष्टि करते है कि इन्होंने नियोजक द्वारा दी गई वस्तुओं के संबंध में इन आंकड़ों की उचित जांच के आधार पर और इस सूचना के आधार पर यह उपबंध किया है कि ठेकेदार इस स्थल का वास्तविक निरीक्षण और बोली प्रस्तुत करने के अठाइस (28) दिन पूर्व की तिथि को इन वस्तुओं से संबंधित इसे आसानी से उपलब्ध अन्य आंकड़ों से प्राप्त कर सकते थे। ठेकेदार इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार के सभी आंकड़ों से अपने आप को अवगत कराने में असफल होने से इन सुविधाओं को सफलतापूर्वक कार्य निष्पादित करने में कठिनाइयों अथवा उससे लागत का सही रूप से आकलन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

5.3 ठेकेदार अपने नाम पर देश में सभी अनुमतियां, अनुमोदन और/ अथवा लाइसेंस सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के प्राधिकारियों अथवा लोक सेवा उपक्रमों जहां स्थल स्थित है, से प्राप्त करेंगे जो ठेकेदार के और उप ठेकेदार के कार्मिकों के लिए और ठेकेदार के आयात किए गए सभी उपकरणों के लिए प्रवेश अनुमति हेतु बिना किसी सीमा के बीजाओं सहित उपबंध के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार अन्य सभी अनुमतियों, अनुमोदनों और/ अथवा लाइसेंसो जो इसकी जी सी सी उप नियम 6.3 के अंतर्गत नियोजक की जिम्मेदारी नहीं है और जो उपबंध के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो, प्राप्त करेंगे।

5.4 ठेकेदार भारत में लागू सभी नियमों का पालन करेंगे । इन नियमों में सभी स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्य कानून शामिल होंगे जो उपबंध के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हो और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार नियोजक को उप ठेकेदारों और उनके कार्मिकों सहित ठेकेदार और इसके कार्मिक द्वारा इस प्रकार के कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अथवा इसके फलस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की सभी देयताओं, क्षति, दावे, जुर्माना, दण्ड राशि और खर्च से सुरक्षित रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। लेकिन जी सी सी उप नियम 6.1 पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.5 इस उपबंध के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्री और संबंधित सेवाओं का मूल स्थान वहीं होगा जिसका उल्लेख जी सी सी उप नियम 2.12 (उत्पत्ति का देश) में किया गया है।

5.6 ठेकेदार नियोजक को ठेकेदार के कार्य निष्पादन के संबंध में ठेकेदार के लेखाओं और रिकार्डों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

6. नियोजक की जिम्मेदारियां

6.1 नियोजक अनुबंध में विशेष रूप से अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर अहनुबंध के सदृश परिशिष्ट – 6 (नियोजक द्वारा कार्यों और आपूर्ति का दायरा) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, नियोजक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी सूचना और/ अथवा डाटा की सटीकता सुनिश्चित करेगा।

6.2 नियोजक स्थल के कानूनी और वास्तविक कब्जे को प्राप्त और प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट – 6 (नियोजक द्वारा कार्यों और आपूर्ति का दायरा) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित मार्गाधिकार सहित अनुबंध के समुचित निष्पादन के लिए यथा अपेक्षित सभी अन्य क्षेत्र सुलभ कराएगा/ नियोक्ता उस परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट तारीख (खों को अथवा पूर्व उनकी सुलभता के लिए पूर्ण कब्जा प्रदान करेगा।

6.3 नियोजक देश में सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरणों अथवा सार्वजनिक सेवा उपक्रमों, जहां पर स्थल स्थित है, से ऐसी सभी परमिट, अनुमोदन और/ अथवा लाइसेंस अर्जित करेगा, जो नियोजक के नाम से प्राप्त करने अपेक्षित हैं ताकि अनुबंध का निष्पादन हो सके (उनमें ठेकेदार और नियोजक दोनों द्वारा अनुबंध के तहत अपनी–अपनी जिम्मेदारियों से निष्पादन के लिए अपेक्षित हैं, शामिल हैं) इसमें अनुबंध करार के परिशिष्ट – 6 (नियोजक के कार्यों और आपूर्तियों का दायरा) में विनिर्दिष्ट है, भी शामिल हैं।

6.4 यदि ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो नियोजक ऐसे सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकारणों अथवा सार्वजनिक सेवा उपक्रमों से अनुबंध के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी परमिट, अनुमोदन और/ अन्य लाइसेंस यथा समय और शीघ्रता से प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बेहतर प्रयास करेगा, जो ऐसे प्राधिकरणों अथवा उपक्रमों से ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार अथवा ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार के कार्मिक, जैसा भी मामला हो, प्रयासों से अपेक्षित हो।

6.5 जब तक अनुबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो अथवा नियोजक और ठेकेदार द्वारा सहमति न हो जाए, नियोजक पर्याप्त, समुचित अर्हता प्राप्त प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिक प्रदान करेगा, सभी कच्ची सामग्री, उपयोगी सेवाएं, लुब्रिकेंट, रसायन, केटेलिस्ट, अन्य सामग्रियां और सुविधाएं आपूर्ति करेगा और उपलब्ध करेगा; और ठेकेदार को अनुबंध करार के परिशिष्ट 6 (नियोजक के कार्यों और आपूर्ति का दायरा) के सभी प्रावधानों के अनुसार जी सी सी उप नियम 14.2 (निष्पादन का कार्यक्रम) के तहत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पूर्व कार्य करने में सहायता करेगा और यह विनिर्दिष्ट तरीके से और नियोजक व ठेकेदार द्वारा सहमति के अनुसार होगा।

6.6 नियोजक जी सी सी उप नियम 20.1.5 के अनुसार कब्जा लेकर सुविधाओं का प्रचालन जारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.7 इस जी सी सी उप नियम 6 के तहत दायित्वों के निष्पादन में शामिल सभी लागत और व्यय नियोजक की जिम्मेदारी होगी।

ग. भुगतान

7. अनुबंध की कीमत

7.1 अनुबंध की कीमत वही होगी जिसका उल्लेख अनुबंध करार के फार्म के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान के नियम) में किया गया है।

7.2 अनुबंध की कीमत अनुबंध करार के परिशिष्ट 2 (कीमत का समायोजन) के प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। अनुबंध की कीमत जी सी सी के नियम 31 के अनुसार मात्रा में किसी परिवर्तन के कारण बढ़ाया अथवा घटाया जायेगा।

7.3 इसके जी सी सी उप नियम 5.2 और 6.1 के अध्यधीन, ठेकेदार के संबंध में यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने आप को अनुबंध की कीमत की सत्यता एवं पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है जो अनुबंध में अन्य प्रकार से किए गए प्रावधान को छोड़कर अनुबंध के अंतर्गत इसके सभी दायित्वों को शामिल करेगा।

8. भुगतान की शर्तें

8.1 अनुबंध की कीमत का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा जिसका उल्लेख अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट - 1 (भुगतान की शर्तें एवं कार्यविधि) में किया गया है। आवेदन करने और भुगतान करने के लिए प्रसंस्करण में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां वही होंगी जिसका उल्लेख उस परिशिष्ट में किया गया है।

8.2 अनुबंध के अंतर्गत सभी भुगतान भारतीय रुपए में किए जायेंगे।

9. प्रतिभूति

9.1 प्रतिभूति जारी करना

ठेकेदार नीचे दिए गए समय पर और राशि, तरीके से नियोजक के पक्ष में नीचे उल्लेख की गई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

9.2 अग्रिम भुगतान प्रतिभूति

9.2.1 ठेकेदार अनुबंध के अवार्ड की अधिसूचना के अठाईस (28) दिनों के भीतर अनुबंध करार के सदृश्य परिशिष्ट 1 (भुगतान की शर्तें और कार्यविधियां) के अनुसार गणना की गई अग्रिम भुगतान के समतुल्य राशि और इन सुविधाओं के चालू होने की तिथि के नब्बे (90) दिनों तक प्रारंभिक वैधता के साथ उसी मुद्रा में एक प्रतिभूति प्रदान करेगा जिसमें अनुबंध के अंतर्गत सामानों की संस्थापना जी सी सी नियम 20.1 के अनुसार की जानी है। उसे ठेकेदार द्वारा इन सुविधाओं के चालू होने की वास्तविक तिथि जैसा कि अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित हो, से आगे नब्बे (90) दिनों तक समय समय पर बढ़ाया जायेगा।

9.2.2 यह प्रतिभूति खंड VI – नमूना फार्म और कार्यविधि में इसके साथ संलग्न बिना शर्त के बैंक गारंटी के रूप में होगी। इस प्रतिभूति को इन सुविधाओं को सफलतापूर्वक चालू किए जाने अथवा उसके किसी संगत भाग को चालू किए जाने जिसमें अनुबंध के अंतर्गत सामानों को संस्थापित किया जाना है, के बाद निवर्हन किया जाएगा।

- अग्रिम भुगतान प्रतिभूति में प्रभावी कटौती के लिए कार्यविधि

अग्रिम भुगतान प्रतिभूति की अनुमति अनुबंध के अंतर्गत प्रथम रनिंग लेखा बिल/ चरण भुगतान के बाद प्रत्येक छः (06) महीने में घटाए जाने के लिए

दी जायेगी यदि बैंक गारंटी की वैधता एक वर्ष से अधिक हो। किसी दिए गए समय में कटौती की संचयी राशि परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी किए जाने वाले एक प्रमाण पत्र के अनुसार पूरी की गई आपूर्ति के संचयी मूल्य के समतुल्य अग्रिम राशि का पचहत्तर प्रतिशत (75%) से अधिक नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए अग्रिम बैंक गारंटी के मूल्य में कटौती से किसी भी प्रकार से आपूर्ति के संबंध में जिसके लिए प्रतिभूति के मूल्य में कटौती की अनुमति दी गई है, के संबंध में अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार की जिम्मेदारी एवं देयताएं कम नहीं होंगी।

9.3 कार्य निष्पादन प्रतिभूति

9.3.1 ठेकेदार अवार्ड की अधिसूचना के अठाईस (28) दिनों के भीतर दोष देयता अवधि से नब्बे (90) दिन आगे तक की वैधता के साथ अनुबंध कीमत के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य राशि में अनुबंध के उचित कार्य निष्पादन के लिए एक कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा। उसे ठेकेदार द्वारा इन सुविधाओं के चालू होने की वास्तविक दोष देयता अवधि के आगे नब्बे (90) दिनों तक ठेकेदार द्वारा समय समय पर बढ़ाया जायेगा जिसकी अपेक्षा अनुबंध के अंतर्गत की जा सकती है।

ठेकेदार के कार्य निष्पादन की प्रतिभूति के अलावा, ठेकेदार से यह अपेक्षित होगा कि वह क्रेता के स्वीकार्य रूप में नियोजक के पक्ष में अवार्ड की अधिसूचना की अठाइस (28) दिनों के भीतर एस सी सी में किए गए उल्लेख के अनुसार अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति की व्यवस्था करें।

9.3.2 कार्य निष्पादन प्रतिभूति खंड VI - नमूना फार्म और कार्यविधि में इसके साथ संलग्न बिना शर्त के बैंक गारंटी के रूप में होगी।

9.3.3 सुविधाओं के किसी भी हिस्से की संविदा कीमत के यथा अनुपात में प्रतिभूति में कटौती की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि दोष संबंधी देयता अवधि जी सी सी उप नियम 22.8 के अनुसरण में सुविधाओं के भाग के लिए विस्तारित की गई है तो ठेकेदार उस हिस्से की अनुबंध कीमत के यथा अनुपात राशि में अतिरिक्त प्रतिभूति जारी करेगा। प्रतिभूति राशि इसके समापन के तत्काल बाद को लौटा दी जाएगी, बशर्ते की यदि ठेकेदार जी सी सी नियम 22 के अनुसरण में एक विस्तारित वारंटी बाध्यता के लिए जिम्मेदार है तो निष्पादन प्रतिभूति विस्तारित वारंटी द्वारा शामिल घटक के मूल्य के दस प्रतिशत (10%) तक कम कर दी जाएगी।

9.3.4 संयुक्त उद्यम को अनुबंध प्रदान किए जाने की स्थिति में, कार्य निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी और अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के नाम से प्रस्तुत की जायेगी।

9.4 जारी करने वाला बैंक

अग्रिम भुगतान प्रतिभूति और कार्य निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी ठेकेदार द्वारा प्रदान की जानी है, जिसे निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जारी किया जाना चाहिए :

(क) भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा, अथवा

(ख) किसी अनुसूचित भारतीय बैंक जिसकी प्रदत्त् पूंजी (संचयी घाटे की निबल राशि) 1000 मिलियन रुपए अथवा उससे अधिक हो (बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षा के अनुपालन का समर्थन करना चाहिए) जो केवल संलग्न सूची के अनुसार होनी चाहिए (सूची अनुबंध की विशेष शर्तों (एसी सी सी) के अनुबंध - । में है), अथवा

(ग) नियोजक को स्वीकार्य एक विदेशी बैंक अथवा विदेशी बैंक की एक सहायक शाखा द्वारा, जिसकी समग्र अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट रेटिंग अथवा दीर्घावधि ऋण की रेटिंग एक प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी द्वारा A- (A माइनस) से कम नहीं होनी चाहिए अथवा समकक्ष हो। इसके अलावा, बैक गारंटी की या तो (i) भारत में स्थित उसके अनुरूपी बैंक; अथवा (ii) भारत में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; अथवा (iii) भारत में स्थित एक अनुसूचित वाणिज्यिक प्राइवेट बैंक, केवल के संलग्न सूची के अनुसार पुष्टि होनी चाहिए (सूची अनुबंध की विशेष शर्तों (एस सी सी) के अनुबंध-I में है) ।

9.5 क्षतिपूर्ति

9.5.1 ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले उपकरण/ सामग्री के लिए स्थल पर सामग्री की डिलीवरी लेने, अनलोड करने और स्टोर करने, क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करने और सामग्रियों की पूर्ण कीमत के लिए शामिल हानि, क्षति और जोखिम के लिए नियोक्ता के पक्ष में भाग VI (सैम्पल फार्म और प्रक्रिया) पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार नियोजक से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह क्षतिपूर्ति बांड ठेकेदार द्वारा आपूर्ति के प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा और नियोजक द्वारा उपकरण का कब्जा लेने की अनुसूचित तारीख से वैध होगा।

9.5.2 विभाज्य अनुबंधों के मामले में, जहां नियोजक अपने उपकरण अनुबंध के निष्पादन के लिए ठेकेदार को सौंपता है, तो ठेकेदार लदान बिल अथवा अन्य डिस्पैच दस्तावेजों के माध्यम से उपस्कर की डिलीवरी लेते समय संयंत्र, उपकरणऔर सामग्रियों के लिए सुपुर्दगी रसीद प्रस्तुत करेगा और साथ ही उपकरण को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उसे विशेष रूप से उस अनुबंध के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के लिए नियोजक को स्वीकार्य तरीके से नियोजक के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बांड भी निष्पादित करेगा । सुपुदर्गी रसीद और क्षतिपूर्ति बांड के लिए सैम्पल प्रोफार्मा भाग VI (सैम्पल फार्म और प्रक्रिया) के तहत संलग्न है। नियोजक ठेकेदार को एक पृथक प्राधिकार पत्र भी जारी करेगा ताकि वह संयंत्र, उपकरण और सामग्रियों की वास्तविक डिलीवरी नियोजक से भाग VI (सैम्पल फार्म और प्रक्रिया) के तहत संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार कर सके।

10. कर और शुल्क

10.1 ठेकेदार नियोजक को अनुबंध की गई आपूर्ति को सुपुर्द किए जाने तक सभी करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क और इस प्रकार के अन्य शुल्क जो कानूनी रूप से भुगतान के योग्य हों/ खर्च किया गया हो, के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

यदि इस प्रकार के करों और शुल्कों अथवा किसी अन्य लागू करों और शुल्कों के प्रति कटौती करने के लिए सांविधिक अपेक्षा हो, तब उसका भुगतान नियोजक द्वारा किया जाएगा और उसके लिए एक प्रमाण पत्र ठेकेदार को जारी किया जाएगा।

10.2 ठेकेदार उन करों, जिन्हें ठेकेदार के व्यक्तियों पर अथवा उनके किन्हीं कर्मचारियों के आय पर लगाया जा सके, के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और वे नियोजक को उन दावों जिसे नियोजक के विरुद्ध किया जाए, के प्रति नियोजक को क्षतिपूर्ति करेंगे और उसे क्षति से मुक्त रखेंगे। नियोजक भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदार अथवा उसके कार्मिकों के लिए करों के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यह आवश्यक हो तब स्रोत पर आयकर की कटौती नियोजक द्वारा की जायेगी।

10.3 नियोजक और ठेकेदार के बीच सीधे लेन देन के संबंध में ई एक्स डब्ल्यू कीमत में संयंत्र व उपकरणों में शामिल किए गए अथवा शामिल किए जाने

वाले उनके खपत के लिए उपयोग की गई संघटकों, कच्चे माल और किसी अन्य मदों पर भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य सभी लागत तथा शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क एवं लेवी, शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल हैं।

गंतव्य स्थल/ राज्य के लिए यथा लागू चुंगी/ प्रवेश कर सहित प्रत्यक्ष लेन देन के अंतर्गत संयंत्र व उपकरणों के लिए बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर और अन्य लेवी को ई एक्स डब्ल्यू की कीमत में शामिल नहीं किया गया है। इन राशियों का भुगतान नियोजक द्वारा ठेकेदार और नियोजक के बीच लेन देन पर कर देयता तक सीमित आपूर्ति पर भुगतान योग्य (बाद में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके सहित) होगी। हालांकि नियोजक अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

खरीदे गए तैयार सामान जिसे उप विक्रेता के निर्माण स्थल से नियोजक के स्थल (संक्रमण में बिक्री) तक सीधे प्रेषित की जायेगी, के संबंध में ई एक्स डब्ल्यू की कीमत में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य सभी लागत तथा शुल्क और कर (सीमा शुल्क एवं लेवी, शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल है तथा इस प्रकार के अन्य कर, शुल्क, अतिरिक्त रूप से भुगतान योग्य लेवी ठेकेदार के खाते में डाली जायेगी और इसके आधार पर कोई अलग दावा नियोजक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। हालांकि नियोजक अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

इसके अलावा (i) 'स्टॉक के रूप में उपलब्ध (ऑफ द शेल्फ)' के रूप में पेश की गई आयात की गई वस्तु अथवा उसे भारतीय बंदरगाह पर उतारे जाने के स्थान से सीधे प्रेषित की गई वस्तु और/ अथवा (ii) 'स्टॉक के रूप में उपलब्ध' मदों के रूप में खरीदे गए तैयार सामान अथवा आपूर्तिकर्ता के निर्माण स्थल से सीधे प्रेषित किया गया सामान का ई एक्स डब्ल्यू कीमत में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य सभी लागतों और शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क एवं लेवी एवं शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल है और इस आधार पर कोई अलग दावा नियोजक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। हालांकि नियोजक अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

ठेकेदार के कार्यों से सीधे, डिस्पैच करने के संबंध में बिक्री कर के भुगतान/ प्रतिपूर्ति के लिए, जहां भी लागू है, ठेकेदार द्वारा दी गई इनवॉयस दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी और ठेकेदार द्वारा दिए गए

वेट, वेट योग्य इनवॉयस के भुगतान/ प्रतिपूर्ति के लिए इसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसी प्रकार, समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 11 के तहत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रमांक सहित इनवॉयस को उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए साक्ष्य के रूप में विचार किया जाएगा।

10.4 खरीदे गए तैयार मदों सहित आपूर्ति के सभी मदों जिन्हें उप विक्रेता के निर्माण स्थल से सीधे नियोजक के स्थल (संक्रमण में बिक्री सहित) पर भेजा जायेगा, पर गंतव्य स्थल/ राज्य के लिए यथा लागू चुंगी/ प्रवेश कर को अनुबंध की कीमत में शामिल नहीं किया गया है। आपूर्ति के सभी मदों के संबंध में लागू चुंगी/ प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन नियोजक द्वारा पृथक रूप से ठेकेदार को की जायेगी। तथापि, यदि वह नियोजक द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है तो उसका सीधे भुगतान किया जाएगा।

10.5 नियोजक सेवा कर मामले में किसी देयता का वहन नहीं करेगा। हालांकि नियोजक नियमानुसार स्रोत पर इस प्रकार के टेक्स की कटौती करेगा और ठेकेदार को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

10.6 भारत में निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के लिए बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत यथा लागू निर्माण अनुबंध पर बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, कारोबार कर अथवा कोई अन्य समान करों को अनुबंध की कीमत में शामिल किया गया है और नियोजक इस आधार पर किसी देयता का वहन नहीं करेंगे। हालांकि नियोजक नियमानुसार स्रोत पर इस प्रकार के टेक्स की कटौती करेगा और ठेकेदार को स्रोत पर कर की कटौती (टी डी एस) प्रमाण पत्र जारी करेगा।

10.7 अनुबंध के उद्देश्य, इस बात पर सहमति हुई है कि अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान के नियम) में उल्लिखित अनुबंध की कीमत बोली के प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि से सात (07) दिन पूर्व की तिथि पर प्रचलित करों, शुल्को, लेवी और प्रभारों पर आधारित है (इसके बाद इसे इस जी सी सी उप नियम 10.7 में 'कर' कहा गया है) । यदि कर के किसी दरों को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है तब एक नया कर लागू किया जाता है, एक मौजूदा कर को समाप्त किया जाता है अथवा अनुबंध के कार्य निष्पादन के क्रम में व्याख्या में कोई परिवर्तन अथवा किसी कर को लागू किया जाता है जिसे अनुबंध के कार्य निष्पादन के संबंध

में ठेकेदार पर आकलित किया गया था अथवा आकलित किया जायेगा, अनुबंध की कीमत का एक न्यायोचित समायोजन किया जायेगा ताकि इसके जी सी सी नियम 29 (कानून एवं विनियमों में परिवर्तन) के अनुसार अनुबंधन की कीमत में योग कर अथवा उसमें से कटौती कर, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार के परिवर्तन पर पूर्ण रूप से विचार किया जा सके। हालांकि, इन समायोजनों को नियोजक और ठेकेदार के बीच सीधे लेन देन जिसके लिए अनुबंध के अनुसार नियोजक द्वारा कर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य हैं, तक सीमित होगी। ये समायोजन ठेकेदार द्वारा कच्चे मालों, मध्यवर्ती संघटकों आदि की खरीद पर लागू नहीं होंगे और इसके साथ ही उप विक्रेता के निर्माण स्थल से सीधे स्थल तक भेजी गई खरीदी गई मदों पर भी लागू नहीं होंगे।

कच्चे माल, मध्यवर्ती संघटकों आदि तथा खरीदे गए मदों के संबंध में, न तो नियोजक और न ही ठेकेदार अनुबंध के कार्य निष्पादन के क्रम में कर के दर में वृद्धि अथवा कमी, नए कर को लागू किए जाने अथवा किसी मौजूदा कर समाप्त किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी दावे का हकदार होगा।

घ. बौद्धिक सम्पदा

11. कॉपी राइट

11.1 इसमें ठेकेदार द्वारा नियोजक को प्रस्तुत किए गए आंकड़े और सूचना वाली सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों में कॉपी राइट ठेकेदार के पास रहेगा अथवा यदि उन्हें नियोजक को सीधे अथवा किसी तीसरे पक्षकार द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति सहित प्रस्तुत की जाती है, तब इस प्रकार की सामग्रियों में कॉपी राइट ऐसे तृतीय पक्षकार के पास रहेगी।

हालांकि नियोजक प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध के उद्देश्य से नियोजक को प्रस्तुत किए गए सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्री को फिर से प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11.2 इसमें नियोजक द्वारा ठेकेदार को प्रस्तुत किए गए आंकड़े और सूचना वाली सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों में कॉपी राइट नियोजक के पास रहेंगे।

12. गोपनीय सूचना

12.1 नियोजक और ठेकेदार अनुबंध के संबंध में इसके अन्य पक्षकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की गई किसी दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना को गोपनीय रखेगा तथा किसी तृतीय पक्षकार को इसके अन्य पक्ष की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा चाहे इस प्रकार की सूचना अनुबंध के समाप्त होने के पहले, उसके दौरान अथवा उसके बाद प्रस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त के होते हुए भी ठेकेदार इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना जो इसे नियोजक से प्राप्त होती हो, इसके उप ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत इसके कार्य का निर्वहन करने के लिए उप ठेकेदार के लिए अपेक्षित सीमा तक प्रस्तुत कर सकता है, जिस स्थिति में ठेकेदार इस प्रकार के उप ठेकेदार से इस जी सी सी नियम 12 के अंतर्गत ठेकेदार पर लगाये गये के समतुल्य गोपनीयता की वचनबद्धता प्राप्त करेगा।

12.2 नियोजक ठेकेदार से प्राप्त इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन से जो अनुबंध से संबंधित नहीं हो, उपयोग नहीं करेगा। उसी प्रकार से ठेकेदार नियोजक से प्राप्त इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना का उपयोग संयंत्र एवं उपकरण की खरीद, निर्माण अथवा ऐसे किसी प्रयोजन से जो अनुबंध से संबंधित नहीं हो, उपयोग नहीं करेगा।

12.3 हालांकि उपर्युक्त जी सी सी उप नियम 12.1 और 12.2 के अंतर्गत किसी पक्षकार का दायित्व उस सूचना पर लागू नही होगा जो -

(क) उस पक्षकार के बिना किसी दोष के इस समय अथवा इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आता हो

(ख) उस पक्षकार द्वारा प्रकटन के समय उसके पास होने के बारे में सिद्ध किया जा सकता है और जिसे पूर्व में इसके अन्य पक्षकार से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया गया था।

(ग) किसी तृतीय पक्षकार जिसके पास गोपनीयता का कोई दायित्व नहीं है, से उस पक्षकार को अन्य प्रकार से कानूनी रूप में उपलब्ध होता हो।

12.4 इस जी सी सी नियम 12 के उपर्युक्त प्रावधान इन सुविधाओं अथवा उनके किसी भाग के संबंध में इस अनुबंध की तिथि के पूर्व इसके पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा दी गई गोपनीयता की वचनबद्धता में किसी प्रकार से संशोधन नहीं करेगा।

12.5 इस जी सी सी नियम 12 के प्रावधान अनुबंध के समाप्त होने के बाद भी चाहे कारण जो भी हो, बने रहेंगे।

ङ. सुविधाओं का निष्पादन

13. प्रतिनिधि

13.1 यदि परियोजना प्रबंधक का नाम इस अनुबंध में न हो, तब प्रभावी तिथि के चौदह (14) दिनों के भीतर, नियोजक परियोजना प्रबंधक के नाम को लिखित रूप में ठेकेदार को नियुक्त और अधिसूचित करेगा । नियोजक समय समय पर परियोजना प्रबंधक के रूप में कुछ अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से पूर्व में नियुक्त किए गए व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त करेगा और बिना किसी विलंब के ठेकेदार को इस प्रकार के अन्य व्यक्ति के नाम का नोटिस देगा । नियोजक यह देखने के लिए उचित सावधानी बरतेगा कि इस प्रकार की कोई नियुक्ति किसी ऐसे समय अथवा किसी ऐसे रूप में न किया जाये, जिससे इन सुविधाओं पर कार्य की प्रगति में अवरोध पैदा हो । परियोजना प्रबंधक इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान सभी समय में नियोजक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके लिए कार्य करेगा। अनुबंध के अंतर्गत सभी सूचनाएं, अनुदेशों, आदेशों, प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों और अन्य सभी पत्राचारों को परियोजना प्रबंधक द्वारा अन्य प्रकार से इसमें किए गए प्रावधानों को छोड़कर दिया जायेगा ।

इस अनुबंध के अंतर्गत नियोजक को ठेकेदार द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, अनुदेशों, आदेशों, प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों और अन्य सभी पत्राचारों को परियोजना प्रबंधक को अन्य प्रकार से इसमें किए गए प्रावधानों को छोड़कर दिया जायेगा ।

13.2 ठेकेदार का प्रतिनिधि एवं निर्माण प्रबंधक

13.2.1 यदि ठेकेदार के प्रतिनिधि के नाम का उल्लेख अनुबंध में न हो तब प्रभावी तिथि के चौदह (14) दिनों के भीतर ठेकेदार, ठेकेदार के प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा और लिखित रूप में नियोजक से अनुरोध करेगा कि वह इस प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्ति का अनुमोदन करें। यदि नियोजक चौदह (14) दिनों के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करता हो, तब ठेकेदार के प्रतिनिधि के संबंध में यह माना जायेगा कि उसने इसका अनुमोदन कर दिया है। यदि नियोजक चौदह (14) दिनों के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में कारण देते हुए आपत्ति करता है, तब ठेकेदार इस प्रकार की आपत्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर एक प्रतिस्थानापन्न की नियुक्ति करेगा और इस जी सी सी का उप-नियम 13.2.1 का पूर्ववर्ती प्रावधान उस पर लागू होगा।

13.2.2 ठेकेदार का प्रतिनिधि इस अनुबंध के लागू रहने के दौरान सभी समयों में ठेकेदार का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके लिए कार्य करेगा तथा इस अनुबंध के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक को ठेकेदार की सभी सूचनाएं, अनुदेशों, सूचना और अन्य सभी पत्राचार देगा। इस अनुबंध के अंतर्गत नियोजक अथवा परियोजना प्रबंधक द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, अनुदेश, सूचना और अन्य सभी पत्राचार ठेकेदार के प्रतिनिधि को इसमें अथवा उसकी अनुपस्थिति में इसके उप प्रतिनिधि अन्य प्रकार से किए गए प्रावधान को छोड़कर, को देगा। ठेकेदार नियोजक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार के प्रतिनिधि की नियुक्ति को रद्द नहीं करेगा, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जायेगा। यदि नियोजक उसके संबंध में अपनी सहमति देता है तब ठेकेदार जी सी सी उप नियम 13.2.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

13.2.3 ठेकेदार के प्रतिनिधि नियोजक के अनुमोदन के अध्यधीन (जिसे अनुचित रूप से नहीं रोका जायेगा) किसी भी समय उनमें निहित किसी शक्तियों, कर्तव्यों अथवा अधिकारों को किसी व्यक्ति को दे सकता है। इस प्रकार के किसी प्रत्यायोजन को किसी समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी प्रत्यायोजन अथवा रद्द करना ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किसी पूर्व सूचना के अध्यधीन होगी और इसमें उसके द्वारा प्रत्यायोजित अथवा समाप्त की गई शक्तियों, कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख होगा। जब तक इस प्रकार के प्रत्यायोजन अथवा उसे रद्द करने की सूचना की एक प्रति क्रेता और परियोजना प्रबंधक को नहीं दी गई हो, तब तक वह लागू नहीं होगा। इस जी सी सी उप नियम 13.2.3 के अनुसार उन्हें इस प्रकार से दी गई शक्तियों, कार्यों और अधिकारों का किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किये जाने को ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा उपयोग किया हुआ माना जायेगा।

13.2.3.1 उपर्युक्त जी सी सी उप नियम 13.1 और 13.2.1 उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी अनुबंध के कार्यान्वयन के उद्देश्य से नियोजक और ठेकेदार अनुबंध समन्वय कार्यविधि को अंतिम रूप देगा और उसके संबंध में अपनी सहमति देगा तथा इस अनुबंध के अंतर्गत सभी पत्राचार इस प्रकार के अनुबंध समन्वय कार्यविधि के अनुसार किया जायेगा।

13.2.4 चालू होने तक स्थल पर सुविधाओं की संस्थापना के शुरू होने से प्रचालन की स्वीकृति तक ठेकेदार का प्रतिनिधि सुविधाओं के संस्थापन और प्रचालन के पर्यवेक्षण के लिए सभी निर्माण प्रबंधक के रूप में एक समुचित व्यक्ति (इसके बाद से इसे ''निर्माण प्रबंधक'' के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की नियुक्ति करेगा। निर्माण प्रबंधक ठेकेदार द्वारा उस स्थल पर किए गए सभी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और इस अनुबंध के उचित कार्य निष्पादन से जुड़े कारणों के लिए अवकाश पर, बीमार होने पर, अथवा अनुपस्थित होने पर को छोड़कर संपूर्ण सामान्य कार्य घंटों में इस स्थल पर उपस्थित रहेगा। जब कभी निर्माण प्रबंधक इस स्थल से अनुपस्थित हो तब एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति उनके रूप में अथवा उनके उप के रूप में कार्य करने के लिए की जाएगी।

13.2.5 नियोजक ठेकेदार को सूचना देते हुए इस अनुबंध के कार्यान्वयन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति जो नियोजक के उचित मत से अनुपयुक्त रूप से व्यवहार करता हो, अक्षम अथवा लापरवाह को अथवा जी सी सी नियम 18.3 के अंतर्गत प्रदान की गई स्थल विनियमनों का गंभीर उल्लंघन करता हो, को सूचना दे सकता है, के संबंध में आपत्ति कर सकता है। नियोजक उसका साक्ष्य उपलब्ध करायेगा, जिस पर ठेकेदार ऐसे व्यक्तियों को इन सुविधाओं से हटायेगा।

13.2.6 यदि ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति को जी सी सी उप नियम 13.2.5 के अनुसार हटाया जाता हो, जहां भी आवश्यकता पड़े, तो ठेकेदार तत्काल उसके प्रतिस्थानापन्न की नियुक्ति करेगा।

14. कार्य से संबंधित कार्यक्रम

14.1 ठेकेदार का संगठन

ठेकेदार नियोजक और परियोजना प्रबंधक को एक तालिका की आपूर्ति करेगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा सुविधाओं का कार्य किये जाने के लिए स्थापित किए

जाने वाले प्रस्तावित संगठन को दर्शाया गया हो। इस तालिका में प्रभावी तिथि के इक्कीस (21) दिनों के भीतर नियुक्त किए जाने वाले इस प्रकार के प्रमुख कार्मिकों का जीवन वृत्त के साथ साथ प्रमुख कार्मिकों की पहचान शामिल रहेगी। ठेकेदार नियोजक तथा परियोजना प्रबंधक को तत्काल लिखित रूप में इस प्रकार के एक संगठन तालिका में किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के बारे में सूचना देगा।

14.2 कार्य निष्पादन का कार्यक्रम

कार्य सौंपने (अवार्ड) की अधिसूचना की तिथि के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर, ठेकेदार क्रिटिकल पाथ मेथद (सी पी एम), पी ई आर टी नेटवर्क, अन्य अंतर्राट्रीय स्तर पर उपयोग किए गए कार्यक्रमों के रूप में अनुबंध (L2 नेटवर्क) का कार्य निष्पादन का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा और परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा जिसमें वह क्रम दर्शाया गया हो, जिसमें इसका प्रस्ताव समानों का डिजाइन बनाने, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, दुकान का निरीक्षण, परीक्षण, ढुलाई तथा उस तिथि जब तक ठेकेदार उचित रूप से यह अपेक्षा करते हों कि नियोजक ने इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा कर लिया होगा, का प्रस्ताव करता हो जिससे की वह ठेकेदार को इस कार्यक्रम के अनुसार अनुबंध को कार्यान्वयन करने में तथा इस अनुबंध के अनुसार सुविधाओं के समापन, प्रारंभन और स्वीकृति का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सके। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत कार्यक्रम अनुबंध करार में दिए गए परिशिष्ट - 4 (प्रदायगी कार्यक्रम) में शामिल किए गए प्रदायगी कार्यक्रम तथा इस अनुबंध में उल्लेख की गई किसी अन्य तिथियों और अवधियों के अनुरूप होगा। ठेकेदार जब कभी उपयुक्त समझे और जब भी परियोजना प्रबंधक द्वारा यह अपेक्षित हो, इस कार्यक्रम को अद्यतन और उसमें संशोधन जी सी सी के उप नियम 4.2 के अतंर्गत प्रदायगी कार्यक्रम तथा जी सी सी नियम 34 के अनुसार दिये गये समय विस्तार में बिना किसी संशोधन के करेगा और इस प्रकार के सभी संशोधनों को परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा।

14.3 प्रगति रिपोर्ट

ठेकेदार उपर्युक्त जी सी सी उप नियम 14.2 में संदर्भित कार्यक्रम में उल्लेख किए गए सभी क्रियाकलापों की प्रगति की मॉनीटरिंग करेगा और प्रत्येक माह परियोजना प्रबंधक को प्रगति रिपोर्ट की आपूर्ति करेगा।

प्रगति रिपोर्ट उस रूप में होगी जो परियोजना प्रबंधक को स्वीकार्य हो और इसमें : (क) प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए योजनाबद्ध प्रतिशत पूर्णता की तुलना में प्राप्त की गई प्रतिशत पूर्णता और (ख) जहां कोई क्रियाकलाप कार्यक्रम से पीछे चल रहा हो, उस स्थिति में टिप्पणियां तथा उसके संभावित परिणामों का उल्लेख करते हुए तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही का उल्लेख करते हुए इन तथ्यों को दर्शाया जायेगा।

14.4 कार्य निष्पादन की प्रगति

यदि किसी दिए गए समय में ठेकेदार की वास्तविक प्रगति जी सी सी उप नियम 14.2 में संदर्भित कार्यक्रम से पीछे पड़ता हो अथवा यह स्पष्ट हो जाता हो कि यह कार्यक्रम से पीछे ही चलेगा तब ठेकेदार नियोजक अथवा परियोजना प्रबंधक के अनुरोध पर वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक संशोधित कार्यक्रम तैयार करेगा और परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा तथा प्रगति में तीव्रता लाने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में परियोजना प्रबंधक को अधिसूचित करेगा जिससे की जी सी सी उप नियम 4.2 के अंतर्गत प्रदायगी कार्यक्रम, जी सी सी उप नियम 34.1 के अंतर्गत पात्र उसके किसी समय विस्तार अथवा किसी बढ़ाई गई अवधि जिस पर अन्य प्रकार से नियोजक और ठेकेदार के बीच सहमति बनी हो, के भीतर सुविधाओं के समापन का कार्य पूरा किया जा सके।

14.5 कार्य संबंधी प्रक्रिया

इस अनुबंध को अनुबंध संबंधी दस्तावेजों के नमूने फार्म और कार्यविधियों पर उस खंड में दिये गये अनुबंध संबंधी दस्तावेजों और कार्यविधियों के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा।

ठेकेदार उस सीमा तक अपने निजी मानक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं और कार्यविधियों के अनुसार इस अनुबंध को कार्यान्वित कर सकता है जिस सीमा तक वे इस अनुबंध में निहित प्रावधानों के विरुद्ध न हों।

15. उप अनुबंध

15.1 अनुबंध संबंधी करार के सदृश परिशिष्ट (अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची) में आपूर्ति अथवा सेवाओं की प्रमुख मदों और विनियोजकों सहित प्रत्येक मद के सामने अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची का उल्लेख है । जहां तक इस प्रकार के किसी मद के सामने किसी उप ठेकेदार की सूची नहीं हो, वहां ठेकेदार इस प्रकार की सूची में शामिल किए जाने के लिए इस प्रकार के मद

के लिए उप ठेकेदारों की एक सूची तैयार करेगा । उप ठेकेदार समय समय इस प्रकार की किसी सूची में वृद्धि अथवा इनमें से कुछ नामों को हटाने का प्रस्ताव कर सकता है । ठेकेदार नियोजक को उपयुक्त समय देते हुए उसके अनुमोदन के लिए इस प्रकार की किसी सूची अथवा इसमें किसी संशोधन को प्रस्तुत कर सकता है, जिससे की सामानों के संबंध में कार्य की प्रगति में अवरोध उत्पन्न न हो । उप ठेकेदारों में से किसी उप ठेकेदार के लिए नियोजक द्वारा इस प्रकार के अनुमोदन से इस अनुबंध के अंतर्गत इसके किसी दायित्व, कर्तव्य अथवा जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जायेगा।

15.2 ठेकेदार जी सी सी उप नियम 15.1 में संदर्भित सूचियों में सूचीबद्ध इस प्रकार के प्रमुख मदों के लिए इसके उप ठेकेदारों का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है।

15.3 उपबंध संबंधी करार में सदृश्य परिशिष्ट (अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची) में उल्लेख न किए गए सामानों के भागों अथवा मदों के लिए ठेकेदार इस प्रकार के उप ठेकेदारों जिसे यह अपने विवेक से चयन कर सके, की नियुक्ति कर सकता है।

15.4 ठेकेदार एम एस ई से खरीदी गई मदों, घटकों, कच्ची सामग्रियों, सेवाओं इत्यादि का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और अनुबंध के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करेगा। प्रदान की गई आपूर्तियों/ किए गए कार्यों के भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय बोली दस्तावेजों में संलग्न खंड VI फार्म, भाग ।, फार्मेट के अनुसार विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

16. डिजाइन और इंजीनियरिंग

16.1 विनिर्देशन एवं आरेखण

16.1.1 ठेकेदार इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अथवा जहां उसका इस प्रकार से उल्लेख न किया गया हो, अच्छी इंजीनियरिंग प्रक्रिया के अनुसार मौलिक और विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य कार्यान्वित कर सकता है।

ठेकेदार उन विनिर्देशनों, आरेखणों और अन्य तकनीकी दस्तावेजों जिसे इसने तैयार किया है, चाहे इस प्रकार का विनिर्देशन, आरेखण और अन्य दस्तावेजों का अनुमोदन परियोजना प्रबंधक द्वारा किया गया हो अथवा नहीं, में किसी प्रकार की त्रुटियों, गलतियों अथवा चूक के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते की इस प्रकार की त्रुटियां, गलतियां अथवा चूक नियोजक द्वारा अथवा

उसकी ओर से ठेकेदार को लिखित रूप में प्रस्तुत की गई गलत सूचना के कारण न हुई हो।

16.1.2 ठेकेदार को परियोजना प्रबंधक को इस प्रकार की अस्वीकारोक्ति की सूचना देकर प्रबंधक द्वारा दी गई अथवा उसके द्वारा डिजाइन की गई अथवा उसकी ओर से डिजाइन किए गए किसी डिजाइन, आंकड़ों, आरेखण, विनिर्देशन अथवा अन्य दस्तावेत अथवा उसके किसी संशोधन के लिए जिम्मेदारी को अस्वीकार करने का हक रहेगा।

16.2 संहिता और मानक

जहां कहीं भी इस अनुबंध में संहिताओं और मानकों के बारे में कोई संदर्भदिया जाता है जिसके अनुसार इस अनुबंध को कार्यान्वित किया जायेगा, बोली प्रस्तुत करने की तिथि से अठाइस (28) दिन पूर्व की तिथि को लागू इस प्रकार की संहिताओं और मानकों का संस्करण अथवा संशोधित भाग लागू होगा, तब तक की इसमें अन्य प्रकार से कोई उल्लेख न किया गया हो। अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान इस प्रकार की संहिताओं और मानकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नियोजक द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात लागू होगा और इसे जी सी सी नियम 33 के अनुसार माना जायेगा।

16.3 परियोजना प्रबंधक द्वारा तकनीकी दस्तावेजों का अनुमोदन/ समीक्षा

16.3.1 ठेकेदार जी सी सी उप नियम 14.2 (कार्य निष्पादन का कार्यक्रम) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें किए गए उल्लेख के अनुसार परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन अथवा समीक्षा के लिए इस अनुबंध करार के परिशिष्ट 7 (अनुमोदन अथवा समीक्षा के लिए दस्तावेजों की सूची) में सूचीबद्ध दस्तावेजों को तैयार करेगा (अथवा अपने उप ठेकेदारों से इसे तैयार करवायेगा) और प्रस्तुत करेगा।

परियोजना प्रबंधक द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले इन दस्तावेजों से संबंधित या इनके द्वारा शामिल किए गए सामानों के किसी भाग का कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधक द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के बाद ही किया जायेगा।

जी सी सी उप नियम 16.3.2, 16.3.7 के माध्यम से केवल उन्हीं दस्तावेजों पर लागू होगा, जिसके लिए परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन की आवश्यकता

हो परंतु उन पर यह लागू नहीं होगा जिन्हें परियोजना प्रबंधक को केवल इनकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

16.3.2 जी सी सी उप नियम 16.3.1 के अनुसार ऐसे किसी दस्तावेज जिसके लिए परियोजना प्रबंधन का अनुमोदन आवश्यक हो, का परियोजना प्रबंधक द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद इक्कीस (21) दिनों के भीतर, परियोजना प्रबंधक या तो उसकी एक प्रति ठेकेदार को उस पर अपने अनुमोदन के साथ वापस करेगा अथवा उसे ठेकेदार को उसका अनुमोदन न किए जाने के बारे में लिखित रूप से सूचना देगा और साथ ही साथ उसमें उन कारणों का उल्लेख होगा तथा उन संशोधनों का उल्लेख होगा, जिसे परियोजना प्रबंधक प्रस्ताव करता हो।

16.3.3 परियोजना प्रबंधक केवल इस आधार को छोड़कर किसी दस्तावेज को अस्वीकार कर सकता है कि इस प्रकार का दस्तावेज इस अनुबंध के कुछ निर्दिष्ट प्रावधान का पालन नहीं करता है और यह भी की कि यह अच्छी इंजीनियरिंग प्रक्रिया के अनुकूल है।

16.3.4 यदि परियोजना प्रबंधक उस दस्तावेज को अस्वीकार करता है तब ठेकेदार उस दस्तावेज में संशोधन करेगा और जी सी सी उप नियम 16.3.2 के अनुसार परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन के लिए इसे फिर से प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रबंधक इन संशोधनों के अध्यधीन उस दस्तावेज का अनुमोदन करता है तब ठेकेदार अपेक्षित संशोधन करेगा और अपेक्षित संशोधन के साथ उसे फिर से प्रस्तुत किए जाने के बाद दस्तावेज के संबंध में यह माना जायेगा कि इसका अनुमोदन कर दिया गया है।

ठेकेदार इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने और परियोजना प्रबंधक द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के लिए कार्यविधि पर चर्चा और उस अंतिम रूप ठेकेदार के साथ दिया जायेगा।

16.3.5 यदि किसी दस्तावेज और/ अथवा उसके किसी संशोधन के संबंध में परियोजना प्रबंधक द्वारा अस्वीकार्य किए जाने के कारण नियोजक और ठेकेदार के बीच कोई विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता हो तब उसका निपटान एक उचित समय अवधि के भीतर इन पक्षकारों के बीच किया जा सकता है और तब इस प्रकार का निपटान अथवा अंतर इसके जी सी सी उप नियम 39 के अनुसार निर्धारण के लिए किसी मध्यस्थ को भेजा सकता है। यदि इस प्रकार का विवाद अथवा अंतर किसी मध्यस्थ को भेजा जाता है तब परियोजना प्रबंधक यह अनुदेश देगा कि क्या अथवा यदि हां तो किस

प्रकार से इस अनुबंध का कार्य निष्पादन आगे बढ़ेगा। ठेकेदार परियोजना प्रबंधक के अनुदेशों के अनुसार इस अनुबंध को आगे बढ़ायेंगे बशर्ते की यदि मध्यस्थ इस विवाद के संबंध में ठेकेदार के दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं और यदि नियोजक ने इसके जी सी सी उप नियम 39 के अंतर्गत सूचना नहीं दी है तब ठेकेदार को नियोजक द्वारा इस प्रकार के अनुदेशों के कारण हुए किसी अतिरिक्त लागतों की प्रतिपूर्ति की जायेगी और उसे इस विवाद तथा अनुदेशों के कार्यान्वयन, जिसके बारे में मध्यस्थ निर्णय लेगा, के संबंध में इस प्रकार की जिम्मेदारी अथवा देयता से मुक्त किया जायेगा और तदनुसार समापन के समय का विस्तार किया जायेगा।

16.3.6 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ अथवा उसमें संशोधन किए गए बिना परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन से ठेकेदार उस सीमा तक को छोड़कर जो परियोजना प्रबंधक द्वारा अपेक्षित संशोधनों से बाद में किसी असफलता से उत्पन्न होता हो, इस अनुबंध के किसी प्रावधानों द्वारा इस पर लगाये गये किसी जिम्मेदारी अथवा देयता से मुक्त नहीं होगा।

16.3.7 यदि ठेकेदार ने परियोजना प्रबंधक को कोई संशोधित दस्तावेज पहले प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा इस जी सी सी उप नियम 16.3 के प्रावधानों के अनुसरण में परियोजना प्रबंधक का उसके संबंध में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो, तब ठेकेदार किसी अनुमोदित दस्तावेज से अलग नहीं होगा। यदि परियोजना प्रबंधक पूर्व में किसी अनुमोदित दस्तावेजों में किसी परिवर्तन और/ अथवा उसके आधार पर किसी दस्तावेज में परिवर्तन का अनुरोध करता हो, तब जी सी सी नियम 33 के प्रावधान इस प्रकार के अनुरोध पर लागू होंगे।

17. संयंत्र और उपकरण

17.1 जी सी सी उप नियम 10.2 के अध्यधीन, ठेकेदार सभी सामानों का शीघ्रता से और व्यवस्थित रूप में निर्माण करेगा और खरीद करेगा और उसे स्थल पर पहुंचायेगा।

17.2 नियोजक – आपूर्ति किए गए संयंत्र, उपकरण और सामग्रियां

यदि अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट – 6 (नियोजक द्वारा कार्यों और आपूर्ति का दायरा) में यह प्रावधान है कि नियोजक ठेकेदार को विशिष्ट मशीनरी, उकपरण अथवा सामग्री मदों को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-

17.2.1 नियोजक अपने स्वयं के जोखिम और व्यय पर पक्षकारों द्वारा सहमत स्थल पर अथवा उसके समीप प्रत्येक सामान की ढुलाई करेगा और अन्यथा आपसी सहमति पर जी सी सी उप खंड 14.2 के अनुसरण के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट समय पर ठेकेदार को इन मदों को उपलब्ध कराएगा।

17.2.2 नियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपकरण और सामग्रियां ठेकेदार अथवा नियोजक द्वारा स्थापित डिपों पर ठेकेदार को आपूर्ति की जाएगी। सामग्रियों के लिए लॉरी रसीदें जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार को सौंप दी जाएगी। ठेकेदार रेलवे/ सड़क परिवहन से इन सामग्रियों की डिलीवरी लेने, उन्हें ट्रांसपोर्टर से अनलोडिंग करने, इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा निर्मित विभिन्न स्टोरों को उन्हें कार्टिंग करने, ठेकेदार की लागत पर अनलोडिंग और कार्टेज करने के लिए जिम्मेदार होगा। तथापि, यदि कोई चुंगी अथवा टोल टैक्स ठेकेदार द्वारा कानूनन भुगतान किया जाना है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसे वास्तविक आधार पर और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन की जाएगी। यदि डिलीवरी लेने में किसी विलंब के कारण कोई घाट-भाड़ा और विलंब शुल्क का समस्त भुगतान करना हो तो वह सभी ठेकेदार के खाते से होगा, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विलंब नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ हो, ऐसे मामले में ठेकेदार तत्काल दावों के निपटान के लिए इंजीनियर को सूचित करेगा। ठेकेदार नियोजक द्वारा सुविधाओं की प्राप्ति के समय से सुविधाओं का कब्जा लेने के समय तक इन सामग्रियों की समुचित हैंडलिंग और भंडारण के लिए जिम्मेदार होगा।

17.2.3 ठेकेदार द्वारा सामग्रियों की स्टेकिंग और स्टोरेज के लिए प्रदान किए गए यार्डेज और स्टोर, जब भी जरूरत पड़े, नियोक्ता के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। हैंडलिंग और स्टोरेज की लागत ठेकेदार के खाते में होगी।

17.2.4 ऐसे सामानों की प्राप्ति पर, ठेकेदार उनका देखकर निरीक्षण करेगा और किसी भी कमी, दोष अथवा चूक के लिए परियोजना प्रबंधक को सूचित करेगा। नियोजक द्वारा व्यवस्थित और ठेकेदार को आपेर्ति की गई सामग्रियों के लिए जो कम, टूट-फूट अथवा क्षतिग्रस्त हो, जहां तक संभव हो, रेल प्राधिकारियों/ सड़क ट्रांसपोर्टर के डिलीवरी रजिस्ट में प्रविष्टि की जाएगी और इसकी रिपोर्ट, जिसमें कमी और क्षति का पूरा ब्यौरा हो तथा सड़क ट्रांसपोर्टर/ रेलवे के डिलीवरी रजिस्टर में दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति ठेकेदार द्वारा परियोजना प्रबंधक और नियोजक के पारेषिती (माल प्राप्तकर्ता) को तत्काल भेजी जाएगी । नियोजक तत्काल ऐसी किसी कमी, दोष अथवा चूक

को नियोजक की लागत पर खर्चे पर ठीक करेगा। निरीक्षण के बाद, ऐसी मदें ठेकेदार की देखभाल, हिरासत और नियंत्रण में रहेगी। इस जी सी सी उप नियम 17.2.4 के प्रावधान किसी दोषपरक वस्तु को बदलने अथवा किसी ऐसी कम अथवा चूक को दूर करने के लिए आपूर्ति की गई किसी मद पर लागू होंगे अथवा मरम्मत किए गए दोषपरक मदों पर लागू होगा।

17.2.5 ठेकेदार और पूर्ववर्ती जिम्मेदारियां और देखरेख, हिरासत तथा नियंत्रण के लिए इसके दायित्व किसी पता न चली कमी, दोष अथवा चूक के लिए दायित्व से नियोजक को छूट नहीं मिलेगी और नही ठेकेदार की, चाहे जी सी सी नियम 22 अथवा अनुबंध के किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी ऐसी कमी, दोष अथवा चूक के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

17.3 ढुलाई

17.3.1 ठेकेदार अपने जोखिम पर और अपने खर्च पर सभी संयंत्रों और उपकरणों की ढुलाई कर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्थल तक पहुंचायेगा जिसे ठेकेदार सभी परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयुक्त समझता हो।

17.3.2 यदि इस उपबंध में अन्य प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया हो, तब ठेकेदार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इन संयंत्र एवं उपकरण की ढुलाई करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित परिवहन के किसी सुरक्षित माध्यम का चयन करे।

17.3.3 प्रत्येक शिपमेंट के प्रेषित किए जाने पर ठेकेदार नियोजक को टेलेक्स, फैक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण (ई डी आई) के द्वारा इन सामानों के विवरण, प्रेषण का स्थान एवं माध्यम और अनुमानित समय तथा इस देश में पहुंचने का स्थान जहां यह स्थल स्थित हो और यदि लागू हो तो उस स्थान के बारे में सूचना देगा। ठेकेदार इन पक्षकारों के बीच आपस में बनी हुई सहमति पर संगत शिपिंग दस्तावेजों के साथ नियोजक को प्रस्तुत करेगा।

17.3.4 ठेकेदार आवश्यकता पड़ने पर उस स्थल तक सामानों की ढुलाई के लिए प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। नियोजक ठेकेदार को इस प्रकार के अनुमोदनों, यदि ठेकेदार द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए समय पर और शीघ्रता से अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ठेकेदार नियोजक को सड़कों, पुलों अथवा किसी अन्य यातायात सुविधाओं जिससे स्थल तक इन संयंत्र एवं उपकरणों

की ढुलाई की जाने वाली हो, से होने वाली क्षति के लिए किसी दावे के प्रति तथा उससे सुरक्षित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

17.4 प्रदायगी और दस्तावेज

17.4.1 प्रदायगी संबंधी दस्तावेज

शिपमेंट के बाद, ठेकेदार नियोजक को इस उपबंध के करारों के सदृश्य परिशिष्ट 1 (भुगतान के नियम और कार्यविधि) में उल्लेख किए गए अनुसार प्रेषण के संपूर्ण ब्यौरे के साथ सूचना देगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

17.4.2 पैकिंग

17.4.2.1 ठेकेदार सामानों की इस प्रकार से पैकिंग करेगा जो इस अनुबंध में दर्शाये गये अनुसार उनके अंतिम गंतव्य स्थल तक ट्रांजिट के दौरान उनके क्षतिग्रस्त होने अथवा उनकी गुणवत्ता में गिरावट आने से रोकने के लिए अपेक्षित हो। यह पैकिंग ट्रांजिट के दौरान बिना किसी सीमा के असावधानीपूर्वक हैंडलिंग और ट्रांजिट एवं खुले भंडार के दौरान अत्यधिक तापक्रम, नमक और उष्मता से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। जहां भी उपयुक्त समझा जायेगा पैकिंग के आकार और वजन, सामानों के अंतिम गंतव्य स्थल तक की दूरी और ट्रांजिट में सभी स्थानों पर हैवी हैंडलिंग सुविधाओं के न होने पर विचार किया जायेगा।

17.4.2.2 पैकेज के भीतर और उसके बाहर पैकिंग, मार्किंग और दस्तावेजीकरण का पालन कठोरता से इस प्रकार की विशेष अपेक्षाओं के साथ किया जायेगा, जिसका इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जायेगा और जो इस अनुबंध की अपेक्षाओं के अनुरूप नियोजक द्वारा आदेश दिए गए किसी बाद के अनुदेशों के अध्यधीन होगा।

18. संस्थापना

18.1 स्थापना/ पर्यवेक्षण/ श्रम

18.1.1 बैंच मार्क – ठेकेदार बैंच मार्क, संदर्भ मार्क और इसमें नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से लिखित में प्रदान किए गए दिशा के संबंध में सुविधाओं की सही और उचित स्थापना के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि सुविधाओं के संस्थापन की प्रगति के दौरान किसी भी समय, सुविधाओं की स्थिति, स्तर अथवा संरेखण में कोई गलती दिखाई देती है, तो ठेकेदार ऐसी गलती के लिए परियोजना, प्रबंधक को तत्काल सूचित करेगा और परियोजना प्रबंधक की तार्किक संतुष्टि पर ऐसी गलती को तत्काल अपनी लागत पर दूर करेगा। यदि ऐसी गलती नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से लिखित में प्रदान किए गए गलत डाटा के आधार पर है तो उसे ठीक करने का व्यय नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

18.1.2 ठेकेदार का पर्यवेक्षण : ठेकेदार सुविधाओं के संस्थापन के दौरान सभी आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करेगा और निर्माण प्रबंधक अथवा उसका उप निर्माण प्रबंधक संस्थापन को पूर्णकालिक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए स्थल पर निरीक्षण ध्यान रखेगा। ठेकेदार केवल तकनीकी व्यक्तियों, जो अपने संबंधित काम में कुशल और अनुभवी हों, तथा पर्यवेक्षक स्टाफ, जो कार्य का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में सक्षम हों, प्रदान करेगा और नियुक्ति करेगा।

18.1.3 श्रमिक

(क) ठेकेदार सुविधाओं के संस्थापन में स्थल पर ऐसे कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिक प्रदान करेगा और नियुक्त करेगा, जो अनुबंध के समुचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक हो । ठेकेदार को अधिमानत: स्थानीय श्रमिकों में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों, जिनमें आवश्यक कौशल हो, को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ख) जब तक अनुबंध में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, ठेकेदार अपने स्वयं के खर्चे पर अनुबंध के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी श्रमिकों, स्थानीय अथवा बाहरी, की नियुक्ति, लाने ले जाने, आवास के लिए और इस संबंध में सभी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(ग) ठेकेदार अनुबंध की प्रगति के दौरान हर समय अपने बेहतर प्रयासों से अपने कर्मचारियों और अपने उप ठेकेदारों के श्रमिकों द्वारा अथवा उनके बीच किसी गैर कानूनी, उपद्रवी अथवा गलत आचरण अथवा व्यवहार को रोकेगा ।

(घ) ठेकेदार अपने श्रमिकों और अपने उप ठेकेदारों के श्रमिकों, जो अनुबंध के लिए नियुक्त किया गए हैं, अथवा उससे जुड़े हैं, के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्य उत्सवों, सरकारी अवकाश धार्मिक अथवा अन्य रीति-रिवाजों और श्रमिकों के रोजगार से संबंधित सभी स्थानीय कानूनों व विनियमों का पूरा ध्यान रखेगा ।

18.2 ठेकेदार के उपकरण

18.2.1 ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाए गए ठेकेदार के सभी उपकरण अनुबंध के निष्पादन के लिए प्रयोग में लाने जाने हैं । ठेकेदार उन्हें परियोजना प्रबंधक की इस प्रकार से सहमति के बिना स्थल से नहीं हटाएगा कि ऐसे ठेकेदार के उपकरण की अब अनुबंध के निष्पादन के लिए आगे जरूरत नहीं है।

18.2.2 जब तक अनुबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया है, ठेकेदार सुविधाओं के समापन पर, ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाए गए सभी उपकरण और वहां शेष कोई अन्य अतिरिक्त उपकरण स्थल से हटाएगा ।

18.2.3 नियोजक, यदि अनुरोध किया जाता है तो अनुबंध के निष्पादन में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा आयातित ठेकेदार के उपकरण के निर्यात के लिए जिनकी अब अनुबंध के निष्पादन के लिए आगे जरूरत नहीं है, ठेकेदार द्वारा अपेक्षित कोई स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने में ठेकेदार की सहायता करने के लिए अपने बेहतर प्रयास करेगा।

18.3 स्थल विनियमन एवं सुरक्षा

नियोजक और ठेकेदार स्थल पर अनुबंध के निष्पादन में अनुपालना करने हेतु नियम तय करते हुए स्थल विनियमन स्थापित करेंगे और उनकी अनुपालना करेंगे । ठेकेदार प्रस्तावित स्थल विनियम तैयार करके नियोक्ता के अनुमोदन के लिए भेजेगा जिसका अनुमोदन बिना कारण रोका नहीं जाएगा और उसकी एक प्रति परियोजना प्रबंधक को दी जाएगी ।

ऐसे स्थल विनियमों में सुरक्षा, सुविधाओं की संरक्षा, गेट कंट्रोल, सफाई, चिकित्सा देखरेख और अग्नि सुरक्षा के संबंध में नियम शामिल होंगे, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे ।

18.3.1 श्रम विनियमों की अनुपालना

18.3.1.1 अनुबंध जारी रहने के दौरान ठेकेदार और उसके उप ठेकेदार लागू मौजूदा श्रम कानूनों और उसके तहत बने नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और राज्य या केंद्र सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के उप नियमों तथा अन्य किसी श्रम कानून (नियमों सहित) विनियम उप नियमों, जो पारित किए जा सकते हों अथवा अधिसूचना, जो किसी श्रम कानून के तहत भविष्य में राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं, का हर समय अनुपालन करेंगे। ठेकेदार और उप ठेकेदार के कर्मचारी किसी भी मामले में किसी भी समय नियोजक के कर्मचारियों के रूप में नहीं माने जाएंगे।

18.3.1.2 यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों, विनियमों अथवा अधिसूचनाओं व संशोधनों के किसी प्रावधान में किसी उल्लंघन के मामले में नियोजक के खिलाफ कोई कार्रवाई किए जाने के मामले में ठेकेदार नियोजक को क्षतिपूरित रखेगा।

18.3.1.3 यदि नियोजक को किसी कानून के तहत अधिसूचनाओं/ उप नियमों/ अधिनियमों/ नियमों/ विनियमों व संशोधनों, यदि कोई हो, में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन न होने पर यथा आवश्यक धनराशि मूल नियोजक के रूप में ठेकेदार की ओर से भुगतान करनी पड़े तो नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह नियोजक के साथ इस अनुबंध अथवा किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार पर देय कोई राशि व उक्त भुगतान के समायोजन के लिए निष्पादन प्रतिभूति की उसकी राशि काट सकता है । नियोजक के पास ठेकेदार से नियोजक को हुए किसी नुकसान अथवा क्षति को पूरा करने के लिए अपेक्षित अथवा अनुमानित कोई राशि वसूल सकता है ।

उपरोक्त के बावजूद, ठेकेदार नियोजक को नियोजक की मांग के अनुसार, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगी संस्थापनाओं के लिए लागू कानूनों का ठेकेदार द्वारा अनुपालन करने के साक्ष्य में विवरण/ दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । विशेष रूप से, ठेकेदार नियोजक को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के संबंध में अनुपालना के बारे में तिमाही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा । इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार व उसके उप ठेकेदार के पास भविष्य निधि कोड संख्या होनी चाहिए और ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी कामगारों को यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर (यू ए एन) के साथ भविष्य निधि के सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाए ।

18.3.1.4 भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगी संस्थापनाओं के लिए लागू कुछ प्रमुख कानूनों की मुख्य विशेषताएं :

(क) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 : अधिनियम में रोजगार के कारण और रोजगार की अवधि के दौरान हुई क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

(ख) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 : अधिनियम के तहत, यदि किसी कर्मचारी ने 5 वर्षों अथवा अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो अलग होने पर अथवा मृत्यु होने पर कुछ शर्तों को पूरा करने पर प्रत्येक पूर्ण सेवा वाले के लिए 15 दिनों के वेतन के हिसाब से कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। अधिनियम 10 अथवा अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थापनाओं पर लागू है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1972: अधिनियम में नियोजक और कामगारों द्वारा10 प्रतिशत अथवा 8.33 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान का प्रावधान है। अधिनियम के तहत लाभ इस प्रकार हैं :-

(i) सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, पर पेंशन अथवा परिवार पेंशन

(ii) कामगार की काम के दौरान मृत्यु होने पर डिपॉजिट लिंक बीमा

(iii) सेवानिवृत्ति/ मृत्यु आदि पर भविष्य निधि संचय का भुगतान

(घ) मातृत्तव लाभ अधिनियम, 1951 : अधिनियम में महिला कर्मचारियों को प्रसव अवस्था अथवा गर्भपात के मामले में अवकाश अथवा कुछ अन्य लाभों का प्रावधान है।

(ङ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 : अधिनियम में ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ कल्याणकारी उपायों के लिए प्रावधान हैं और यदि ठेकेदार इसके प्रावधान में विफल होता है तो कानून के अनुसार प्रधान नियोजक द्वारा प्रदान करने के लिए प्रावधान है। प्रधान

नियोजक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना होता है और ठेकेदार को निर्दिष्ट अधिकारी से लाइसेंस लेना होता है। अधिनियम ऐसी संस्थापनाओं अथवा प्रधान नियोजक के ठेकेदार पर लागू है, जहांवे 20 अथवा अधिक ठेका श्रमिक रखते हैं।

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 : अधिनियम के प्रावधाना के तहत यदि रोजगार एक अनुसूचित रोजगार है तो नियोजक को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होता है, भवनों का निर्माण, सड़कें रनवे अनुसूचित रोजगार हैं।

(छ) मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान : इसमें प्रावधान है कि किसी तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जाना है, कब भुगतान किया जाएगा और कामगारों के वेतन से कितनी कटौती की जा सकती है।

(ज) समान वेतन अधिनियम, 1979 : अधिनियम में महिला और पुरुष कामगारों को समान प्रकृति के काम के लिए समान मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान है और महिला कर्मचारियों के साथ स्थानांतरण, प्रशिक्षण और प्रोन्नति इत्यादि के मामले में कोई भेदभाव नहीं करना है।

(झ) बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 : अधिनियम 20 अथवा अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थापनाओं के लिए लागू है। अधिनियम में प्रतिमाह 3500 रुपए अथवा कम का आहरण करने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी के न्यूनतम 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत के अध्यधीन वार्षिक बोनस का भुगतान करने के लिए प्रावधान है। यह बोनस प्रतिमाह 2500 रुपए अथवा अधिक, 3500 रुपए प्रतिमाह तक पाने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा, जो केवल 2500 रुपए प्रतिमाह के रूप में मजदूरी को मानकर परिकलित किया जाएगा। यह अधिनियम कतिपय संस्थापनाओं पर लागू नहीं है। नई संस्थापित संस्थापनाओं को कतिपय परिस्थितियों में पांच वर्षों के लिए छूट प्रदान की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को प्रयोज्यता के प्रयोजन से कर्मचपारियों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी है।

(ञ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 : अधिनियम में औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए तंत्र व प्रक्रिया का प्रावधान है कि किन स्थितियों में हड़ताल अथवा तालाबंदी वैध मानी जाती है और कर्मचारियों की छंटनी करने अथवा निकालने अथवा संस्थापना को बंद करने के लिए क्या अपेक्षाएं हैं।

(ट) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 : यह 100 अथवा अधिक कामगारों वाली सभी संस्थापनाओं पर लागू है (कुछ राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा रोजगार का आकार घटाकर 50 कर दिया गया है)। अधिनियम में नियोजक द्वारा अधिनियम में प्रदत्त मामलों पर रोजगार की स्थितियों को शासित करने वाले नियम विनिर्दिष्ट करने और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित कराने के लिए प्रावधान है।

(ठ) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 : अधिनियम में कामगारों और कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन को सिविल और आपराधिक जवाबदेही से कतिपय छूट दी गईहै।

(ड) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1985 : अधिनियम में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्षों से कम की आयु वाले बालकों के रोजगार से प्रतिषेध किया गया है और सभी अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों के रोजगार के नियमन का प्रावधान है। भवन निर्माण और निर्माण उद्योग में बाल श्रमिक को रोजगार प्रतिषेध है।

(ढ़) अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 : अधिनियम ऐसी संस्थापना पर लागू है, जो एक मध्यवर्ती (जिसमें अन्य राज्य में स्थित संस्थापना में रोजगार के लिए किसी राज्य में कामगारों की नियुक्ति है) के माध्यम से 5 अथवा अधिक अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों की नियुक्ति करते हैं। जिस संस्थापना पर यह अधिनियम लागू है, उसमें अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की जानी अपेक्षित हैं, जैसे आवास, चिकित्सा सहायता, घर से संस्थापना तक आने व जाने की यात्रा का व्यय इत्यादि।

(ण) भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा उप कर अधिनियम, 1996 : सभी संस्थापनाएं, जो कोई भवन निर्माण औरअन्य सन्निर्माण कार्यों को करती हैं और 10 अथवा अधिक कामगारों को नियुक्त करती हैं, अधिनियम के तहत शामिल हों, ऐसी सभी संस्थापनाओं को निर्माण की लागत के अधिकतम 2 प्रतिशत की दर पर उप कर का भुगतान करना होता है, जो सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संस्थापना के नियोजक को भवन निर्माण अथवा सन्निर्माण कार्य और अन्य कल्याण के भी उपाय जैसे कैंटीन, फर्स्टएड सुविधाएं, एम्बुलेंस, कामगारों को कार्य स्थल के समीप आवास इत्यादि का प्रावधान करना अपेक्षित है। जिस नियोजक पर अधिनियम लागू है, उसे सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी से एक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होगा।

(त) कारखाना अधिनियम 1948 : अधिनियम में किसी कारखाने की स्थापना से पूर्व योजनाओं के अनुमोदन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों, कल्याण संबंधी प्रावधानों, कार्य के घंटों, वार्षिक अर्जित अवकाश और निर्दिष्ट प्राधिकारियों की दुर्घटना, अथवा खतरनाक घटनाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। यह ऐसे परिसरों के लिए लागू है, जिनमें निर्माण प्रक्रिया में पावर सहायता के साथ 10 अथवा अधिक व्यक्ति अथवा बिना पावर सहायता के साथ 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

18.3.2 पर्यावरण का संरक्षण

ठेकेदार स्थल पर और स्थल से बाहर पर्यावरण के संरक्षण और व्यक्तियों अथवा सार्वजनिक परिसंपत्तियों अथवा अन्य को, उसके प्रचालन के तरीके के कारण होने वाले प्रदूषण, ध्वनि अथवा अन्य नुकसानों से क्षति अथवा ध्वनि से बचाने के लिए सभी तर्कसंगत उपाय करेंगे।

अनुबंध जारी रहने के दौरान, ठेकेदार और उसके उप ठेकेदार पर्यावरणीय संरक्षा के संबंध में सभी मौजूदा कानूनों और उनके तहत बने नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों के उप नियमों और राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा

भविष्य में इस संबंध में जारी अथवा अधिसूचित किए जाने वाले किसी अन्य कानून, उप नियम तथा विनियमों का हर समय पालन करेंगे।

जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974, अधिनियम में जल प्रदूषण का संरक्षण और नियंत्रण करने तथा जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाए रखने और बहाल करने के लिए प्रावधान हो 'प्रदूषण' से तात्पर्य जल के ऐसे संदूषण अथवा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में इस प्रकार के परिवर्तन अथवा सीवेज के ऐसे डिस्चार्ज अथवा ट्रेड एफ्लुएंट अथवा किसी अन्य तरल, गैस अथवा ठोस पदार्थ के जल में (चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) मिलने, अथवा इसके कारण होने वाली संभावित ध्वनि अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य अथ्वा सुरक्षा के लिए अथवा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिकीय अथवा अन्य वैध उपयोगों अथवा पशुओं या पौधों अथवा जलीय जीवों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए ऐसा जल खतरनाक अथवा हानिकारक होने से है।

वायु (प्रदूषण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, इसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रावधान है। 'वायु प्रदूषण' से तात्पर्य वातावरण में किसी ''वायु प्रदूषक'' की मौजूदगी से है, जिसका तात्पर्य किसी ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ (ध्वनि सहित) का वातावरण में इस संकेंद्रण में मौजूद होने से है, जा मानव प्राणियों अथवा अन्य सजीव प्राणियों अथवा पौधों अथवा सम्पत्ति अथवा वातावरण के लिए हानिकारक होगी अथवा हो सकती हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उससे जुड़े मामलों के लिए तथा मानव प्राणियों, अन्य सजीव प्राणियों, योजनाओं और सम्पत्ति के लिए खतरों से बचाव के लिए प्रावधान है। 'पयार्वरण' में जल, वायु और भूमि तथा मानव प्राणियों, अन्य सजीव प्राणियों, पौधों, माइक्रो आर्गेनिज्म और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर-संबद्धता शामिल हैं।

सार्वजनिक जवाबदेही बीमा अधिनियम, 1991, इसमें खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयोजन के लिए और उनसे संबद्ध मामलों के लिए अथवा उनसे हुई क्षति के लिए सार्वजनिक जवाबदेही बीमा का प्रावधान खतरनाक पदार्थ से तात्पर्य किसी पदार्थ अथवा उसके तैयार करने से है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक पदार्थ के रूप में

परिभाषित हैं और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जानेवाली ऐसी मात्रा से अधिक है।

18.3.2.1 (i) ठेकेदार (क) पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधक की एक प्रचालनात्मक प्रणाली स्थापित करेगा,

(ख) अनुबंध की विशेष शर्तों में परिशिष्ट – । के रूप में संलग्न पर्यावरण प्रबंधन योजना में निर्धारित सभी निगरानी और उपशमन उपाय करेगा, और

(ग) ऐसे उपायों को करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित बजट आवंटित करेगा। ठेकेदार ऐसे उपायों के किए जाने पर नियोजक को तिमाही/ अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ii) ठेकेदार सामग्रियों के लाने ले जाने और निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व सड़कों, कृषिकीय भूमि और अन्य अवसंरचना की स्थिति का पर्याप्त रिकार्ड रखेगा और मार्गों, अन्य स्थानीय अवसंरचना तथा कृषि भूमि के निर्माण पूरा होने पर कम से कम उनकी परियोजना से पूर्व की स्थिति तक बहाल करेंगे।

(iii) ठेकेदार जहां कहीं भी लागू है, परियोजना के तहत पारेषण लाइन संरेषण को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान प्रभावित व्यक्तियोंका विस्तृत सर्वेक्षण करेगा; और

(iv) ठेकेदार अनुबंध के तहत नियोजित कामगारों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम चलाएगा और ऐसे कार्यक्रमों में एच आई वी/ एड्स सहित यौन संचारित बीमारियों के जोखिम पर सूचना शामिल करेगा।

18.3.3 सुरक्षा सावधानियां

18.3.3.1 ठेकेदार स्थल पर सुरक्षा से संबंधित सभी लागू विनियमों का पालन करेगा।

जब तक अथवा सहमति न हो, ठेकेदार, स्थल पर कार्य प्रारंभ से लेकर कब्जा देने तक निम्नलिखित व्यवस्था करेगा :-

(क) कार्य के लिए तार की बाड़ लगाना, प्रकाश व्यवस्था करना, रख–रखाव और देखरेख करना; तथा

(ख) नियोक्ता/ उसके प्रतिनिधियों तथा सम्पत्ति के साथ लगते अधिभोगियों, जनता और अन्य के आवास और संरक्षण के लिए आवश्यक अस्थायी सड़क मार्ग, फुटपाथ, रख-रखाव और तार की बाड़ प्रदान करना।

18.3.3.2 ठेकेदार स्थल पर कार्यरत उसके अथवा नियोक्ता के अथवा अन्य के सभी कामगार, सामग्रियां, संयंत्र और उपकरण की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगा । ठेकेदार संगत कानूनों और परियोजना प्रबंधक, जैसे आवश्यक समझे, दोनों द्वारा अपेक्षित सभी सुरक्षा सचूनाओं और सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

18.3.3.3 ठेकेदार यथा समय पूर्व परियोजना प्रबंधक को स्थल पर तरल या गैस ईंधन अथवा विस्फोटक अथवा पैट्रोलियम पदार्थ अथवा खतरनाक रसायनों से भरे किसी कंटेनर को लाने की अपनी इच्छा की सूचना देगा। परियोजना प्रबंधक को यह अधिकार होगा कि यह ऐसी शर्तें लगा सकता है, जिसके तहत ऐसे कंटेनर कार्य के निष्पादन के दौरान स्टोर, हैंडल उपयोग करेगा और ठेकेदार ऐसे निर्देशों का सख्ती पालन करेगा । परियोजना प्रबंधक के पास ऐसे किसी कंटेनर अथवा ऐसे निर्माण संयंत्र/ उपकरण का निरीक्षण करने का विवेकाधिकार होगा, जिसके लिए कंटेनर में सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है और यदि उसकी राय में, उसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है, तो वह इसका उपयोग करने से मना कर सकता है। इस प्रकार से मना किए जाने के कारण कोई भी दावा नियोजक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और नियोजक परियोजना प्रबंधक के निर्देशों के तहत प्रदान किए जाने वाले/ निर्मित अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों/ शर्तों के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।

इसके अलावा, परियोजना प्रबंधक का ऐसा कोई निर्णय किसी भी तरह से ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा और यदि स्थल क्षेत्र में ऐसे कंटेनर का उपयोग अथवा उसका प्रवेश करने से परियोजना प्रबंधक ने मना किया है, तो ठेकेदार नियोजक पर कोई लागत प्रभाव के बिना अथवा कार्य अनुसूची में विस्तार किए बिना परियोजना प्रबंधक की अनुमति से वैकल्पिक तरीके का उपयोग कर सकता है।

18.3.3.4 जहां पैट्रोलियम उत्पादों अथवा पैट्रोलियम मिश्रण और विस्फोटक प्रदान करन और/ अथवा स्टोर करना आवश्यक है, ठेकेदार पैट्रोलियम अधिनियम, 1934, विस्फोटक अधिनियम, 1948 और भारत के विस्फोटक के मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रकाशित पैट्रोलियम एवं कार्बाइड केल्सियम मैन्यूअल के

विनिर्दिष्ट नियमों व विनियमों के अनुसार ऐसे प्रावधान और/ अथवा स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होगा । यदि मुख्य निरीक्षक (विस्फोटक) अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारियों से कोई अनुमोदन आवयक है तो ठेकेदार उसे प्राप्त करनेके लिए जिम्मेदार होगा।

18.3.3.5 निर्माण अथवा हटाने में ठेकेदार के उपयोग में आने वाले सभी उपकरण भारतीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेंगे और जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं है, ठेकेदार उनका पूरी तरह सुरक्षित होना सुनिश्चित करेगा । ठेकेदार द्वारा सभी उपकरणों का निर्माता के प्रचालन मैन्यूअल एवं सुरक्षा निर्देशों के अनुसार तथा इस संबंध में नियोजक के अनुदेशों/ नियमों के तहत सख्ती से प्रचालन और रख-रखाव किया जाएगा।

18.3.3.6 सभी उठाने/ उत्तोलन वाले और पकड़ने वाले उपकरणों की आवधिक जांच और सभी परीक्षण कारखाना अधिनियम, 1948 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और समय समय पर लागू संबद्ध कानूनों/ नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे । ठेकेदार द्वारा ऐसी सभी जांच और परीक्षणों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और उसका समुचित रख-रखाव किया जाएगा और परियोजना प्रबंधक या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार तुरंत दिखाया जाएगा।

18.3.3.7 ठेकेदार बी ए आर सी/ डी ए ई नियमों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार उसके और उसके उप ठेकेदार के रेडियोधर्मी स्रोतों के सुरक्षित स्टोरेज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बी ए आर सी/ ई ए ई द्वारा ऐसी सामग्रियों के उपयोग, भंडारण और हैंडलिंग के लिए विनिर्दिष्ट सभी सावधानी के उपाय ठेकेदार द्वारा किए जाएंगे।

18.3.3.8 ठेकेदार सभी कर्मचारियों और कामगारों को आवश्यकता के अनुसार और परियोजना प्रबंधक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, निर्धारित मानकों के समुचित सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा । परियोजना प्रबंधक के पास इन सुरक्षा उपकरणों के लिए उनकी उपयुक्तता, विश्वसनीयता स्वीकार्यता और अनुकूलता का निर्धारण करने का भी अधिकार होगा । ठेकेदार सभी कागमारों को, जो स्थल पर काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट और जो ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न रंगों वाले ऐसे जैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

18.3.3.9 जहां विस्फोटक का उपयोग किया जाना है, उनका उपयोग किसी विशेषज्ञ, अनुभवी, योग्य और सूक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में और पर्यवेक्षण में,

विस्फोटकों की हैंडलिंग, स्टोरेज और उपयोग संबंधी भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत बनाई गए प्रक्रिया संहिताओं/ नियमों के अनुसार किया जाएगा।

18.3.3.10 ठेकेदार स्थल पर सभी कामगारों और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यगत स्थितियां प्रदान करेगा और पहुंच, रेलिंग, सीढ़ियों, जीना, पाड़ इत्यादि के सुरक्षित तरीके उपलब्ध कराएगा। पाड़ (मचान) को एक अनुभवी और सक्षम व्यक्ति के नियंत्रण एवं देख-रेख में लगाया जाएगा । लगाने के लिए अच्छी और मानक गुणवत्ता वाली सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा।

18.3.3.11 ठेकेदार, चाहे किसी भी परिस्थिति में नियोजक अथवा ठेकेदारों से संबंधित बिजली के फ्यूज/ तार और अन्य विद्युत उपकरणों का तब तक उपयोग अथवा छेड़छाड़ नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा ऐसे फ्यूज, तार अथवा बिजली के उपकरणों का उपयोग करने के लिए लिखित में अनुमति न दे दी जाए।

18.3.3.12 ठेकेदार अन्य ठेकेदारों अथवा नियोजक से संबंधित किसी प्लग, सॉकेट के साथ कोई बिजली उपकरण जोड़ने से पूर्व वह :-

(क) परियोजना प्रबंधक को इस बात के लिए संतुष्ट करेगा कि उपकरण अच्छे कार्य करने की हालत में है ।

(ख) परियोजना प्रबंधक को उपकरणों की अधिकतम करंट रेटिंग, वोल्टेज और फेज के बारे में बताएगा ।

(ग) जिस सॉकेट के साथ उपकरण को जोड़ा जाना है, उसका विवरण देकर परियोजना प्रबंधक की अनुमति प्राप्त करेगा ।

18.3.3.13 परियोजना प्रबंधक जब तक इस बात से संतुष्ट न हो, अनुमति प्रदान नहीं करेगा :-

(क) उपकरण अच्छी स्थिति में है और उपयुक्त प्लग लगाया गया है;

(ख) उपकरण के साथ एक उपयुक्त केवल लगी है, जिसमें दो अर्थ कंडक्टर हैं, जिसमें से एक में कोर पर अर्थ मेटल शीथ हो ।

18.3.3.14 बिना पूर्व अनुमति के ठेकेदार/ नियोजक द्वारा किसी भी प्रयोग में आ रही बिजली की केबल से छेड़छाड़ नहीं करेगा। किसी भी केबल पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं डाला जाएगा और कोई भी सीढ़ी या इस प्रकार का कोई उपकरण उस पर या उसके साथ नहीं रखा जाएगा।

18.3.3.15 किसी भी चालू उपकरण पर कोई मरम्मतका का कार्य नहीं किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा उपकरण को सुरक्षित घोषित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे किसी मरम्मत कार्य से पूर्व परियोजना प्रबंधक से कार्य की अनुमति ली जाएगी।

18.3.3.16 ठेकेदार आवयक संख्या में योग्य, पूर्णकालिक विद्युत कर्मी/ विद्युत पर्यवेक्षकों को नियोजित करेगा ताकि उसकी अस्थायी विद्यूत संस्थापना का रख-रखाव हो सके।

18.3.3.17 250 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले ठेकेदार, चाहे वे अस्थायी, कैजुअल, परिवीक्षा, नियमित अथवा स्थायी अथवा अनुबंध पर हों, कम से कम एक पूर्णकालिक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो विशेष रूप से उपकरणों की सुरक्षा संबंधी पहलुओं के पर्यवेक्षण के लिए सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करे तथा कामगार, जो परियोजना सुरक्षा अधिकारी के साथ समन्वय रखेगा। यदि कार्य उप ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा हो, तो उप ठेकेदार के कामगार/ कर्मचारी भी उपरोक्त प्रयोजन के लिए ठेकेदार के कर्मचारियों/ कामगारों के रूप में मान जाएंगे।

ठेकेदार प्रत्येक 200 कि. मी. की एक पारेषण लाइन परियोजना के लिए एक समर्पित सुरक्षा स्टाफ तैनात करेगा।

यदि ठेकेदार विनिर्दिष्ट किए अनुसार, प्रत्येक अनुबंध के तहत अर्हता प्राप्त सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती करने में विफल होता है तो ठेकेदार नियोजक के पास 15,00,000 रुपए तिमाही राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जो जी सी सी उप नियम 18.3.3.26 के अनुसार सुरक्षा कॉरपस निधि में रखी जाएगी।

ठेकेदार के ऐसे सुरक्षा अधिकारियों के नाम और पते के बारे में परियोजना प्रबंधक को तुरंत सूचित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति प्रभारी सुरक्षा अधिकारीको कार्य शुरू होने से पहले उनके अनुबंध के दौरान अधिकारी में किसी परिवर्तन के बाद तत्काल दी जाएगी।

18.3.3.18 यदि ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण/ उठाव अथवा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है और उससे किसी भी कारण से उसके किसी कर्मचारी को कोई छोटी या बड़ी या घातक चोट लग जाती है, तो ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत परियोजना प्रबंधक को निर्धारित फार्म में, तुरंत अथवा उस घटना के 24 घंटे से पूर्व सूचित करेगा और लागू कानूनों के अनुसार अपेक्षित सभी प्राधिकारियों को भी सूचित करेगा।

इसके बावजूद, यदि कोई घातक दुर्घटना होने पर, ठेकेदार का निदेशक मंडल दुर्घटना की समीक्षा करेगा और फर्म के निदेशक/ कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प की एक प्रति तथा ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इससे बचने के लिए कार्रवाई योजना के साथ नियोजक को तुरंत लेकिन अधिकतम 60 दिनों के भीतर सूचित करेगा । इसके अलावा, ठेकेदारों के सी ई ओ की बैठक करेगा और घातक दुर्घटना होने के कारण के लिए बोर्ड के संकल्प के साथ पावर ग्रिड अपेक्स सेफ्टी बोर्ड को जानकारी देगा तथा साथ ही उनकी भावी कार्रवाई योजना सुरक्षा तैयारी के बारे में घातक घटना होने के 60 दिनों के भीतर सूचित करेगा ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

18.3.3.19 परियोजना प्रबंधक, यदि उसकी राय में कार्य ऐसे ढंग से चल रहा है, जिससे व्यक्तियों और/ अथवा सम्पत्ति और अथवा उपकरण की सुरक्षा को खतरा और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके पास काम को बंद करने का विवेकाधिकार होगा । ऐसे मामलों में ठेकेदार को खतरों की प्रकृति और संभावित क्षति/ दुर्घटना के बारे में लिखित में सूचित करेगा और वह कमियों को तुरंत दूर करने के लिए कार्रवाई करेगा । ठेकेदार कार्य विशेष को बंद करने के बाद, यदि आवश्यक समझे तो कार्य रोकने के 3 दिनों के भीतर कार्य को इस प्रकार से रोकने के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और इस संबंध में परियोजना प्रबंधक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

18.3.3.20 ठेकेदार उपरोक्त जी सी सी उप नियम 18.3.3.19 में यथा प्रदत्त सुरक्षा कारणों की वजह से कार्य के बाद किए जाने के लिए किसी क्षति/ क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा और कार्य को इस प्रकार से बंद करने की अवधि को कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा में विस्तार के रूप में नहीं लिया जाएगा तथा यह निर्णीत क्षतिपूर्ति की माफी के लिए आधार नहीं होगा।

18.3.3.21 ठेकेदार के लिए कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा नियमों की अपेक्षाओं का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें सामान्यत: निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है :-

सुरक्षा नियम

(क) ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा के बारे में प्रारंभिक भरोसा दिलाया जाएगा ताकि वह अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सके।

(ख) किसी भी कर्मचारी को ऐसा नया काम नहीं दिया जाए जिससे वह परिचित न हो, इसके लिए उसे और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों, दोनों को खतरों व दुर्घटनाओं के बारे में पूरी तरह से परिचित कराया जाए।

(ग) किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी जल्दबाजी में अथवा खतरनाक स्थितियों में कार्य करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करे।

(घ) कर्मचारी आग को खुला नहीं छोड़े । अग्नि प्रवण क्षेत्रों के आस पास धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) किसी मादक पेय से प्रभावित कर्मचारियों को, चाहे कम मात्रा में ही प्रभावित हो, काम पर हने नहीं दिया जाएगा।

(च) प्रत्येक कार्य स्थल पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए तीव्र और पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(झ) सीढ़ियों और मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए।

(ज) चलती मशीन पर काम कर रहे कर्मचारियों को ढीले वस्त्र पहनाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों अथवा ऐसे स्थानों पर कार्य करने पर सुरक्षित जूते पहनने की सिफारिश की जाती है, जहां पर सामक्रियां अथवा औजार गिरने की संभावना हो। पटरियों की सुरक्षा के लिए अथवा सक्रिया अथवा चल उपकरणों की सफाई करने के लिए केवल अनुभवी कामगारों को ही अनुमति होगी।

(झ) कर्मचारी प्रत्येक जॉब के लिए आवश्यक मानक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करे । प्रत्येक उपकरण का उपयोग से पूर्व और बाद में निरीक्षण किया जाएगा ।

(ञ) लाइसेंस प्राप्त और अनुभवी गोताखोरों को पानी के भीतर काम करने में वायु संचालन व्यवस्था की जरूरत कीचड़ अथवा बाढ़ की स्थितियों में काम करने के लिए गम बूट के उपयोग की अनिवार्य जरूरतें हैं, जिनको पूरा किया जाए।

(ट) चट्टान की खुदाई के मामले में ब्लास्टिंग लाइसेंस प्राप्त ब्लास्टरों के माध्यम से ही की जानी आवश्यक है और ब्लास्टिंग और चार्ज वाली सामग्रियों के भंडारण/ लाने व ले जाने के दौरान अन्य सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाए।

18.3.3.22 ठेकेदार सभी नियोजक सुरक्षा नियमों, कामगारों, कर्मचारियों, संयंत्र और उपकरण, जो समय समय पर यथा अपेक्षित हैं, के संबंध में लागू कानूनों के संगत प्रावधानों का बिना आपत्ति, विरोध अथवा प्रतिवाद अथवा रोक के अनुसरण और अनुपालन किया जाएगा । उपरोक्त सांविधिक अपेक्षा और नियोजक सुरक्षा नियमों के बीच कोई मतभेद होने पर परवर्ती प्रावधान ठेकेदार पर साविधिक प्रावधानों को सख्त बनाए जाने तक बाध्यकारी होंगे।

18.3.3.23 यदि ठेकेदार नियोजक सुरक्षा नियमों के अनुसार सुरक्षित कार्य वातावरणप्रदान करने में विफल होता है अथवा उपरोक्त जी सी सी उप नियम 18.3.3.19 में यथा प्रदत्त, परियोजना प्रबंधक द्वारा कार्यबंद करने के निर्देश दिए जाने के बाद भी कार्यजारी रहने पर ठेकेदार नियोजक को, नियोजक की मांग पर जी सी सी उप नियम 18.3.3.26 के अनुसरण में परियोजना प्रबंधक द्वारा यथा प्रमाणित अनुदेशों की अनुपालना होने तक 10,000 रुपए प्रतिदिन की दर से अथवा उसका हिस्सा क्षतिपूर्ति के रूप में सुरक्षा कॉरपस निधि में तुरंत जमा करेगा । तथापि, यदि दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति विशेष को क्षति हुई है तो जी सी सी उपनियम 18.3.3.24 में निहित प्रावधान इस नियम में उल्लिखित क्षतिपूर्ति के अलावा भी लागू होंगे।

18.3.3.24 यदि ठेकेदार नियोजक द्वारा यथा निर्धारित सुरक्षा नियमों अथवा उपकरण व संयंत्र की सुरक्षा के लिए अथवा व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए लागू कानून का अनुपालन करने में विफल होता है अथवा पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां नहीं

लेता अथवा ठेकेदार खतरनाक स्थितियों को नहीं रोकता, जिनसे उसके कर्मचारियों अथवा अन्य ठेकेदारों के कर्मचारियों अथवा नियोजक के कर्मचारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो स्थल पर हो अथवा उसके साथ हों, को क्षति हो सकती है, तो ठेकेदार ऐसे व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारी और मृतक के उत्तराधिकारी को नियोजक द्वारा पारित निम्नलिखित राशि, जिसे नियोजक के पास जमा किया जाएगा, का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

क.	घातक क्षति अथवा दुर्घटना जिससे मृत्यु हुई हो	15,00,000 रुपए प्रति व्यक्ति
ख.	प्रमुख क्षति अथवा दुर्घटना, जिससे 25 प्रतिशत या अधिक की स्थायी दिव्यांगता हो	5,00,000 रुपए प्रति व्यक्ति

स्थायी दिव्यांगता का तात्पर्य कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम में यथा उल्लिखित से होगा। नियोजक के पास जमा की जाने वाली और उपरोक्त व्यक्ति को दी गई राशि कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के संगत प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों अथवा समय समय पर यथा लागू किन्हीं अन्य लागू कानूनों के तहत देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी । यदि ठेकेदार उपरोक्त राशि नियोजक के पास जमा नहीं करता है, तो वह राशि नियोजक द्वारा अनुबंध के तहत किसी अन्य चालू अनुबंध के तहत ठेकेदार पर देय राशि अथवा देय होने वाली राशि से वसूली जाएगी ।

उपरोक्त के बावजूद, अनुबंध का निष्पादन करते समय, यदि दुर्घटना के कारण हाथ/ पैर में कोई स्थायी दिव्यांगता होती है तो ठेकेदार किसी गैर सरकारी संगठन के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना के पीड़ित को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिसियल अंग (हाथ/ पैर) उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा और साथ ही उसका उपयोग करने के लिए पीड़ित को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। यदि कोई लागत/ कम हो तो वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और उसका विवरण सूचना के लिए पावर ग्रिड को प्रदान किया जाएगा । उपरोक्त व्यय पीड़ित के लिए यथा लागू देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा ।

यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो ठेकेदार अपने प्रतिनिधि (परियोजना प्रबंधक) को तत्काल वापस लेगा और जी सी सी नियम 13.2 के अनुसरण में नया प्रतिनिधि (परियोजना प्रबंधक) नियुक्त करेगा । इस तरह से हटाए गए ठेकेदार का प्रतिनिधि (परियोजना प्रबंधक) को उसके बाद नियोजक की किसी भी परियोजना/ कार्य में काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

18.3.3.25 उपरोक्त के बावजूद ठेकेदार जी सी सी उप नियम 18.3.3.26 के अनुसरण में सुरक्षा कॉरपस निधि में जमा की जाने वाली अतिरिक्त निम्नलिखित राशि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा :-

क.	ठेकेदार की लापरवाही के कारण प्रथम घातक दुर्घटना होने पर	50,00,000 रुपए
ख.	ठेकेदार की लापरवाही के कारण दूसरी घातक दुर्घटना होने पर	75,00,000 रुपए
ग.	ठेकेदार की लापरवाही के कारण तीसरी घातक दुर्घटना होने पर	1,00,00,000 रुपए
घ.	ठेकेदार की लापरवाही के कारण तीसरी घाटक दुर्घटना होने के बाद भी घातक दुर्घटना पुन: होने पर	1,00,00,000/- प्रति घातक दुर्घटना
ङ.	टावर गिरने के कारण दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार के कारण से एक (01) से अधिक मृत्यु होने पर	1,00,00,000/- प्रति घातक दुर्घटना, जो उपरोक्त क, ख, ग अथवा घ के अतिरिक्त है।

18.3.3.26 सुरक्षा उपायों का पालन न होने के कारण ठेकेदार से भुगतान/ वसूली गई राशि, यदि अन्यथा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट नहीं है, तो नियोजक द्वारा स्थापित 'सुरक्षा कॉरपस निधि' में जमा की जाएगी। 'सुरक्षा कॉरपस निधि' का उपयोग निर्माण कार्यों, कामगारों की क्षमता निर्माण, कामगारों की कार्यगत स्थितियों के विकास, जैसे टेंट/ मोबाइल टायलेट/ कारावेन, सुरक्षा उपकरण एवं संयंत्र इत्यादि और दुर्घटनाओं को कम करने में सुविधा प्रदान करने वाले कोई अन्य क्रियाकलाप करने के लिए किया जाएगा। तथापि, ठेकेदार का इस संबंध में कोई दावा नहीं होगा और नियोजक का इस संबंध में सुव-निर्णय होगा।

18.3.3.27 यदि ठेकेदार नियोजक द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध के जारी रहने के दौरान सभी सुरक्षा नियमों और संहिताओं, सांविधिक कानूनों और नियमों का पालन करता है और कोई दुर्घटना नहीं होती है तो नियोजक ठेकेदार के निष्पादन पर विचार कर सकता है और समय समय पर अलग से घोषित योजना के तहत उपयुक्त 'दुर्घटनायुक्त सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान कर सकता है।

18.3.3.28 ठेकेदार अनुबंध सौंपने के साठ (60) दिनों के भीतर बोली दस्तावेजों के खंड- सैम्पल कार्य और कार्यविधि में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के तहत 'सुरक्षा योजना' और उसमें उल्लिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज भी उसमें निहित जांच सूची के अनुसार इंजीनियर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, सेवा अनुबंध के लिए प्रथम प्रगतिशील भुगतान/ परवर्ती भुगतान जारी करने के लिए शर्तों में एक शर्त सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित 'सुरक्षा योजना' और प्रस्तुत करने और प्रभारी इंजीनियर उसका अनुमोदन किए जाने के लिए होगी।

18.4 अन्य ठेकेदारों के लिए अवसर

18.4.1 ठेकेदार नियोजक अथवा परियोजना प्रबंधक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर नियोजक द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य ठेकेदार को स्थल पर अथवा स्थल के समीप कार्य करने के लिए सभी तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगा।

18.4.2 यदि ठेकेदार नियोजक अथवा परियोजना प्रबंधक से लिखित अनुरोध मिलने पर दूसरे ठेकेदारों को कोई सड़क अथवा मार्ग उपलब्ध कराता है, जिसका रख-रखाव करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है, ऐसे अन्य ठेकेदारों द्वारा ठेकेदार के उपकरण का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है अथवा ऐसे अन्य ठेकेदारों के लिए किसी भी प्रकृति की कोई अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो नियोजक ठेकेदार से ऐसे किसी उपयोग अथवा सेवा के संबंध में ऐसे अन्य ठेकेदारों को हुए किसी नुकसान अथवा हुई क्षति अथवा हानि की प्रतिपूर्ति करेगा और ठेकेदार को ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए अथवा ऐसी सेवाओं के प्रावधान के लिए भुगतान करेगा।

18.4.3 ठेकेदार दूसरे ठेकेदार के कार्य में जहां तक संभव हो, कम से कम हस्तक्षेप करके अपने कार्य के निष्पादन की भी व्यवस्था करेगा । परियोजना प्रबंधक ठेकेदार और अन्य ठेकेदारों तथा नियोजक के कामगारों के बीच उनके कार्य के संबंध में उत्पन्न किसी मतभेद अथवा विवाद का निवारण करेगा।

18.4.4 ठेकेदार परियोजना प्रबंध को उसके ध्यान में आई अन्य ठेकेदारों के कार्य में ऐसी किसी कमी के संबंध में तुरंत सूचित करेगा, जिससे कि ठेकेदार का कार्य प्रभावित हो सकता है । परियोजना प्रबंधक सुविधाओं के निरीक्षण के बाद स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हो, निर्धारित करेगा । परियोजना प्रबंधक का निर्णय ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

18.5 आकस्मिक कार्य

यदि अनुबंध के निष्पादन के दौरान इसके संबंध में किसी कारण से कोई आकस्मिकता आती है, तो सुविधाओं की क्षति को दूर करने के लिए

तत्कालिक मामले के रूप में आवश्यक निवारात्मक अथवा उपचारी कार्य अपेक्षित हैं तो ठेकेदार तत्काल ऐसे कार्य को करेगा।

यदि ठेकेदार तत्काल ऐसे कार्य को करने में असमर्थ है अथवा अनिच्छुक है, तो नियोजक सुविधाओं की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यकता के अनुसार ऐसा कार्य कर सकता है अथवा करेगा । ऐसी स्थिति में, नियोजक ऐसी तात्कालिकता आने के बाद यदि संभव हो तो यथाशीघ्र ठेकेदार को ऐसी आकस्मिकता के बारे में किए गए कार्य और उसके कारण को बताएगा । यदि नियोजक द्वारा किया गया कार्य अथवा किए जाने वाला कार्य अनुबंध के तहत उसके अपने खर्चे से किया जाना था तो ठेकेदार नियोजक को उस कार्य के संबंध में हुए तर्कसंगत व्यय कर भुगतान करेगा । ऐसे मामले में यदि ऐसा कार्य ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में नहीं है तो ऐसे उपचारी कार्यका व्यय नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

18.6 स्थल को खाली रखना

18.6.1 कार्य निष्पादन के दौरान स्थल को खाली रखना : अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार स्थल को सभी अनावश्यक बाधाओं, स्टोर से तर्कसंगत रूप से मुक्त रखेगा, अथवा किसी भी फालतू सामग्री को हटाएगा, मलबे, कूड़े, अथवा अस्थायी कार्य को स्थल से हटाएगा और अनुबंध के निष्पादन के लिए ठेकेदार के जिन उपकरणों की अब जरूरत नहीं है, उन्हें हटाएगा।

18.6.2 समापन के बाद स्थल को खाली रखना : सुविधाओं के सभी भागों को पूरा करने के बाद ठेकेदार स्थल पर किसी भी तरह के मलबे, कूड़े करकट और कचरे को साफ कर हटाएगा और स्थल तथा सुविधाओं को साफ सुथरा एवं सुरक्षित छोड़ेगा।

18.7 देख–रेख और प्रकाश व्यवस्था

ठेकेदार सभी प्रकाश व्यवस्था, तार–बाड़ प्रदान करेगा और अपने खर्च पर उनका रख–रखाव करेगा तथा सुविधाओं के समुचित निष्पादन और संरक्षण के लिए अथवा आस–पास की सम्पत्ति मालिकों एवं अधिभोगियों की सुरक्षा तथा जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक देख– रेख करेगा।

18.8 अवकाश के दौरान रात के समय कार्य करना

18.8.1 जब तक अनुबंध में अन्यथा प्रदत्त न हो, रात के दौरान और देश के ऐसे भागो में जहां स्थल स्थित है, सार्वजनिक अवकाश को नियोजक की पूर्व

लिखित सहमति के बिना केवल ऐसे मामलों को छोड़कर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जहां सुविधाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य करना हो अथवा जीवन की सुरक्षा के लिए अथवा सम्पत्ति की हानि अथवा क्षति को रोकने के लिए कार्य आवश्यक हो, जिसके लिए ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को शीघ्र परामर्श देगा, बशर्ते कि इस जीसीसी उप नियम 18.8.1 के प्रावधान किसी ऐसे कार्य के लिए लागू नहीं होंगे जहां पर कार्य की प्रथा के अनुसार बदली-वार अथवा दो शिफ्टों में किया जाना हो ।

18.8.2 जी सी सी उप नियम 18.8.1 अथवा 18.1.3 के बावजूद, यदि ठेकेदार कार्य को रात के समय अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिन करना आवश्यक समझता है ताकि समापन के लिए समय अनुसूची को पूरा किया जा सके और नियोजक की सहमति के लिए अनुरोध करता है तो नियोजक अनावश्यक रूप से ऐसी सहमति से मना नहीं करेगा।

19. परीक्षण और निरीक्षण

19.1 ठेकेदार अपने निजी खर्च पर निर्माण के स्थान पर और/ अथवा इस प्रकार के सभी स्थानों पर संयंत्रों व उपकरणों से संबंधित सुविधाओं और उनके किसी भाग जिसका उल्लेख इस अनुबंध में किया गया है, का परीक्षण/ या निरीक्षण करेगा।

19.2 नियोजक और परियोजना प्रबंधक अथवा उसके नामित प्रतिनिधियों को उपर्युक्त परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होगा बशर्ते की नियोजक सभी यात्रा संबंधी और ठहरने आदि के खर्चों सहित इस प्रकार से उपस्थित रहने के संबंध में होने वाले अन्य खर्चों और लागतों को वहन करेगा।

19.3 जब कभी ठेकेदार इस प्रकार के किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण करने के लिए तैयार हो, तब ठेकेदार इस प्रकार के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण तथा स्थान एवं समय आदि के बारे में परियोजना प्रबंधक को चार सप्ताह की अग्रिम सूचना देगा। ठेकेदार नियोजक और परियोजना प्रबंधक (अथवा उनके नामित प्रतिनिधियों को) उस परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थिति होने में सक्षम बनाने के लिए किसी संगत तृतीय पक्ष अथवा विनिर्माता से आवश्यक अनुमति अथवा सहमति प्राप्त करेगा।

19.4 ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को इस प्रकार के किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण के परिणामों की एक सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

यदि नियोजक अथवा परियोजना प्रबंधक (या उनके नामित प्रतिनिधि) उस परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थित होने में असफल होता है अथवा यदि इस पर उन पक्षकारों के बीच सहमति बनती है कि इस प्रकार के व्यक्ति वैसा नहीं करेंगे, तब ठेकेदार इस प्रकार के व्यक्तियों की अनुपस्थिति में परीक्षण और/ अथवा निरीक्षाण करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा और परियोजना प्रबंधक को उसके परिणामों की एक सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

19.5 परियोजना प्रबंधक ठेकेदार से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस अनुबंध के तहत अनपेक्षित किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण को भी कर सकता है बशर्ते कि ठेकेदार उचित लागत और खर्च, जो इस प्रकार के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण को करने में किया गया हो, को अनुबंध की कीमत में जोड़ा जाये। इसके अलावा, यदि इस प्रकार के परीक्षण/ निरीक्षण से सामानों के कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती हो और/ अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत इसके अन्य दायित्वों से ठेकेदार के कार्य निष्पादन में अवरोध पैदा होता हो, तब प्रदायगी कार्यक्रम तथा इस प्रकार से प्रतिकूल रूप में प्रभावित अन्य दायित्वों के संबंध में उचित अनुमति दी जायेगी।

19.6 नियोजक ऐसे किसी संयंत्र और उपकरण अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है, जो किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में सफल न हुआ हो अथवा जो विनिर्देशनों के अनुरूप न हो । ठेकेदार या तो इस प्रकार से अस्वीकार किए गए संयंत्र एवं उपकरण अथवा उसके भाग को ठीक कर सकेगा अथवा उसे बदल सकेगा और जी सी सी उप नियम 19.3 के अंतर्गत सूचना देने के बाद फिर से परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण करेगा।

19.7 इन संयंत्र व उपकरणों अथवा उसके किसी भाग के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले इन पक्षकारों के बीच किसी विवाद होने अथवा मत में अंतर होने पर उसका निपटारा उन पक्षकारों के बीच एक उचित समय अवधि के भीतर किया जा सकता है और इसे जी सी सी उप नियम 39 के अनुसार निर्धारण के लिए किसी मध्यस्थ को भेजा जा सकता है।

19.8 ठेकेदार नियोजक और परियोजना प्रबंधक को नियोजक के खर्च पर किसी उचित समय अवधि में किसी स्थान तक भेज सकता है जहां इन संयंत्र व उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है अथवा सुविधाएं संस्थापित की जा

रही है ताकि निर्माण की प्रगति और तरीके का निरीक्षण किया जा सके बशर्ते कि परियोजना प्रबंधक ठेकेदार को एक उचित पूर्व सूचना देगा।

19.9 ठेकेदार इस बात पर सहमत है कि संयंत्र एवं उपकरण का अथवा उसके किसी भाग का न तो किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण का कार्यान्वयन और न ही परियोजना परियोजना प्रबंधक अथवा नियोजक द्वारा वहां उपस्थित होने और न ही जी सी सी उप नियम 19.4 के अनुसरण में किसी परीक्षण प्रमाण पत्र को जारी करने से ठेकेदार इस अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य जिम्मेदारी से मुक्त हो पायेगा।

19.10 ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपेक्षित किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण किए बिना स्थल पर सुविधा के किसी भाग अथवा नींव को कवर नहीं किया जाएगा। ठेकेदार जब भी सुविधाओं अथवा नींव के ऐसे भाग परीक्षण और/ निरीक्षण के लिए तैयार हो अथवा तैयार होने वाला हो तो परियोजना प्रबंधक को एक तर्कसंगत सूचना देगा और यह सूचना अनुबंध की अपेक्षाओं के अध्यधीन होगी।

19.11 ठेकेदार, स्थल पर परियोजना प्रबंधक की समय समय पर मांग के अनुसार अथवा सुविधाओं के किसी भाग को अथवा नींव को खोलेगा और ऐसे भाग अथवा भागों की मरम्मत करके उसे ठीक करेगा।

यदि सुविधाओं अथवा नींव के किसी भागों को जी सी सी उप नियम 19.10 की अपेक्षा के अनुपालन के बाद स्थल पर कवर किया जाता है और अनुबंध के अनुसार निष्पादित पाया जाता है तो उसे हटाने, खोलने, अथवा मरम्मत करने और ठीक करने का कम नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा तथा पूरा करने के लिए लगे समय को अनुबंध के तहत इसके किसी दायित्वों का निष्पादन करने में हुए विलंब अथवा उल्लंघन की सीमा तक तर्कसंगत रूप से समायोजित किया जाएगा।

20. सुविधाओं का समापन और प्रचालनात्मक स्वीकृति

20.1 सुविधाओं का समापन

20.1.1 भैतिक समापन

20.1.1.1 जैसे ही सुविधाओं और उसके किसी भाग का कार्य निष्पादन ठेकेदार के विचार से तकनीकी विनिर्देशनों में किए गए उल्लेख के अनुसार छोटी कमियों को छोड़कर जिनसे सुविधाओं के प्रचालन अथवा सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता

हो, पूरा कर लिया गया हो और उचित व साफ अवस्था में रखा गया हो, तो ठेकेदार नियोजक को लिखित रूप में सूचना देगा।

20.1.2 पूर्व – प्रवर्तन

20.1.2.1 जी सी सी उप नियम 20.1.1.1 के तहत ठेकेदार से सूचना प्राप्त होने के बाद सात (7) दिनों के भीतर परियोजना प्रबंधक सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के पूर्व – प्रवर्तन के लिए अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट – 6 (नियोजक द्वारा कार्य और आपूर्ति का दायरा) में यदि विनिर्दिष्ट है, तो प्रचालन और रख-रखाव व्यक्तियों और अन्य सामग्रियों को तैयार करेगा।

20.1.2.2 नियोजक द्वारा प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए व्यक्तियों की तैनाती करने के बाद और नियोजक द्वारा जी सी सी उप नियम 20.1.2.1 के अनुसरण में अन्य सामग्रियों की तैनाती किए जाने के बाद जितना संभव हो, उतना शीघ्र ठेकेदार नियोजक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुविधाओं के पूर्व प्रवर्तन के लिए तैयारी के तकनीकी विनिर्देशनों में दी गई प्रक्रिया के तहत सुविधाओं अथवा उसके भाग का पूर्व प्रवर्तन आरंभ करेगा।

20.1.2.3 जैसे ही पूर्व प्रवर्तन के संबंध में सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएं और ठेकेदार की राय में सुविधाएं अथवा उसका कोई भाग प्रवर्तन के लिए तैयार हो, ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को लिखित में अधिसूचित करेगा।

20.1.2.4 परियोजना प्रबंधक जी सी सी उप नियम 20.1.2.3 के तहत ठेकेदार की सूचना प्राप्त होने के बाद चौहद (14) दिनों के भीतर ठेकेदार को किसी दोष और/ अथवा कमियों के संबंध में लिखित में सूचित करेगा।

20.1.2.5 यदि परियोजना प्रबंधक किसी दोष और/ अथवा कमी के संबंध में ठेकेदार को अधिसूचित करता है, तो ठेकेदार ऐसे दोषों और/ अथवा कमियों को दूर करेगा और जी सी सी उप नियम 20.1.2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को दोहराएगा। यदि ठेकेदार की राय में सुविधाएं अथवा उसका कोई भाग अब प्रवर्तन के लिए तैयार है, तो ठेकेदार पुन: परियोजना प्रबंधक को लिखित में अधिसूचित करेगा। यदि परियोजना प्रबंधक को अन्य कोई दोष और/ अथवा कमियां नहीं अधिसूचित की जाती हैं और परियोजना प्रबंधक संतुष्ट है कि सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का पूर्व प्रवर्तन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है तो परियोजना प्रबंधक ठेकेदार से ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद सात (7) दिनों के भीतर ठेकेदार को सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के प्रवर्तन के लिए कह सकता है।

20.1.2.6 यदि परियोजना प्रबंधक जी सी सी उप नियम 20.1.2.4 के तहत ठेकेदार की सूचना प्राप्त होने के बाद चौहद (14) दिनों के भीतर अथवा जी सी सी उप नियम 20.1.2.5 के तहत पुन: प्रक्रिया पूरी होने पर ठेकेदार की सूचना प्राप्त होने के बाद सात (7) दिनों के भीतर किसी दोष और/ अथवा कमियों को सूचना देने में विफल होता है तो ठेकेदार की सूचना प्राप्ति की तारीख को सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का पूर्व प्रवर्तन सफलतापूर्वक किया गया माना जाएगा।

20.1.2.7 जैसे ही पूर्व प्रवर्तन पूरा हो जाएगा, ठेकेदार सभी बकाया छुट-पुट कार्यों को पूरा करेगा ताकि सुविधाएं पूरी तरह से अनुबंध की अपेक्षाओं के अनुरूप हों, अन्यथा नियोजक ऐसे समापन को करेगा और उसकी लागत ठेकेदार की बकाया किसी राशि से काट ली जाएगी।

20.1.2.8 ऐसी स्थिति में, जब ठेकेदार उप नियम 20.1.2 के अनुसरण में सुविधाओं के पूर्व प्रवर्तन के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हैं, जो या तो अन्य ठेकेदारों की जिम्मेदारियों के तहत अन्य सुविधाओं की उपलब्धता न होने के कारण अथवा नियोजक के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-

क) जी सी सी उप नियम 21.2 के अनुसरण में क्षतिपूर्ति लगाए बिना निलंबन की अवधि के लिए समापन समय बढ़ाया जाएगा ।

ख) अनुबंध करार के परिशिष्ट - 1 (भुगतान की शर्तें एवं कार्यविधि) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार पर देय भुगतान, जो उक्त क्रियाकलाप और दायित्व पूरे न किए जाने के कारण सामान्य परिस्थितियों में देय नहीं होंगे, ठेकेदार को, नियोजक को स्वीकार्य राशि के समान बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी और वह जब ठेकेदार इन भुगतानों के संबंध में नीचे जी सी सी उप नियम 21.2.9 के प्रावधानों के अध्यधीन अपने दायित्वों को पूरा कर लेगा तो यह निष्फल हो जाएगी।

ग) ठेकेदार द्वारा बैंकरों को उपरोक्त प्रतिभूति के विस्तार और अनुबंध के तहत अन्य प्रतिभूमियों के विस्तार के लिए भुगतान योग्य व्यय, जिसकी वैधता को बढ़ाया जाना आवश्यक है, नियोजक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

घ) जी सी सी उप नियम 28.1 के अनुसरण में नियोजक द्वारा ठेकेदार को सुविधाओं की देखरेख के लिए अतिरिक्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति उपरोक्त अधिसूचना और नीचे जी सी सी उप नियम 20.1.2.10 में उल्लिखित अधिसूचना के बीच की अवधि के लिए की जाएगी। जी सी सी उप नियम 29.2 के प्रावधान उस अवधि के दौरान सुविधाओं के लिए लागू होंगे।

20.1.2.9 ऐसी स्थिति में, जब जी सी सी उप नियम 20.1.2.8 के तहत निलंबन की अवधि वास्तव में एक सौ अस्सी (180) दिनों से अधिक हो जाती है, तो नियोजक और ठेकेदार आपसी सहमति से ठेकेदार को किसी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए सहमत होंगे।

20.1.2.10 जब भी जी सी सी उप नियम 20.1.2.8 के तहत निलंबन की अवधि के बाद ठेकेदार को परियोजना प्रबंधक द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सुविधाएं पूर्व प्रवर्तन के लिए तैयार हैं तो ठेकेदार अनुबंध के तहत सभी क्रियाकलापों और दायित्वों को पूरा करने में बिना विलंब किए कार्य शुरू करेगा।

20.1.3 प्रवर्तन करना

20.1.3.1 परियोजना प्रबंधक द्वारा परामर्श दिए जाने के बाद जी सी सी उप नियम 20.1.2.5 के अनुसरण में अथवा जी सी सी उप नियम 20.1.2.6 के तहत पूर्व प्रवर्तन पूरा होना मान लिए जाने के तत्काल बाद प्रवर्तन किया जाएगा।

20.1.3.1.1 सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के प्रवर्तन तकनीकी विनिर्देशनों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदार द्वारा पूरा किया जाएगा।

20.1.3.2 नियोजक परिशिष्ट – 6 (नियोजक द्वारा कार्यों और आपूर्ति का दायरा) में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रचालन और रख-रखाव संबंधी व्यक्तियों की तैनाती और कच्ची सामग्री, उपयोगी सेवाओं, लुब्रिकेंट, कैमिकल, केटलिस्ट, सुविधाओं, सेवाओं और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित अन्य सामग्रियों की तैनाती करेगा।

20.1.3.3 यदि ऐसी स्थिति में, जब ठेकेदार उप नियम 20.1.3 के अनुसरण में सुविधाओं के पूर्व प्रवर्तन के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, जो या तो अन्य ठेकेदारों की जिम्मेदारियों के तहत अन्य सुविधाओं की उपलब्धता न

होने के कारण अथवा नियोजक के नियंत्रण से बाहर कारणों की वजह से है, जी सी सी उप नियम 20.1.2.8 और 20.1.2.9 के प्रावधान लागू होंगे।

20.1.3.4 जब भी जी सी सी उप नियम 20.1.2.8 के तहत निंबंधन की अवधि के बाद ठेकेदार को परियोजना प्रबंधक द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सुविधाएं प्रवर्तन के लिए तैयार हैं, तो ठेकेदार अनुबंध के तहत क्रियाकलापों और दायित्वों के लिए बिना विलंब कार्य करेगा।

20.1.4 परीक्षण- प्रचालन

20.1.4.1 सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का परीक्षण – प्रचालन ठेकेदार द्वारा जी सी सी उप नियम 20.1.3.1.1 के अनुसरण में प्रवर्तन पूरा होने के बाद तत्काल शुरू किया जाएगा।

20.1.4.2 सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का परीक्षण प्रचालन ठेकेदार द्वारा, तकनीकी विनिर्देशों में विर्निष्ट अवधि के लिए (जहां तकनीकी विनिर्देशों में अवधि निर्दिष्ट नहीं है, वहां 24 घंटे की निरंतर अवधि के लिए) और तकनीकी विनिर्देशों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा।

20.1.4.3 जी सी सी उप नियम 20.1.4.2 में निर्धारित किए जाने के बाद कभी भी ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को एक सूचना देगा जिसमें वह सूचना की तारीख को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के संबंध में नियोजक को स्वीकार्य रूप में अथवा बोली दस्तावेजों में प्रदत्त रूप में कब्जा लेने का प्रमाण जारी करने का अनुरोध करेगा।

20.1.4.4 परियोजना प्रबंधक ठेकेदार की सूचना प्राप्त होने के बाद इक्कीस (21) दिनों के भीतर कब्जा लेने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

20.1.5 अधिग्रहित करना

20.1.5.1 इन सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का सफलतापूर्वक परीक्षण- प्रचालन किए जाने पर, जी सी सी उप नियम 20.1.4 के अनुसरण में परियोजना प्रबंधक इन सुविधाओं को अथवा उनके किसी भाग को अंतिम रूप से स्वीकार्य किए जाने के एक प्रमाण के रूप में एक अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र ठेकेदार को उनके किसी ऐसे दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के बाद अनुबंध के नियम एवं शर्तों के तहत अन्यथा बना रहता ।

20.1.5.2 यदि ठेकेदार की सूचना प्राप्ति के बाद इक्कीस (21) दिनों के भीतर परियोजना प्रबंधक अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाता है अथवा ठेकेदार को न्यायोचित कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचना नहीं देता है कि क्यों परियोजना प्रबंधक ने अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, तब सुविधाओं अथवा उसके किसी संगत भाग के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने ठेकेदार की इस सूचना की तिथि को स्वीकार कर लिया है।

20.1.5.3 सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का कब्जा लेने पर नियोजक सुविधाओं अथवा उसमें किसी भाग की देख-रेख और अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें उसकी क्षति अथवा हानि का जोखिम शामिल होगा और उसके बाद सुविधाओं अथवा उसके संगत भाग का कब्जा लेगा।

20.2 प्रचालनात्मक स्वीकृति

20.2.1 गारंटी परीक्षण

20.2.1.1 गारंटी परीक्षण (और तत्संबंधी पुनरावृति), यदि एस सी सी और/ अथवा तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट है, तो ठेकेदार द्वारा यह पता लगाने के लिए सुविधाओं अथवा उसके किसी संगत भाग के सफलतापूर्वक परीक्षण प्रचालन के बाद की जाएगी कि क्या सुविधाओं अथवा उसके संगत भाग अनुबंध दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अथवा तकनीकी विनिर्देशनों के तहत अन्यथा अपेक्षित कार्यात्मक गारंटी प्राप्त कर सकती है । ठेकेदार और परियोजना प्रबंधक के परामर्शी व्यक्ति गारंटी परीक्षण के साक्षी हो सकते हैं। ठेकेदार गारंटी परीक्षा और उसकी किसी पुनरावृत्ति) के करने और परिणामों के संबंध में नियोजक को यथा अपेक्षित सूचना तत्काल नियोजक को प्रदान करेगा।

20.2.1.2 यदि ऐसे कारणों से जो ठेकेदार की वजह से नहीं हैं, सुविधाओं अथवा उसके संगत भाग का तकनीकी विनिर्देशों में पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि में निर्धारित समय के भीतर गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक नहीं हो सकता तो उस पर नियोजक और ठेकेदार की सहमति होगी।

20.2.2 प्रचालनात्मक स्वीकृति

20.2.2.1 सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के संबंध में प्रचालनात्मक स्वीकृति निम्नलिखित अनुसार होगी :-

(I) यदि कोई कार्यात्मक गारंटी लागू नहीं है, तो प्रचालनात्मक स्वीकृति तब होगी जब सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग को चालू कर दिया गया है और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षण प्रचालन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

(II) यदि कार्यात्मक गारंटी लागू है तो प्रचालन स्वीकृति तब होगी जब कार्यात्मक गारंटी पूरी हो जाए अथवा ठेकेदार ने जी सी सी उप नियम 23.3 में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है, अथवा

20.2.2.2 जी सी सी उप नियम 20.2.2.1 में निर्धारित किसी समय कोई घटना होती है तो ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को एक सूचना देगा जिसमें बोली दस्तावेजों में प्रदत्त फार्म में अथवा सुविधाओं अथवा तत्संबंधी भाग के संबंधों, जैसा कि ऐसी सूचना की तारीख को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट हो, नियोजक को स्वीकार्य रूप में प्रचालनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करेगा।

20.2.2.3 परियोजना प्रबंधक ठेकेदार की सूचना प्राप्त होने के बाद इक्कीस (21) दिनों के भीतर प्रचालनात्मक स्वीकृति जारी करेगा।

20.2.2.4 प्रचालनात्मक स्वीकृति के बाद जी सी सी उप नियम 20.2.2.2 के अनुसरण में, परियोजना प्रबंधक ठेकेदार को संयंत्र एवं उपकरण की अंतिम स्वीकृति के प्रमाण के रूप में एक प्रचालनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे प्रमाण पत्र से ठेकेदार ऐसी किसी अन्य बाध्यता से मुक्त नहीं होगा, जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों से अन्यथा बचाव करती हो।

20.2.2.5 यदि ठेकेदार की सूचना प्राप्ति के बाद इक्कीस (21) दिनोंके भीतर परियोजना प्रबंधक प्रचलनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने में असफल रहता है अथवा ठेकेदार को ऐसे न्यायोचित कारणों की वजह से विफलता के बारे में लिखित में सूचित करने में विफल रहता है कि क्यों परियोजना प्रबंधक ने प्रचालनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, तो सुविधाएं अथवा उसके संगत भाग को ठेकेदार की उस सूचना की तारीख से स्वीकार माना जाएगा।

20.3 आंशिक स्वीकृति

20.3.1 यदि अनुबंध में यह विनिर्दिष्ट है कि सुविधाओं के भाग के संबंध में प्रवर्तन (चालू) किया जाएगा तो परीक्षण प्रचालन और गारंटी जांच सहित प्रवर्तन (चालू करना) के संबंध में प्रावधान सुविधाओं के ऐसे प्रत्येक भाग पर अलग अलग लागू होंगे और प्रचालनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र तदनुसार सुविधा के ऐसे प्रत्येक भाग के लिए जारी किया जाएगा।

च. गारंटी और देनदारी

21. समापन समय की गारंटी

21.1 ठेकेदार इस बात की गारंटी देता है कि यह जी सी सी नियम 4.2 के अनुसरण में एस सी सी में दिए गए समय अथवा इस प्रकार से बढ़ाये गए समय जिसके लिए ठेकेदार इसके जी सी सी नियम 34 के अंतर्गत हकदार होगा, के भीतर सुविधाएं (अथवा उसके किसी हिस्से जिसके लिए एस सी सी एक अलग समय कार्यक्रम का उल्लेख किया गया हो), प्राप्त करेगा।

21.2 यदि ठेकेदार समग्र सुविधाओं के लिए (अथवा उसके किसी हिस्से जिसके लिए एक अलग समय कार्यक्रम पर सहमति बनी हो), के लिए नियम जी सी सी 21 के अनुसार प्रदायगी समय कार्यक्रम का अनुपालन करने में असफल होता हो, तब ठेकेदार समग्र सुविधाओं (अथवा किसी हिस्से जिसके लिए एक अलग कार्यक्रम पर सहमति बनी हो), के लिए अनुबंध कीमत के आधा प्रतिशत (0.5%) के समतुल्य राशि नियोजक को इस प्रकार की चूक के लिए और न की दण्ड राशि के रूप में परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में समग्र सुविधाओं (अथवा उसमें किसी हिस्से, जिसके लिए एक अलग कार्यक्रम पर सहमति बनी हो) के लिए अनुबंध की कीमत के पांच प्रतिशत (5%) की सीमा के अध्यधीन वास्तविक सुपुदर्गी अथवा कार्य निष्पादन के समय तक विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिए जो समापन के संगत समय और समस्त कार्यों (अथवा उसके किसी भाग के लिए, जिसके लिए एक अलग कार्यक्रम पर सहमति बनी हो) के लिए कब्जा लेने के प्रमाण पत्र में दी गई तारीख के बीच समाप्त होगी । इस अनुबंध के अंतर्गत नियोजक के अन्य उपायों के संबंध में बिना पूर्वाग्रह के भुगतान करेगा । नियोजक वसूली के किसी अन्य तरीके के संबंध में पूर्वाग्रह के बिना ठेकेदार को देय अथवा देय होने वाली किसी धनराशि से इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान अथवा कटौती से ठेकेदार इन कार्यों को पूरा करने के अपने दायित्व अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायत्वों और देयताओं में से किसी अन्य से मुक्त नहीं होगा।

21.3 इन सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग को पहले पूरा किए जाने के लिए कोई बोनस नहीं दिया जाएगा।

22. दोष संबंधी देयताएं

22.1 ठेकेदार इस बात की गारंटी देता है कि सुविधाएं अथवा उसका कोई भाग डिजाइन, इंजीनियरी, सामग्री और निष्पादित कार्य के लिए आपूर्ति किए गए संयंत्र एवं उपकरण की कारीगरी में दोष से मुक्त होगा।

22.2 जब तक कि एस सी सी में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, दोष संबंधी देयता अवधि इन सुविधाओं, (अथवा उसमें तत्संबंधी भाग) के कब्जा लेने/ समापन की तिथि से बारह (12) महीने की एक अवधि के लिए होगी।

यदि क्षेत्र संबंधी देयता अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य अथवा आपूर्ति किए गए संयंत्र एवं उपकरण के डिजाइन, इंजीनियरी, सामग्री और कारीगरी में कोई दोष पाया जाता है तो ठेकेदार नियोजक के परामर्श से और उसकी सहमति से तुरंत दोषों या उपयुक्त निवारण और अपनी लागत पर मरम्मत, बदली अथवा अन्यथा उसे ठीक करेगा (जैसा कि ठेकेदार अपने विवेक से ठीक समझे), ऐसे दोषों और ऐसे दोषों के कारण सुविधाओं को हुई किसी क्षति को दूर करेगा। ठेकेदार निम्नलिखित कारणों से हुई सुविधाओं की किसी क्षति अथवा किसी दोष की मरम्मत करने, बदलने अथवा ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा :-

(क) नियोजक द्वारा सुविधाओं का अनुचित प्रचालन अथवा रख-रखाव करना ।

(ख) अनुबंध के प्रदत्त विनिर्देशों से हटकर सुविधाओं का प्रचालन करना ।

(ग) सामान्य टूट फूट ।

22.3 इस जी सी सी नियम 22 के तहत ठेकेदार की बाध्यता निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-

(क) जी सी सी उप नियम 17.2 के तहत नियोजक द्वारा आपूर्ति की गई किसी सामग्री, जो सामान्यत: प्रचालन में समाप्त हो जाती है, अथवा विनिर्दिष्ट दोष संबंधी देयता अवधि से कम का सामान्य कार्यकाल हो।

(ख) नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से डिजाइन किए गए, आपूर्ति किए गए अथवा विनिर्दिष्ट किए गए किसी डिजाइन, निनिर्देशन अथवा अन्य डाटा अथवा ऐसा कोई अन्य मामला जिसके लिए ठेकेदार ने इसमें जिममेदारियों डिजाइन की आपूर्ति, अथवा विनिर्देशन ।

(ग) जी सी सी उप नियम 22.7 के तहत नियोजक द्वारा निष्पादित कार्य के अलावा नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित अन्य कार्य अथवा आपूर्ति की गई कोई अन्य सामग्रियां त्याग दी हैं ।

22.4 नियोजक ठेकेदार को इस बात का उल्लेख करते हुए सूचना देगा कि उसके सभी उपलब्ध साक्ष्य के साथ साथ इस प्रकार के किसी दोष की प्रकृति क्या है और वह उसका पता लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगा । नियोजक इस प्रकार की खामियों का निरीक्षण करने के लिए ठेकेदार के लिए पर्याप्त उचित अवसर प्रदान करेगा।

22.5 नियोजक सुविधाओं और स्थल के लिए आवश्यक पहुंच प्रदान करेगा ताकि ठेकेदार इस जी सी सी नियम 22 के तहत अपनी बाध्यता को पूरा कर सके। ठेकेदार नियोजक की सहमति से स्थल से संयंत्र और उपकरण अथवा सुविधाओं के किसी भाग को हटा सकता है, जो कि इस पर से दोषकारी है कि दोष के कारण सुविधाओं को कोई क्षति और/ अथवा दोष की प्रकृति ऐसी है कि स्थल पर तत्काल उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती ।

22.6 यदि मरम्मत, बदली अथवा ठीक करने का कार्य इस प्रकार का है कि इससे सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग की क्षमता प्रभावित होती हो, तो नियोजक ठेकेदार को एक सूचना दे सकता है कि सुविधाओं के खराब हिस्से का परीक्षण ठेकेदार द्वारा ऐसे उपचारी कार्य के पूरा होने पर तत्काल किया जाएगा, जहां पर कि ठेकेदार ऐसे परीक्षण करेगा।

यदि ऐसा भाग परीक्षण में विफल होता है तो ठेकेदार तब तक आगे मरम्मत करेगा, बदली करेगा अथवा उसे ठीक करेगा (जैसा भी मामला हो) जब तक कि सुविधाएं ऐसे परीक्षणों में सफल न हो जाए।

22.7 यदि ठेकेदार एक तर्कसंगत समय के भीतर (जो किसी भी स्थिति में पन्द्रह (15) दिनों से कम नहीं होगी) ऐसे दोषों अथवा ऐसे दोषों के कारण हुई सुविधाओं की किसी क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ करने में विफल होता है, तो नियोजक ठेकेदार को सूचना देकर वह कार्य करेगा और नियोजक को इस पर हुई तर्कसंगत लागत का ठेकेदार द्वारा नियोजक को

भुगतान किया जाएगा अथवा ठेकेदार पर देय किसी राशि अथवा निष्पादन गारंटी के तहत दावा की गई राशि में से नियोजक द्वारा काट ली जाएगी।

22.8 यदि सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे दोष और/ अथवा ऐसे दोष को ठीक करने की वजह से नहीं किया जा सकता हो, तो सुविधाओं अथवा उसके भाग की दोष संबंधी देयता अवधि, जैसा भी मामला हो, उक्त कारणों से नियोजक द्वारा सुविधाओं अथवा ऐसे भाग का उपयोग नहीं किए जाने के दौरान की अवधि के समतुल्य अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग में मरम्मत, बदली करके उसे ठीक करने पर ऐसी मरम्मत/ बदली के लिए समय समय पर सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग में ऐसी मरम्मत/ बदली करने के लिए जी सी सी उप नियम 22.2 में उल्लिखित अवधि तक के लिए विस्तार करके दोष संबंधी देयता अवधि होगी ।

22.8.1 दोष संबंधी देयता अवधि के समाप्त होने पर ठेकेदार की देयता अप्रकट दोष को छोड़कर समाप्त हो जाती है। अप्रकट दोष की वारंटी के लिए ठेकेदार की देयता दोष संबंधी देयता अवधि के समाप्त होने के दस (10) वर्षों की अवधि तक सीमित रहेगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए अप्रकट दोष ऐसे दोष होंगे, जो डिजाइन की कमी के कारण उत्पन्न हुए हों अथवा सामग्री में निहित हो जो जी सी सी नियम 22 में परिभाषित दोष संबंधी देयता अवधि के दौरान प्रकट नहीं हुआ हो बल्कि यह बाद में प्रकट हुआ हो।

22.9 जी सी सी नियम 22 और 29 के यथा प्रदत्त के अलावा, ठेकेदार की चाहे कोई भी और कैसी भी ऐसी देनदारी नहीं होगी, जो सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग, संयंत्र और मशीनरी, डिजाइन अथवा इंजीनियरी अथवा निष्पादित कार्य में किसी दोष के संबंध में अनुबंध के तहत अथवा कानून के तहत उत्पन्न हुई हो, और जो दोष संबंधी देयता अवधि के बाद अनुबंध के संबंध में लागू हो, उसकी देयता के लिए देनदारी को छोड़कर और सिवाय उसके, जहां ऐसे दोष ठेकेदार की पूरी लापरवाही, धोखाधड़ी, आपराधिक अथवा जान बूझकर की गई हो।

23. कार्यात्मक गारंटी

23.1 ठेकेदार इस बात की गारंटी देता है कि सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग के लिए तकनीकी विनिर्देशनों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट कार्यात्मक गारंटी होगी।

23.2 यदि ठेकेदार की वजह से किसी कारणवश तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यात्मक गारंटी का न्यूनतम स्तर पूरा अथवा आंशिक भाग में पूरा नहीं होता है, तो ठेकेदार अपनी लागत और खर्चे पर ऐसी गारंटी के कम से कम न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के लिए संयंत्र व उसके भाग में आवश्यक ऐसे परिवर्तन, संशोधन और/ अथवा परिवर्धन करेगा। ठेकेदार आवश्यक परिवर्तनों, संशोधनों और/ अथवा परिवर्धनों को पूरा होने पर नियोजक को सूचित करेगा और नियोजक से अनुरोध करेगा कि वह गारंटी का न्यूनतम स्तर प्राप्त होने तक गारंटी परीक्षा करे। यदि ठेकेदार फिर भी कार्यात्मक गारंटी के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में असफल होता है तो नियोजक जी सी सी उप नियम 36.2.2 के तहत अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है और ठेकेदार को पहले से भुगतान की गई राशि वसूले।

23.3 यदि ठेकेदार की वजह से किसी कारणवश तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यात्मक गारंटी पूरी अथवा आर्थिक रूप से प्राप्त नहीं होती है लेकिन तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यात्मक गारंटी का न्यूनतम स्तर प्राप्त हो जाता है तो ठेकेदार के पास यह विकल्प है कि वह या तो :

(क) अपनी लागत व खर्चे पर एक परस्पर सहमत समय के भीतर कार्यात्मक गारंटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन, संशोधन, और/ अथवा परिवर्धन करे और नियोजक को गारंटी परीक्षण पुन: करने का अनुरोध करे, अथवा

(ख) नियोजक को एस सी सी में दिए प्रावधानों के अनुसार कार्यात्मक गारंटी को पूरा करने के लिए विफलता के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करे ।

23.4 यदि नियोजक क्षतिपूर्ति राशि लगाने के बाद उपकरण स्वीकार करने के अपने विकल्प का प्रयोग करता है, तो एस सी सी में विनिर्दिष्ट देयता की सीमा तक उप नियम 23.3 के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान जी सी सी उप नियम 23.3 के तहत ठेकेदार की गारंटी को पूरा करेगा और ठेकेदार की उसके संबंध में नियोजक पर कोई भी अन्य देनदारी नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति के भुगतान पर परियोजना प्रबंधक ऐसी सुविधा में अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रचालनात्मक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसके संबंध में इस क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

24. उपकरण कार्य निष्पादन गारंटी

24.1 ठेकेदार इस बात की गारंटी देता है कि एस सी सी में नामित समान अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट – 7 (गैर कार्य निष्पादन के लिए गारंटी, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति) में उल्लेख की गई रेटिंग और कार्य निष्पादन संबंधी अपेक्षाओं को उनमें उल्लेख किए गए शर्तों के अध्यधीन और उसे पूरा कर लिए जाने के पश्चात प्राप्त करेगा।

24.2 यदि अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट – 7 (गैर कार्य निष्पादन के लिए गारंटी, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति) में उल्लेख की गई गारंटियों को सिद्ध नहीं किया जा सके तब नियोजक या तो नियोजक के विवेक से निम्नलिखित में से कोई एक करेगा :

(क) इन उपकरणों को अस्वीकार कर देगा, अथवा

(ख) ठेकेदार के विरुद्ध एस सी सी में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का आकलन करने के बाद इन उपकरणों को स्वीकार करेगा और इस प्रकार की राशि की कटौती अनुबंध की कीमत से की जायेगी अथवा ठेकेदार से किसी अन्य तरीके से वसूला जायेगा।

24.3 यदि नियोजक इन उपकरणों को अस्वीकार करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करता है तब ठेकेदार अपनी लागत और खर्च पर इन सामानों अथवा इसके किसी भाग में जिसे आवश्यक समझा जाए, उल्लिखित गारंटियों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का बदलाव, संशोधन और/ अथवा किसी तथ्यों को शामिल करेगा । ठेकेदार आवश्यक परिवर्तनों, संशोधनों और/ अथवा इसमें किसी प्रकार के योग को पूरा करने पर नियोजक को सूचना देगा और तब तक इस परीक्षण को दोहराने के लिए नियोजक से अनुरोध करेगा, जब तक कि उल्लेख की गई गारंटी के स्तर को पूरा नहीं कर लिया गया हो ।

24.4 जब कभी नियोजक परिसमाप्त क्षति को लगाये जाने के बाद इन सामानों को स्वीकार करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करता हो, एस सी सी में उल्लेख किए गए देयता की सीमाओं तक जी सी सी उप नियम 23.2 के अंतर्गत परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान जी सी सी उप नियम 23.2 के अंतर्गत ठेकेदार की गारंटियों को पूर्ण रूप से पूरा करेगा और ठेकेदार के पास उसके संबंध में नियोजक को आगे किसी प्रकार की देयता नहीं होगी।

25. पेटेंट क्षतिपूर्ति

25.1 ठेकेदार जी सी सी उप नियम 25.2 के अनुसार नियोजक के अनुपालन के अध्यधीन नियोजक और इसके कर्मचारियों और अधिकारियों को अटॉर्नी के फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, घाटे, क्षति, लागत और खर्च जिसका नुकसान नियोजक को किसी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेड मार्क, कॉपी राइट और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार जो पंजीकृत हो अथवा निम्नलिखित कारणों से संविदा की तिथि को अन्य प्रकार से लागू हो, के उल्लंधन अथवा कथित उल्लंघन के फलस्वरूप नुकसान होता हो, : (क) ठेकेदार द्वारा सुविधाओं की संस्थापना और उस देश में सामानों के उपयोग जहां वह स्थल स्थित हो, (ख) किसी देश में इन सुविधाओं द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों की बिक्री के कारण से होने वाली क्षति के विरुद्ध और उससे क्षति रहित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा ।

इस प्रकार की क्षतिपूर्ति में अनुबंध के आशय से अथवा उसके द्वारा दर्शाये गये प्रयोजन को छोड़कर इन सुविधाओं अथवा इसके किसी भाग का कोई उपयोग अथवा ऐसे किसी उत्पादों जिसका उत्पादन किया गया हो, का इस अनुबंध से संबंधित करार के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा आपूर्ति न किए गए किसी अन्य उपकरण, संयंत्र अथवा सामग्री के सहयोग से अथवा उसे मिलाकर इन सामानों का उपयोग शामिल होगा।

25.2 यदि जी सी सी उप नियम 25.2 में संदर्भित किए गए मामलों से उत्पन्न होने वाला कोई दावा नियोजक के विरुद्ध किया जाता हो अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती हो, तब नियोजक तत्परता से ठेकेदार को इसकी सूचना देगा और ठेकेदार अपने स्वयं के खर्चे पर अथवा नियोजक के नाम से इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावे का निपटारा करने के लिए किसी प्रकार की सुलह और इस प्रकार की कार्यवाही अथवा दावे को आयोजित करेगा । यदि ठेकेदार इस प्रकार की सूचना जिसका उद्देश्य इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावे को करने के लिए हो, के प्राप्त होने के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर नियोजक को सूचना नहीं दे पाता है तब नियोजक अपने स्वयं के बल पर उसे करने के लिए स्वतंत्र होगा । यदि ठेकेदार अठाइस (28) दिनों की अवधि के भीतर नियोजक को इस प्रकार से अधिसूचित करने में असफल हो गया हो, तब नियोजक इस प्रकार के किसी कार्यवाहियों अथवा दावे के बचाव में इस प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं करेगा जो इसके विरुद्ध हो सके।

नियोजक ठेकेदार के अनुरोध पर इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावा आयोजित करने में ठेकेदार को सभी प्रकार की उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा और ऐसा करने में हुए सभी उचित खर्चों के लिए ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

25.3 नियोजक ठेकेदार और इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और उप ठेकेदारों को अटॉर्नी के फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, घाटे, क्षति, लागत और खर्चों जिसका नुकसान नियोजक को किसी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेड मार्क, कॉपी राइट और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार जो पंजीकृत हो अथवा अनुबंध की तिथि को लागू हो, का नियोजक की ओर से अथवा उसके द्वारा बनाए गए अथवा दिए गए किसी डिजाइन, आंकड़ों, आरेखण, विनिर्देशन अथवा अन्य दस्तावेजों या सामग्रियों के संबंध में अथवा उसके कारण उत्पन्न होने वाली क्षति से बचाए रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

26. दायित्व की सीमा

26.1 पूर्ण रूप से लापरवाही अथवा जान बूझकर गलत आचरण के मामलों को छोड़कर,

(क) ठेकेदार और नियोजक किसी अप्रत्यक्ष अथवा परिणामी घाटे अथवा क्षति, प्रयोग की हानि, उत्पादन का घाटा अथवा लाभ या ब्याज की लागतों की हानि के लिए एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते की यह वर्हिगमन नियोजक को परिसमाप्त क्षति का भुगतान करने के लिए ठेकेदार के किसी दायित्व पर लागू नहीं होगा और

(ख) ठेकेदार की नियोजक के प्रति समग्र देयता चाहे इस अनुबंध के अंतर्गत दलाली के रूप में अथवा अन्य प्रकार से हो, अनुबंध की कुल कीमत से अधिक नहीं होगी, बशर्ते की यह सीमा पेटेंट के उल्लंघन के संबंध में नियोजक को क्षतिपूर्ति करने के लिए ठेकेदार के किसी दायित्व अथवा दोषपूर्ण सामानों को मरम्मत करने अथवा उसे बदलने की लागत पर लागू नहीं होगा।

छ. जोखिम वितरण

27. स्वामित्व का हस्तांतरण

27.1 भारत में आयात किए जाने वाले संयंत्र एवं उपकरण का स्वामित्व नियोजक को उत्पत्ति के देश से उस देश तक संयंत्र एवं उपकरण को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के माध्यम से उसे लोड करने पर अथवा नियोजक के पक्ष में प्रेषण संबंधी दस्तावेजों की संपुष्टि करने पर हस्तांतरित किया जाएगा।

27.2 भारत में खरीदे गए संयंत्र एवं उपकरण (स्पेयर पार्ट सहित) का स्वामित्व निर्माण स्थल से लेकर उस स्थल तक इन सामानों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के माध्यम से उस पर लोड करने पर और नियोजक के पक्ष में प्रेषण संबंधी दस्तावेजों की संपुष्टि किए जाने पर नियोजक को हस्तांतरित किया जाएगा ।

27.3 इस अनुबंध के संबंध में ठेकेदार और इसके उप ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए गए ठेकेदार के उपकरण का स्वामित्व ठेकेदार अथवा इसके उप ठेकेदारों के पास रहेगा।

27.4 सुविधाओं के लिए अपेक्षाओं से अधिक कोई संयंत्र और उपकरण रखने पर सुविधाओं के समापन अथवा उसके पूर्व की किसी अवधि पर वापस किए जाएंगे और जब नियोजक और ठेकेदार सहमत हों कि कथित संयंत्र और उपकरण की अनुबंध में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किसी संयंत्र और उपकरण की प्रदत्त मात्रा की सुविधाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है और यह नियोजक की सम्पत्ति होगी, चाहे वह सुविधाओं में शामिल हो अथवा नहीं।

27.5 इन संयंत्र एवं उपकरण का स्वामित्व के हस्तांतरण किए जाने के बावजूद, ठेकेदार इस प्रकार के सामानों की देखरेख और अभिरक्षा के लिए तथा इस अनुबंध के अंतर्गत उसे ग्रहण करने तथा वारंटी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के समय तक उनके द्वारा विनिर्देशनों का अनुपालन किए जाने के लिए तथा उसकी हानियों/ क्षति का जोखिम जी सी सी नियम 28 (सुविधाओं की देख रेख) के अनुसरण में तब तक जिम्मेदार रहेगा, जब तक कि जी सी सी नियम 20 के तहत सुविधाओं अथवा जी सी सी उप नियम 1.1 (ङ) के तहत, उसके तत्संबंध भाग, यदि कोई हो, जिसमें ऐसे संयंत्र और उपकरण शामिल किए गए हैं, का समापन न हो जाए।

28. सुविधाओं की देख-रेख

28.1 ठेकेदार सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग की देख रेख और अभिरक्षा के लिए जी सी सी नियम के अनुसरण में कब्जा लेने के प्रमाण पत्र की तारीख तक अथवा जब अनुबंध में सुविधाओं का समापन भागों में करने का प्रावधान हो, तो संगत भाग के पूरा होने की तारीख तक जिम्मेदार होगा और वह अपनी लागत पर ऐसी अवधि के दौरान चाहे किसी भी कारण से सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग को हुई किसी क्षति अथवा नुकसान को ठीक करेगा। ठेकेदार जी सी सी नियम 22 के अनुसरण में ठेकेदार अथवा उसके उप ठेकेदारों द्वारा किसी कार्य के दौरान सुविधाओं को हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए भी जिम्मेदार होगा। परवर्ती के बावजूद, ठेकेदार नियोजक अथवा नियोजक द्वारा अधिकृत किसी तीसरे पक्ष (उप ठेकेदार के अलावा) द्वारा सुविधाओं के किसी भाग के लिए उपयोग अथवा अधिभाग के कारण सुविधाओं अथवा उसके किसी भाग को हुई क्षति अथवा हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

29. संपत्ति की हानि अथवा क्षति ; कामगार की दुर्घटना अथवा चोट; क्षतिपूर्ति

29.1 ठेकेदार नियोजक और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियोजक अथवा इसके उप ठेकेदारों अथवा उनके कर्मचारियों, अधिकारियों या एजेंटों को नियोजक, इसके ठेकेदारों, कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा एजेंटों की लापरवाही के कारण हुई किसी क्षति, मृत्यु अथवा सम्पत्ति की क्षति को छोड़ने के कारण से और इन सामानों की आपूर्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी सम्पत्ति की हानि अथवा उसे क्षति या किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसे चोट (उन सुविधाओं को छोड़कर चाहे उन्हें स्वीकार किया गया हो अथवा नहीं) के संबंध में एटॉर्नी की फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों अथवा प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, हानि, क्षति, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे इनसे सुरक्षित रखेगा।

29.2 यदि नियोजक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है अथवा कोई दावा किया जाता है जिससे जी सी सी उप नियम 29.1 के अंतर्गत ठेकेदार पर कोई देयता बनती हो, तब नियोजक तत्परता से ठेकेदार को इसकी सूचना देगा और ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च अथवा नियोजक के नाम से इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावे का निपटारा करने के लिए किसी प्रकार की सुलह और इस प्रकार की कार्यवाही करेगा अथवा दावा करेगा।

यदि ठेकेदार इस प्रकार की सूचना जिसका उद्देश्य इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावा करने के लिए हो, के प्राप्त होने के बाद अठाइस

(28) दिनों के भीतर नियोजक को सूचना नहीं दे पाता हो तब नियोजक अपने स्वयं के बल पर उसे करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि ठेकेदार अठाइस (28) दिनों की अवधि के भीतर नियोजक को इस प्रकार से अधिसूचित करने में असफल हो गया हो, तब नियोजक इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावे के बचाव में इस प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं करेगा जो इसके विरुद्ध हो सके।

नियोजक ठेकेदार के अनुरोध पर इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावा आयोजित करने में ठेकेदार को सभी प्रकार की उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा और ऐसा करने में हुए सभी उचित खर्चों के लिए ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

29.3 इस अनुबंध में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस पर सहमति बनी हो कि न तो ठेकेदार और न ही नियोजक अन्य पक्षकार को उत्पादन में हानि, लाभ में हानि, उपयोग की हानि अथवा किसी अन्य अप्रत्यक्ष या परिणामी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

30. बीमा

30.1 अनुबंध संबंधी करार के सदृश्य परिशिष्ट - 3 (बीमा की आवश्यकताओं) में उल्लिखित सीमा तक, ठेकेदार अपने खर्च पर इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान उक्त परिशिष्ट में उल्लेख की गई राशि और उसमें घटाए जाने वाली राशि के साथ तथा अन्य शर्तों के साथ नीचे दिए गए बीमा को करेगा और वास्तव में उसे बनाए रखेगा अथवा उसे करवायेगा या वास्तव में बनाए रखवायेगा । बीमाकर्त्ताओं की पहचान और इन नीतियों का रूप नियोजक के अनुमोदन के अध्यधीन होगा जिसे इस प्रकार के अनुमोदन को अनुचित रूप से रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए।

(क) समुद्री कारगो नीति/ पारगमन बीमा पॉलिसी

(I) (i) आयात किए गए उपकरण के लिए समुद्री कारगो नीति ठेकेदार विदेश से आपूर्ति किए जाने वाले संयंत्र एवं उपकरणों के लिए समुद्री कारगो नीति बनाएगा जिसमें देश में पारगमन सहित निर्यात/ आयात इन संयंत्र एवं उपकरणों की आवा-जाही के लिए शामिल है। इस नीति में निर्माता के कार्य स्थल से लेकर परियोजना के अंतिम गंतव्य स्थल स्थित भंडार गृह/ गोदाम तक इन सामानों की आवा-जावी शामिल होगी। इस पॉलिसी में

क्षति अथवा हानि, जो इन संयंत्र एवं उपकरणों के ठेकेदार के/ उप ठेकेदार के निर्माण स्थल अथवा भंडारों के पारमगन के दौरान होता हो, से लेकर अंतिम गंतव्य स्थल स्थित परियोजना के भंडार गृह/ गोदाम तक पहुंचने तक के सभी जोखिम शामिल होंगे। इस बीमा के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित खतरों में आग और उससे संबद्ध जोखिमों, विविध दुर्घटनाओं, कामगार क्षतिपूर्ति जोखिमों, संक्रमण में हानि अथवा क्षति, चोरी, उठाईगिरी, दंगे और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, नागरिक उपद्रव, मौसम की स्थितियां, सभी प्रकार की घटनाएं, युद्ध संबंधी जोखिम (जहां तक बीमा के योग्य हो) आदि शामिल होगी। युद्ध एवं हड़ताल, उपद्रव तथा नागरिक उपद्रव (एस आर सी सी) के साथ साथ संस्थान कारगो नियम (आई सी सी) कवर 'क' लिया जायेगा।

(I) (ii) स्वदेशी उपकरण के लिए पारगमन बीमा पॉलिसी

उसी प्रकार से पारगमन बीमा पॉलिसी ली जायेगी जिसमें भारत से आपूर्ति किए गए सामानों को लाने व ले जाने के लिए केवल अंतरदेशीय संक्रमण शामिल है। इस नीति में निर्माता के कार्य स्थल से अंतिम गंतव्य स्थल पर स्थित परियोजना के भंडार गृह तक इन सामानों को लाना व ले जाना शामिल होगा। इस बीमा के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित खतरों में आग और उससे संबद्ध जोखिमों, विविध दुर्घटनाओं, कामगार क्षतिपूर्ति जोखिमों, पारगमन में हानि अथवा क्षति, चोरी, उठाईगिरी, दंगे और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, नागरिक उपद्रव, मौसम की स्थितियां, सभी प्रकार की घटनाएं, युद्ध संबंधी जोखिम (जहां तक बीमा के योग्य हो) आदि शामिल होगी। युद्ध एवं हड़ताल, दंगे के साथ साथ अंतरदेशीय संक्रमण नियम एवं नागरिक उपद्रव (एस आर सी सी) विस्तार का कवर लिया जायेगा।

(II) यदि इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान, नियोजक उपर्युक्त बीमा में कोई अन्य अतिरिक्त कवर/ पूरक कवर लेने के लिए ठेकेदार से अनुरोध करता है तब ठेकेदार इस प्रकार के अतिरिक्त कवर/ पूरक कवर तथा अन्य प्रभार तत्परता से लेगा और इस प्रकार के अतिरिक्त कवर/ पूरक कवर के लिए इस प्रकार के प्रीमियम के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को

बीमा कंपनी को भुगतान किए जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर की जाएगी। इस कारण से, इस प्रकार के अतिरिक्त कवर/ पूरक कवर के लिए प्रीमियम हेतु प्रभारों को अनुबंध की कीमत में शामिल नहीं किया जाता है।

(II) ठेकेदार नियोजक और ठेकेदार के संयुक्त नामों से पॉलिसी लेगा। यह पॉलिसी नियोजक को लाभार्थी के रूप में दर्शायेगा। हालांकि, यदि ठेकेदार के पास अपने व्यापार के लिए खुली पॉलिसी हो तब यह इस तथ्य को दर्शाते हुए बीमा कंपनी से खुली कवर नीति की संपुष्टि प्राप्त करेगा कि इस अनुबंध के प्रति प्रेषणों को इसकी खुली नीति के अंतर्गत विधिवत शामिल कर लिया गया है और इसमें खुली नीति की संपुष्टि में संयुक्त रूप से बीमा किए अनुसार नियोजक का नाम शामिल रहेगा।

(**ख**) निर्माण संबंधी समस्त जोखिम पॉलिसी/ ठेकेदार संबंधी समस्त जोखिम पॉलिसी

(I) नीति में स्टोरेज करने, निर्माण करने और प्रारंभन के दौरान स्थल पर सुविधा को सभी भौतिक हानि अथवा क्षति शामिल होगी, इसमें बुनियादी कवर के रूप में पॉलिसी में यथा प्रदत्त सभी जोखिम और नीचे क्रम सं. (III) में यथा उल्लिखित एड ऑन कवर शामिल होंगे।

(II) ठेकेदार पॉलिसी को नियोजक और ठेकेदार, दोनों के संयुक्त नाम से लेगा। इन सभी पॉलिसी में नियोजक को लाभार्थी के रूप में दर्शाया जाएगा। पॉलिसी को परियोजना की प्रचालनात्मक स्वीकृति की तारीख तक वैध रखा जाएगा और कवरेज की अवधि नियोजक के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी।

यदि पॉलिसी की अवधि से पूर्व कार्य पूरा हो जाता है तो ठेकेदार पॉलिसी के प्रावधानों के तहत रिफंड प्राप्त करेगा और नियोजक को लाभ प्रदान करेगा। यदि बीमा कंपनी द्वारा कोई रिफंड नहीं दिया जाना है तो इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र परियोजन को पूरा होने पर नियोजक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(III) ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित एड – ऑन कवर भी दिए जाएंगे :

(i) भूकपं
(ii) आतंक
(iii) मूल्य वृद्धि लागत (वार्षिक आधार पर बीमित राशि के लगभग 10 प्रतिशत की दर से)
(iv) दोष देयता अवधि के लिए विस्तारित रखरखाव कवर
(iv) डिजाइन दोष
(v) अन्य एड ऑन कवर यथा 50- 50 क्लॉज, 72 घंटे क्लॉज, हानि न्यूनीकरण क्लाज, प्रस्थापन की माफी क्लॉज (100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए, ऑफ साइट स्टोरेज/ फेब्रिकेशन कवर (100 करोड़ से अधिक)

(IV) भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर क्रॉस देयता के साथ तृतीय पक्ष देनदारी, जो बुनियादी ई ए आर कवर के लिए एड – ऑन कवर के रूप में होगी।

तृतीय पक्ष देनदारी एड – ऑन कवर में तृतीय पक्ष (नियोजक के कर्मचारियों सहित) को हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु शामिल होगी और सुविधाओं की आपूर्ति तथा संस्थापन के संबंध में सम्पत्ति को हुई हानि अथवा क्षति (नियोजक द्वारा स्वीकार की गई सुविधाओं के किसी भाग और नियोजक की सम्पत्ति सहित) शामिल होगी।

(V) नीचे पैरा 30.8 के तहत बीमा प्रीमियम की लागत ठेकेदार को स्वामी द्वारा आपूर्तिकी गई सामग्रियों (ओ एस एम) के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए ठेकेदार द्वारा बीमाकर्ता को अंतिम रूप दिया जाना है । विकल्प के रूप में, ठेकेदार एक सिंगल पॉलिसी ले सकता है, जिसमें ओ एस एम की लागत सहित परियोजना की समग्र लागत शामिल होगी। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार नियोजक को समग्र परियोजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा और नियोजक ठेकेदार को कुल बीमित राशि के लिए ओ एस एम के मूल्य के समान प्रीमियम को हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगा ।

(VI) यदि अनुबंध के निष्पादन के दौरान, नियोजक ठेकेदार को उपरोक्त बीमा में कोई अन्य एड – ऑन कवर/ अनुपूरक

कवर लेने के लिए अनुरोध करता है, तो ठेकेदार तुरंत ऐसा एड – ऑन कवर/ अनुपूरक कवर लेगा और भुगतान ऐसे एड ऑन कवर/ अनुपूरक कवर के ऐसे प्रीमियम के लिए बीमा कंपनी को भुगतान किए जाने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाएगी। अत: ऐसे एड ऑन कवर/ अनुपूरक कवर के लिए प्रीमियम का भुगतान अनुबंध की कीमत में शामिल नहीं है।

(ग) ऑटोमोबाइल देयता बीमा

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना में सुविधाओं की आपूर्ति संस्थापन के संबंध में ठेकेदार अथवा उसके ठेकेदारों द्वारा (चाहे उनके स्वामित्व में हैं अथवा नहीं) तैनात किए गए सभी वाहन आर टी ए अधिनियम के तहत बीमित होंगे। इसके अलावा, ठेकेदार अथवा उसके उप ठेकेदार अपने हितों के संरक्षण के लिए उनके अपने नाम से अपने विवेक से, परियोजना में तैनात प्रत्येक व्यक्तिगत वाहनों की व्यापक पॉलिसी भी लेंगे (स्वयं को क्षति और तृतीय पक्ष देनदारी)।

(घ) कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी

(I) ठेकेदार द्वारा भारत में लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी ली जाएगी। ठेकेदार परियोजना के लिए ठेकेदार अथवा उसके उप ठेकेदारों द्वारा नियोजित सभी कामगारों को पॉलिसी के तहत पर्याप्त रूप से कवर करना सुनिश्चित करेगा।

(II) पॉलिसी परियोजना विशिष्ट होगी, जिसमें ठेकेदार और उप ठेकेदारों के सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। पॉलिसी को परियोजना प्रचालनात्मक स्वीकृति की तारीख तक वैध रखा जाएगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि ठेकेदार के पास सभी अपने कर्मचारियों और उप ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए मौजूदा 'कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी' है तो ठेकेदार अपनी मौजूदा 'कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी' में इस विशिष्ट परियोजना के लिए नियोजक के हित को शामिल करेगा।

(III) ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत उसकी बाध्यता और जिम्मेदारियों से मुक्त किए बिना, कार्य शुरू करने से पूर्व, ठेकेदार सांविधिक रूप से और सामान्य कानून के तहत देयता सहित ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों की म़त्यु अथवा क्षति के लिए देनदारी के लिए बीमा करेगा। बीमा कवर को दोष संबंधी देयता अवधि सहित उपचारी कार्य सहित सभी कार्य पूरे करने तक बनाए रखा जाएगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लिए प्रधान की सांविधिक देनदारी के लिए प्रधान को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा का विस्तार किया जाएगा।

(ङ) ठेकेदार के संयंत्र और मशीनरी (सी पी एम) का बीमा

नियोजक (परामर्शदाता, सेवक, एजेंट अथवा नियोजक के कर्मचारी तक सीमित किए बिना) किसी भी स्थिति में ठेकेदार के उपकरणों अथवा किसी हानि, देनदारी, लागतें, दावे, कार्रवाई अथवा मांग के लिए किसी ऐसी हानि अथवा क्षति के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, जो ठेकेदार को ऐसी किसी हानि अथवा क्षति के संबंध में अथवा उसके परिणामस्वरूप हो सकती हो, अथवा हुई हो।

30.2 नियोजक का नाम जी सी सी उप नियम 30.1 के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा ली गई बीमा संबंधी सभी पालिसियों के अंतर्गत सह- बीमित के रूप होगा और ठेकेदार के उप ठेकेदार के नाम करेगा। बीमा यातायात के दौरान कामगार क्षतिपूर्ति बीमा नीति को छोड़कर जी सी सी उप नियम 30.1 के अनुसरण में सभी बीमानीतियों में सह बीमित के रूप में होगा। इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के कारण दावे अथवा हानियों के लिए इस प्रकार के सह-बीमित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्थापन के सभी बीमाकर्त्ता के अधिकारों को इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत माफ कर दिया जायेगा।

30.3 ठेकेदार अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट – 3 (बीमा अपेक्षाएं) के प्रावधानों के अनुसार नियोजक को बीमा के प्रमाण पत्र (अथवा बीमा नीतियों की प्रतियां) ऐसे साक्ष्य के रूप में सौंपेगा कि अपेक्षित पॉलिसी पूरी तरह लागू हैं और प्रभावी हैं। प्रमाण पत्रों में यह प्रावधान होगा कि कम से कम इक्कीस (21) दिनों का नोटिस किसी पॉलिसी को निरस्त करने अथवा व्यापक संशोधन करने से पूर्व बीमाकर्त्ताओं द्वारा नियोजक को दिया जाएगा।

30.4 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहां लागू है, उसके ठेकेदार अपने कार्मिकों और वाहनों तथा अनुबंध के तहत उनके द्वारा निष्पादित कार्य के लिए

समुचित बीमा पॉलिसी लेगा और बनाए रखेगा तथा तब तक रखेगा जब तक ऐसे उप ठेकेदार, ठेकेदार द्वारा ली गई पॉलिसी द्वारा शामिल न हो जाते।

30.5 नियोजक अपने स्वयं के खर्चे पर अनुबंध के निष्पादन के दौरान ऐसे बीमा को लेंगे और बनाए रखेंगे, जो अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट – 3 (बीमा अपेक्षाएं) में विनिर्दिष्ट हैं, जो उस परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट राशि की कटौतियों और अन्य शर्तों के अनुसार होंगे। ठेकेदार और ठेकेदार के उप ठेकेदारों का नाम ऐसी सभी पॉलिसी में सह–बीमित के रूप में होगा। ऐसे सह–बीमित के लिए अनुबंध के निष्पादन से हुई हानियों अथवा दोवों के लिए सभी बीमाकर्त्ता प्रस्थापन अधिकार ऐसी पॉलिसी के तहत माफ होंगे। नियोजक ठेकेदार को संतोषजनक साक्ष्य प्रदान करेगा कि अपेक्षित बीमा पूरी तरह लागू हैं और प्रभावी हैं। पॉलिसी में यह प्रावधान होगा कि पॉलिसी के निरस्तीकरण अथवा व्यापक संशोधन से पूर्व सभी बीमाकर्त्ताओं द्वारा ठेकेदार को कम से कम इक्कीस (21) दिनों का नोटिस दिया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो नियोजक इस जी सी सी उप नियम 30.5 के तहत नियोजक द्वारा ली गई पॉलिसी की प्रतियां प्रदान करेगा।

30.6 यदि ठेकेदार जी सी सी उप नियम 30.1 के संदर्भ में बीमाओं को लेने और/ अथवा प्रभावी रखने में असफल होता है तो नियोजक ऐसी किसी बीमा को लेकर उसे प्रभावी रख सकता है और अनुबंध के तहत समय समय पर ठेकेदार पर बकाया राशि से ऐसे प्रीमियम की कटौती कर सकता है, जो नियोजक द्वारा बीमाकर्त्ता को भुगतान किए जाने हैं अथवा वह अन्यथा ऐसी राशि ठेकेदार पर बकाया ऋण से वसूलेगा। यदि नियोजक जी सी सी 30.5 के संदर्भ में बीमा को लेने और/ अथवा प्रभावी रखने में विफल रहता है तो ठेकेदार ऐसे बीमा को लेकर उसे प्रभावी रख सकता है और वह अनुबंध के तहत नियोजक को देय किसी राशि से ऐसे प्रीमियम की कटौती कर सकता है, जो ठेकेदार को बीमाकर्त्ता को भुगतान करनी है अथवा वह ऐसी राशि नियोजक पर बकाया ऋण से अन्यथा वसूल करता है।

30.7 जब तक अनुबंध में अन्यथा प्रदत्त न किया जाए, ठेकेदार इस जी सी सी नियम 30 के अनुसरण में उसके द्वारा प्रभावी पॉलिसी के तहत कोई अथवा सभी दावे तैयार और आयोजित करेगा और तीसरे पक्ष की देनदारी बीमा और कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी को छोड़कर सभी बीमा के तहत किसी बीमाकर्त्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ऐसे विशेष खाते में भुगतान की जाएगी, जो नियोजक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से परस्पर सहमति से खोला जाएगा और भुगतान की गई ऐसी राशि नियोजक और ठेकेदार के बीच अनुबंध की संबंधित जिम्मेदारियों के अनुसार बांटी जाएगी। नियोजक ठेकेदार

को ठेकेदार द्वारा यथा अपेक्षित सभी ऐसी तर्कसंगत सहायता प्रदान करेगा। ऐसे बीमा दावों के संबंध में, जिनमें नियोजक का हित शामिल है, ठेकेदार नियोजक के पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई वादा नहीं करेगा अथवा देगा। ऐसे बीमा दावों के संबंध में, जिनमें ठेकेदार का हित शामिल है, नियोजक ठेकेदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना बीमाकर्त्ता के साथ का वायदा जारी नहीं करेगा।

30.8 इसके अलावा, निर्माण के लिए (तकनीकी विनिर्देशों के तहत) नियोजक द्वारा कब्जा लेने के समय तक हैंडलिंग, यातायात, स्टोरेज, निर्माण, जांच और प्रवर्तन सहित अनलोडिंग स्थल से आपूर्ति किए जा रहे सभी उपकरण और सामग्रियां ठेकेदार द्वारा किसी हानि, क्षति, टूट फूट, चोरी, आग इत्यादि से बीमित रखेंगे। ऐसे बीमा के लिए ठेकेदार द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा नियोजक को की जाएगी। ठेकेदार ऐसे बीमा के लिए प्रतिस्पर्धी दरें रखेंगे और बीमा लेने से पूर्व नियोजक का पूर्व अनुमोदन लेंगे। नियोजक द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उपकरणों के बीमा मूल्य के बारे में ठेकेदार को बीमा व्यवस्था सूचित किया जाएगा।

30.9 ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान हुई किसी प्रकार की क्षति, हानि, चोरी, उठाईगिरी अथवा आग के मामले में बीमा कंपनी के पास सभी दावों के बारे में शिकायत दर्ज करे, उस मामले को उठाये और उनका निपटारा करे और नियोजक को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। ठेकेदार अन्डरराईटर द्वारा किए गए दावे के निपटारे पर विचार किए बिना तत्परता से खोई हुई/ क्षतिग्रस्त सामग्री को बदलेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य की प्रगति उस समय कार्यक्रम के अनुसार हो रही है जिस पर सहमति बनी। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में हानि, यदि कोई हो, का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

31. कानून और विनियमों में परिवर्तन

31.1 यदि बोली खोले जाने की तिथि से सात (07) दिन पूर्व की तिथि के बाद, किसी कानून, विनियमन, अध्यादेश अथवा उप नियम, जिसमें कानूनी शक्ति हो, भारत में बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, लागू किया जाता है अथवा बदला जाता है (जिसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा व्याख्या अथवा लागू करने में किसी प्रकार का परिवर्तन शामिल करना मान्य होगा) जो बाद में ठेकेदार के लागत और खर्चों तथा/ अथवा समापन संबंधी समय कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, इस अनुबंध की कीमत में उसी

अनुपात में वृद्धि अथवा कमी की जायेगी और/ अथवा समापन संबंधी समय कार्यक्रम को उस सीमा तक उचित रूप से समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक उसके द्वारा ठेकेदार पर इस अनुबंध के अंतर्गत इसके किसी दायित्वों के कार्य निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। हालांकि ये समायोजन नियोजक और ठेकेदार के बीच सीधे लेन देन तक और न की ठेकेदार द्वारा कच्चे मालों की खरीद, मध्यवर्ती संघटकों आदि जिसके लिए नियोजक एकमात्र निर्णायक नहीं होगा, पर सीमित रहेगा। पूर्व में उल्लेख किए गए किसी तथ्य के होते हुए भी, इस प्रकार का अतिरिक्त अथवा कम किए गए लागतों का अलग से भुगतान अथवा उसके खाते में डाला जायेगा यदि उसे अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट - 2 के अनुसार जहां भी लागू हो, कीमत के समायोजन संबंधी प्रावधानों में पहले ही लेखांकित किया गया हो।

32. अप्रत्याशित घटना

32.1 "अप्रत्याशित घटना" का आशय किसी ऐसी घटना से है जो नियोजक या ठेकेदार, जैसी भी स्थिति हो, के उचित नियंत्रण के बाहर हो और जो प्रभावित पक्षकार के उचित ध्यान रखे जाने के बावजूद अपरिहार्य हो और जिसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखत शामिल हों :

(क) युद्ध, दुश्मनी अथवा युद्ध जैसे क्रियाकलाप (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), आक्रमण, विदेशी दुश्मन की कोई कार्यवाही और नागरिक युद्ध,

(ख) विद्रोह, क्रांति, उपद्रव, सैन्य विद्रोह, सरकार को कब्जे में लेने, संयंत्र, दंगे और नागरिक उपद्रव,

(ग) भूकंप, भू-स्खलन, ज्वालामुखी क्रियाकलाप, बाढ़ अथवा चक्रवात अथवा अन्य खराब मौसम संबंधी स्थितियां, न्यूक्लियर और दबाव तरंगें अथवा अन्य प्राकृतिक या भौतिक आपदा।

32.2 किसी भी पक्षकार के बारे में इस अनुबंध के अंतर्गत उस सीमा तक उसके दायित्वों का निर्वाह करने में हुई चूक अथवा उसके उल्लंघन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जिस सीमा तक इस प्रकार के दायित्व का कार्य निष्पादन किसी अप्रत्याशित घटनाओं की किन्हीं स्थितियों से बाधित हुआ हो जो अवार्ड की अधिसूचना के तिथि के बाद प्रकट हुआ हो।

32.3 यदि किसी भी पक्षकार को किसी अप्रत्याशित घटना के द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों में से किसी दायित्व का निर्वहन करने से या में बाधा पहुंचाई गई हो, रोका गया हो अथवा विलंब हुआ हो तब यह इस प्रकार की घटना के होने के बाद चौदह (14) दिनों के भीतर इस प्रकार की घटनाओं और इसके कारण किन्हीं परिस्थितियों के होने के बारे में अन्य पक्षकार को लिखित रूप में सूचना देगा ।

32.4 वह पक्षकार जिसने इस प्रकार की सूचना दी है, को उस समय सीमा तक जब तक अप्रत्याशित घटना की संबंधित घटना बनी हुई हो तथा उस सीमा तक जिस सीमा तक पक्षकार के इस प्रकार के कार्य निष्पादन को रोका गया हो, उसमें बाधा पहुंचाई गई हो, अथवा उसमें विलंब हुआ हो, के लिए इस अनुबंध के अंतर्गत इसके दायित्वों का निष्पादन अथवा समय पर निष्पादन से मुक्त किया जाएगा। समापन संबंधी समय कार्यक्रम को जी सी सी नियम 34 के अनुसार बढ़ाया जायेगा।

ज. अनुबंध के तत्वों में परिवर्तन

33. सुविधाओं में बदलाव

33.1 बदलाव की शुरुआत

33.1.1 जी सी सी उप नियम 33.2.5 और 33.2.7 के अध्यधीन नियोजक के पास प्रस्ताव करने का अधिकार होगा और बाद यह अपेक्षा रखने का अधिकार होगा कि परियोजना प्रबंधक ठेकेदार को इस अनुबंध में अथवा उससे किसी परिवर्तन, संशोधन, वर्धन अथवा विलोप (इसके बाद "परिवर्तन" कहा जाएगा) करने के लिए इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान समय समय पर आदेश दे सकता है बशर्ते कि इस प्रकार का परिवर्तन इस अनुबंध के सामान्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो और यह कि सुविधाओं की प्रगति की स्थिति और अनुबंध में विनिर्दिष्ट सुविधाओं की प्रकृति के साथ परिकल्पित परिवर्तन की तकनीकी क्षमता दोनों को ध्यान में रखकर तकनीकी रूप से व्यावहारिक है।

33.1.2 ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान समय समय पर नियोजक को (परियोजना प्रबंधक को प्रति के साथ) ऐसे किसी परिवर्तन के बारे में प्रस्ताव करेगा, जो सुविधाओं की गुणवत्ता, क्षमता अथवा सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है। नियोजक अपने विवेक के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को अनुमोदित अथवा अस्वीकार कर सकता

है, बशर्ते कि नियोजक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को अनुमोदित करेगा।

33.1.3 अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान की गई किसी चूक के कारण किए गए आवश्यक परिवर्तनों को परिवर्तन में नहीं माना जाएगा और ऐसे परिवर्तन के कारण अनुबंध की कीमत अथवा समापन के लिए समय में किसी के साथ समायोजन नहीं किया जाएगा।

33.1.4 परिवर्तनों पर कैसे काम किया जाए और उन्हें कैसे निष्पादित किया जाए, उसकी प्रक्रिया जी सी सी उप खंड 33.2 और 33.3 में विनिर्दिष्ट की गई है।

33.2 नियोजक से प्राप्त परिवर्तन

33.2.1 जहां तक संभव हो किसी परिवर्तन की कीमत की गणना इस अनुबंध में शामिल की गई दरों और कीमतों के अनुसार की जाएगी। यदि इस प्रकार की दरें और कीमतें न्यायोचित नहीं है तो उसके पक्षकार इस परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट दरों पर सहमत होंगे।

33.2.2 (i) उन मदों के लिए जिनके लिए मात्राओं को एकमुश्त अथवा लॉट में अथवा समुच्चय में दर्शाया गया है और/ अथवा (ii) जहां मात्राओं का अनुमान ठेकेदार द्वारा लगाया जाना है, के लिए अनुबंध की कीमत स्थिर रहेगी यदि यदि नियोजक द्वारा कार्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो। मात्राएं और इकाई कीमतें (i) मात्राओं का बिल (बी ओ क्यू) / एकमुश्त मात्राओं/ लॉट/ समुच्चय का बिलिंग ब्यौरे का अनुमोदन करते समय, बाद में तय की गई और/ अथवा (ii) ठेकेदार द्वारा अनुमान लगाए गए कीमतें केवल भुगतान के उद्देश्य से होगी। यदि ठेकेदार द्वारा बी ओ क्यू/ बिलिंग ब्यौरा और/ अथवा अनुमानित मात्राओं के अलावा अतिरिक्त मात्रा तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार कार्य के क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपेक्षित हो तब ठेकेदार इन मदों, जिनके लिए एकमुश्त अनुबंध कीमत के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाना, की अतिरिक्त मात्राओं को उपलब्ध करायेगा। यदि स्थल पर आपूर्ति किए गए ये मद कार्य के क्षेत्र को सफल रूप से पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक हो तब इस प्रकार की अतिरिक्त मात्राएं ठेकेदार की सम्पत्ति होगी और उन्हें उस स्थल से वापस लिए जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एकमुश्त अनुबंध कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा यदि कार्य के क्षेत्र को सफल रूप में पूरा करने के लिए मात्राओं की वास्तविक आवश्यकता

अनुमोदित बी ओ क्यू/ बिलिंग ब्यौरे तथा/ और ठेकेदार द्वारा अनुमानित मात्राओं से कम हो तब एकमुश्त अनुबंध कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और मात्राओं की इस प्रकार की कमी के कारण एकमुश्त कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार की अतिरिक्त सामग्री के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सभी सांविधिक करों, शुल्कों और लेवी जो न माने गए निर्यात अनुबंध के मामले कानूनी रूप से अन्य प्रकार से भुगतान योग्य हुआ होता, का भुगतान करे। ठेकेदार नियोजक को किसी देयता से सुरक्षित रखने के लिए नियोजक द्वारा ठेकेदार को इस प्रकार की सामग्री को जारी किए जाने के पूर्व एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत करेगा।

समुच्चय/ लॉट/ एकमुश्त राशि को तकनीकी विनिर्देशनों के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित सदृश्य मद विवरण की अपेक्षा के अनुसार शासित किया जाएगा और ऊपर संदर्भित बिलिंग ब्यौरे इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान यदि और जिस प्रकार से अपेक्षित हो, ठेकेदार के अनुरोध के आधार पर नियोजक द्वारा जारी किया जाएगा।

33.2.3 यदि परिवर्तन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अथवा उसके दौरान यह आवश्यक हो जाता है कि इस नियम 33 में उल्लेख की गई स्थिति के तहत ठेकेदार पर पहले से बाध्यकारी अनुपालन और सभी अन्य परिवर्तन आदेशों के साथ उनका कुल प्रभाव अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान की शर्तें) में मूल रूप से दिए गए अनुसार अनुबंध की कीमत एस सी सी में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक के लिए है। नियोजक एवं ठेकेदार विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर आपस में सहमत होंगे।

इस प्रयोजन के लिए, अनुबंध कीमत से तात्पर्य अनुबंध के निर्माण के बावजूद सुविधाओं की अनुबंध कीमत से है।

33.2.4 यदि अनुबंध में, किसी परिवर्तन की दरें और कीमतें उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित पक्षकार परिवर्तन और परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट दरों पर सहमत होंगे। उसके आधार पर नियोजक, यदि परिवर्तन के अनुसार कार्य करने के इच्छुक हैं तो ठेकेदार को एक परिवर्तन आदेश जारी करेंगे।

33.2.5 नियोजक ठेकेदार को जी सी सी उप नियम 33.2 के अनुसरण में अनुबंध में संशोधन करके अथवा किसी अन्य ढंग से, जो वह उपयुक्त समझे, एक परिवर्तन आदेश जारी करेगा। यहां तक कि यदि नियोजक और ठेकेदार परिवर्तन के लिए कीमत, समापन के लिए समय अथवा परिवर्तन प्रस्ताव के संबंध में किसी अन्य मामलों में समान समायोजन पर सहमति तक नहीं पहुंच सकते तो भी नियोजक एक ''लंबित करार परिवर्तन आदेश'' (''लंबित करार संशोधन'') जारी करके परिवर्तन पर कार्य करने के लिए ठेकेदार को निर्देश दे सकता है।

एक लंबित करार परिवर्तन आदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार तत्काल एक आदेश द्वारा शामिल परिवर्तनों को प्रभावित करके कार्यवाही कर सकता है। तदोपंरात पक्षकार परिवर्तन प्रस्ताव के तहत बकाया मामलों पर सहमति तक पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे।

यदि पक्षकार लंबित करार परिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर करार नहीं कर सकते तो मामला जी सी सी नियम 38 और 39 के प्रावधानों के अनुसार माध्यस्थ को भेजा जा सकता है।

33.3 ठेकेदार से प्राप्त परिवर्तन

33.3.1 यदि ठेकेदार जी सी सी उप नियम 33.1.2 के अनुसरण में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करता है तो ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को एक लिखित ''परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अनुरोध'' प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कारण दिए जाएंगे और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण
(ख) समापन के लिए समय का प्रभाव
(ग) परिवर्तन की अनुमानित लागत
(घ) कार्यात्मक गारंटी के प्रभाव (यदि कोई हो)
(ङ) अनुबंध के किसी अन्य प्रावधानों का प्रभाव।

परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर पक्षकार जी सी सी उप नियम 33.2.1 और 33.2.5 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। तथापि, यदि नियोजक इस पर कार्य करने का विकल्प नहीं चुनता है तो ठेकेदार को परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अनुरोध तैयार करने की लागत की वसूली करने का अधिकार होगा।

34. समापन के लिए समय का विस्तार

34.1 यदि ठेकेदार निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अनुबंध के तहत किसी बाध्यता का निष्पादन करने में विलंब करता है अथवा उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो एस सी सी में विनिर्दिष्ट समापन के लिए समय में विस्तार किया जाएगा :-

(क) जी सी सी नियम 33 में यथा प्रदत्त सुविधाओं में कोई परिवर्तन के होने पर

(ख) जी सी सी नियम 32 के यथा प्रदत्त किसी अप्रत्याशित घटना के होने पर

(ग) जी सी सी नियम 35 के तहत नियोजक द्वारा दिया गया कोई निलंबन अथवा जी सी सी उप नियम 35.2 के अनुसरण में प्रगति की दर में कटौती अथवा

(घ) जी सी सी नियम 31 में यथा प्रदत्त कानूनों और विनियमों में किसी बदलाव के होने पर अथवा

(ङ) अनुबंध में विशेष रूप से उल्लिखित कोई अन्य मामला होने पर

ऐसी अवधि के लिए, जो हर परिस्थितियों में उचित और तर्कसंगत हो और जो ठेकेदार द्वारा विलंब अथवा बाधा को उचित रूप से दर्शाया जाएगा।

34.2 अनुबंध में अन्यथा विशेष रूप से प्रदत्त ऐसे मामलों को छोड़कर, ठेकेदार परियोजना प्रबंधक के समापन के लिए समय के विस्तार के लिए एक दावे का एक नोटिस प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ ऐसी स्थिति अथवा परिस्थिति की शुरुआत के बाद यथासंभव रूप से तार्किक रूप संभव ऐसे विस्तार को न्यायोचित ठहराने वाली स्थितियों अथवा परिस्थितियों के विवरण प्रस्तुत करेगा। तर्कसंगत रूप संभव होने पर ऐसे नोटिस और दावे के समर्थन में विवरण प्राप्त होने के बाद नियोजक और ठेकेदार ऐसे विस्तार की अवधि पर सहमत होंगे। ऐसी स्थिति में जब ठेकेदार नियोजक के उचित और तर्कसंगत समय विस्तार के अनुमान को स्वीकार नहीं करता तो ठेकेदार जी सी सी उप नियम 39 के अनुसरण के माध्यस्थ के पास मामला भेजने के लिए पात्र होगा।

34.3 ठेकेदार हर समय अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी विलंब को कम करने के लिए अपने तार्किक प्रयास करेगा।

35. निलंबन (सस्पेशन)

35.1 नियोजक ठेकेदार को नोटिस देकर परियोजना प्रबंधक से यह अनुरोध कर सकता है कि वह ठेकेदार को अनुबंध के तहत उसके किसी अथवा सभी दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करे। ऐसे नोटिस में यह दायित्व उल्लिखित होगा जिसका निष्पादन निलंबित किया जाना है, उसमें निलंबन के प्रभावी होने की तारीख और उसके लिए कारण का उल्लेख होगा। ठेकेदार उसके बाद परियोजना प्रबंधक से ऐसे निष्पादन को पुन: शुरू करने के लिए लिखित में आदेश प्राप्त होने तक ऐसे दायित्वों (सिवाय ऐसे दायित्वों के, जो सुविधाओं की देख-रेख अथवा संरक्षण के लिए आवश्यक हो) के निष्पादन को निलंबित करेगा।

यदि परियोजना प्रबंधक द्वारा किए गए निलंबन आदेश के कारण, जो ठेकेदार की चूक अथवा अनुबंध के उल्लंघन के कारण से हटकर हो, ठेकेदार के किसी दायित्वों के निष्पादन को एक ऐसी अवधि, जो नब्बे (90) दिनों से अधिक की हो, के लिए निलंबित किया जा सकता है, तो उसके बाद किसी भी समय और बशर्ते कि उस समय ऐसा निष्पादन अभी भी निलंबित है, ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को एक नोटिस देकर यह मांग कर सकता है कि नियोजक नोटिस प्राप्त होने के अठाइस (28) दिनों के भीतर ऐसे निष्पादन को बहाल करने के लिए आदेश दे सकता है और उसके बाद जी सी सी नियम 33 के अनुसार परिवर्तन के लिए एक आदेश दे सकता है, जिसमें अनुबंध से निलंबित दायित्वों का निष्पादन शामिल नहीं होगा।

यदि नियोजक ऐसी अवधि के भीतर, ऐसा करने में विफल होता है तो ठेकेदार परियोजना प्रबंधक को एक और नोटिस देकर निलंबन को, जहां यह सुविधाओं के किसी एक भाग को ही प्रभावित करता है, जी सी सी नियम 33 के अनुसार ऐसे भाग को हटाया गया मान सकता है अथवा जहां यह पूरी सुविधाओं को प्रभावित करता है वहां जी सी सी उप नियम 36.1 के तहत अनुबंध की समाप्ति के रूप में माना जाएगा।

35.2 यदि ठेकेदार के दायित्वों का निष्पादन इस जी सी सी नियम 35 के अनुसरण में निलंबित किया जाता है अथवा प्रगति की दर कम की जाती है, तो समापन के समय को जी सी सी उप नियम 34.1 के अनुसार बढ़ाया जाएगा और ऐसे निलंबन अथवा कटौती के कारण ठेकेदार को हुए किसी और सभी अतिरिक्त लागतों और व्यय का भुगतान नियोजक द्वारा ठेकेदार को अनुबंध की कीमत के अतिरिक्त किया जाएगा, इसमें ठेकेदार की चूक अथवा अनुबंध के उल्लंघन के कारण प्रगति की दर में कमी अथवा निलंबन आदेश का मामला शामिल नहीं होगा।

35.3 निलंबन की अवधि के दौरान, ठेकेदार स्थल से किसी संयंत्र और उपकरण को, सुविधाओं के किसी भाग को अथवा ठेकेदार के किसी उपकरण को नियोजक की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं हटाएगा।

36. समाप्ति (टर्मिनेशन)

36.1 नियोजक की सुविधा के लिए अनुबंध की समाप्ति

36.1.1 नियोजक इस जी सी सी उप नियम 36.1 के संदर्भ में ठेकेदार को अनुबंध समाप्ति का एक नोटिस देकर किसी भी समय किसी भी कारण से अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

36.1.2 जी सी सी उप नियम 36.1.1 के तहत अनुबंध समाप्ति का नोटिस प्राप्त होने पर ठेकेदार या तो तत्काल अथवा समाप्ति के नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को:-

(क) ऐसे कार्यों को छोड़कर सभी आगे के कार्य बंद करेगा, जिनके लिए नियोजक पहले ही निष्पादित की जा चुकी सुविधाओं के उस भाग अथवा स्थल को साफ सुथरी अवस्था में छोड़ने के लिए अपेक्षित किसी कार्य के संरक्षण के एक भाग प्रयोजन के लिए, अनुबंध समाप्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) सभी उप अनुबंध समाप्त करेगा, सिवाय नीचे पैरा (घ) (ii) के अनुसरण में नियोजक को सौंपे गए कार्य को छोड़कर।

(ग) स्थल ठेकेदार के सभी उपकरण हटाएगा, ठेकेदार और उसके उप ठेकेदार के कार्मिकों को स्थल से वापस भेजेगा, कोई भी मलवा, कचरा और किसी भी प्रकार कूड़ा करकट स्थल से हटाएगा और पूरे स्थल को साफ सुथरी अवस्था में छोड़ेगा।

(घ) इसके अलावा, ठेकेदार जी सी सी उप नियम 36.1.3 में विनिर्दिष्ट भुगतान के अध्यधीन :-

(i) नियोजक को अनुबंध समाप्ति की तारीख तक ठेकेदार द्वारा निष्पादित सुविधाओं का हिस्सा सौपेंगा।

(ii) जहां तक कानूनी रूप से संभव हो सके, नियोजक को अनंबंध समाप्ति की तारीख को और ठेकेदार व उसके उप ठेकेदारों के बीच समाप्त किसी उप अनुबंधों में नियोजक को अपेक्षित सुविधाओं और संयंत्र व उपकरण के लिए ठेकेदार के सभी अधिकार, स्वामित्व और लाभ प्रदान करेगा।

(iii) ठेकेदार या इसके उप-ठेकेदारों द्वारा तैयार किए गए सभी गैर-स्वामित्व वाले चित्र, विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों के लिए नियोक्ता को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ सुविधाओं के संबंध में समाप्ति की तिथि के अनुसार।

36.1.3 जी सी सी उप नियम 36.1.1 के तहत अनुबंध की समाप्ति होने के मामले में, नियोजक ठेकेदार को निम्नलिखित धनराशि का भुगतान करेगा :-

(क) अनुबंध कीमत, जो अनुबंध समाप्ति की तारीख को ठेकेदार द्वारा निष्पादित सुविधाओं के भाग के लिए समुचित रूप से लागू।

(ख) ठेकेदार के उपकरणों को स्थल से हटाने के लिए ठेकेदार व उप ठेकेदार के व्यक्तियों को वापस भेजने में ठेकेदार द्वारा किया गया तर्कसंगत व्यय।

(ग) ठेकेदार द्वारा उसके उप ठेकेदार को किसी निरस्तीकरण प्रभार सहित किन्हीं उप अनुबंधों की समाप्ति के संबंध में भुगतान की जाने वाली कोई राशि।

(घ) ठेकेदार द्वारा जी सी सी उप नियम36.1.2 के पैरा (क) के अनुसरण में सुविधाओं के संरक्षण और स्थल को साफ सुथरी हाल में खर्च की गई राशि ।

(ङ) अनुबंध के संबंध में छोड़ने में ठेकेदार द्वारा तीसरे पक्षों से विश्वासपूर्वक किए गए सभी अन्य दायित्वों, प्रतिबद्धताओं और दावों को पूरा करने की लागत और जो उपरोक्त पैरा (क) और (घ) के द्वारा शामिल की गई।

36.2 ठेकेदार की चूक के लिए अनुबंध की समाप्ति

36.2.1 नियोजक किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार पर ध्यान दिए बिना अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक नोटिस देकर और इस जी सी सी उप नियम 36.2 के संदर्भ में ठेकेदार को इसके लिए कारण बताकर निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है।

(क) यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है अथवा अक्षम हो जाता है, उसे अपने खिलाफ आदेश प्राप्त होता है, लेनदारों से समझौता करता है, अथवा यदि ठेकेदार एक निगम है, तो उसे बंद करने के लिए पारित कोई संकल्प अथवा आदेश (विलयन अथवा पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक दिवालियापन के अलावा), इसके अधीनवर्ती अथवा इसकी परिसंपत्तियों के किसी भाग के लिए एक

प्राप्तकर्त्ता की नियुक्ति की जाती है अथवा यदि ठेकेदार ऋण के परिणामस्वरूप कोई अन्य समान कार्रवाई करता है अथवा उसका सामना करता है।

(ख) यदि ठेकेदार जी सी सी नियम 37 के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुबंध अथवा उसमें इसके किसी अधिकार अथवा हित को सौंपता है अथवा अंतरित करता है।

(ग) यदि ठेकेदार नियोजक के निर्णय में अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने तथा उसे कार्यान्वित करने में भ्रष्ट अथवा कपट नीतियों को अपनाता हो।

इस उप नियम के प्रयोजन से :

"भ्रष्ट प्रथा" अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पेश करना, उसे देना, प्राप्त करना अथवा मांगना है;

"धोखा धड़ी की प्रथा" बाहर गलत ढंग से प्रस्तुत करने सहित कोई कार्य अथवा चूक जो जानबूझकर अथवा लापरवाही से किसी पक्षकार को कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने अथवा किसी देयता से बचने के लिए भ्रम पैदा करता हो अथवा भ्रम पैदा करने का प्रयास करता हो;

"कटपूर्ण प्रथा" दो अथवा उससे अधिक प्रथाओं के बीच की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य किसी अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने सहित एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करना है;

"बलपूर्वक प्रथा" किसी पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी पक्षकार को अथवा उसकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना अथवा उसे कमजोर करना या उसे उसे नुकसान पहुंचाने अथवा कमजोर करने के लिए धमकी देना है;

"प्रतिरोधी प्रथा"

(कक) किसी पक्षकार को जांच को आगे बढ़ाने अथवा जांच से संबंधित मामलों के बारे में इसकी जानकारी को प्रकट

करने से इसे रोकने के लिए किसी पक्षकार को भ्रष्ट, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, प्रतिरोधी अथवा कपटपूर्ण प्रथा के आरोपों की जांच और/ अथवा किसी पक्षकार को धमकी देने, तंग करने आदि के आरोपों की जांच नियोजक के बारे में किए जाने में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से जांच के वास्तविक साक्ष्य को जानबूझकर नष्ट करना, उसे झूठा साबित करना, उसे बदलना अथवा उसे छुपाना तथा गलत वक्तव्य देना है ;

अथवा

(खख) ऐसी कोई कार्यवाही करना जिसका उद्देश्य नियोजक के निरीक्षण और लेखा परीक्षण संबंधी अधिकारों के उपयोग में वास्तविक रूप से बाधा पहुंचाना हो।

इसकी नीति के अनुसरण में, नियोजक किसी अनुबंध को अवार्ड किए जाने के लिए या तो अनिश्चित काल तक अथवा किसी लिखित समयावधि तक अपात्र घोषित करने सहित किसी प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को स्वीकृति देगा यदि यह किसी दिए गए समय में यह निर्धारित करता हो कि यह प्रतिष्ठान किसी अनुबंध को किए जाने अथवा उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने में प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट, कपटपूर्ण, धोखाधड़ी, बलपूर्वक अथवा प्रतिरोधी तथा प्रथाओं में लगा हुआ है।

36.2.2 यदि ठेकेदार ने

(क) अनुबंध को परित्यक्त अथवा खंडित किया है,

(ख) बिना वैध कारण के सुविधाओं पर तुरंत कार्य शुरू करने में विफल रहा है अथवा नियोजक से एक लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद अठाइस (28) दिनों से अधिक के लिए अनुबंध के निष्पादन की प्रगति निलंबित की है (जी सी सी उप नियम 35.2 के अलावा)

(ग) अनुबंध के अनुसार अनुबंध का निष्पादन करने में लगातार विफल होता है अथवा बिना किसी वैध कारण के अनुबंध के तहत उसके दायित्वों को करने में लगातार लापरवाही करता है।

(घ) जी सी सी उप नियम 14.2 के तहत प्रस्तुत कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट ढंग से सुविधाओं का निष्पादन करने और ऐसी प्रगति पर पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्रियां अथवा सेवाएं अथवा

श्रमिक प्रदान करने से इन्कार करना अथवा असमर्थ होना, जिससे कि नियोजक को समुचित आश्वासन मिलता है कि ठेकेदार समापन के लिए बढ़ाई गई अवधि तक सुविधाओं को पूरा कर सकता है।

तब नियोजक अनुबंध के तहत प्राप्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार को एक नोटिस देगा, जिसमें चूक की प्रकृति और ठेकेदार से उसे दूर करने की जरूरत का उल्लेख किया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसे नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर इसे दूर करने अथवा इसे दूर करने के लिए कदम उठाने में विफल होता है तो नियोजक इस जी सी सी उप नियम 36.2 के तहत ठेकेदार को अनुबंध समाप्त करने का नोटिस देकर तत्काल अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

36.2.3 जी सी सी उप नियम 36.2.1 अथवा 36.2.2 के तहत अनुबंध समाप्ति का नोटिस प्राप्त होने पर ठेकेदार या तो तत्काल या समाप्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को,

(क) ऐसे कार्यों को छोड़कर सभी आगे के कार्य बंद करेगा, जिनके लिए नियोजक पहले ही निष्पादित की जा चुकी सुविधाओं के उस भाग अथवा स्थल को साफ सुथरी अवस्था में छोड़ने के लिए अपेक्षित किसी कार्य के संरक्षण के एक भाग प्रयोजन के लिए, अनुबंध समाप्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) सभी उप अनुबंध समाप्त करेगा, सिवाय नीचे पैरा (घ) के अनुसरण में नियोजक को सौंपे गए कार्य को छोड़कर।

(ग) नियोजक को अनुबंध समाप्ति की तारीख तक ठेकेदार द्वारा निष्पादित सुविधाओं का हिस्सा सौपेंगा।

(घ) जहां तक कानूनी रूप से संभव हो सके, नियोजक को अनंबंध समाप्ति की तारीख को और ठेकेदार व उसके उप ठेकेदारों के बीच समाप्त किसी उप अनुबंधों में नियोजक को अपेक्षित सुविधाओं और संयंत्र व उपकरण के लिए ठेकेदार के सभी अधिकार, स्वामित्व और लाभ प्रदान करेगा।

(ङ) ठेकेदार या इसके उप ठेकेदारों द्वारा तैयार किए गए सभी गैर-स्वामित्व वाले चित्र, विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों के लिए नियोक्ता को सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ सुविधाओं के संबंध में समाप्ति की तिथि के अनुसार।

36.2.4 नियोजक स्थल का कार्य हाथ में लेकर, ठेकेदार को बाहर करके और स्वयं अथवा किसी तृतीय पक्षकार के द्वारा सुविधाओं को पूरा कर सकता है।

नियोजक उस पर ठेकेदार के किसी भी अधिकार को समाप्त कर उसका कब्जा लेकर और ठेकेदार को नियोजक के खाते से सभी अनुरक्षणों लागतों सहित एक उचित किराया दर का भुगतान करके उसका उपयोग कर सकता है और नियोजक द्वारा ऐसे उपकरण और ठेकेदार के स्वामित्व वाले ठेकेदार के उपकरण और स्थल पर सुविधाओं के लिए नियोजक द्वारा ऐसी उचित अवधि के लिए, जो वह सुविधाओं की आपूर्ति और संस्थापन के लिए आवश्यक समझे, नियोजक के द्वारा उपयोग किए गए जाने से व्यक्तियों को हानि अथवा क्षति सहित सभी देयताओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सुविधाओं के पूरा होने पर अथवा नियोजक द्वारा उपयुक्त मानी गई पहले की किसी तारीख को, नियोजक ठेकेदार को नोटिस देगा कि स्थल पर अथवा उसके समीप ठेकेदार के ऐसे उपकरण ठेकेदार को लौटा दिए जाएंगे और ठेकेदार के ऐसे उपकरण ठेकेदार को ऐसे नोटिस के अनुसार लौटाए जाएंगे। उसके बाद ठेकेदार बिना विलंब किए और अपनी लगात पर उसे स्थल से हटाएगा अथवा हटाने के लिए व्यवस्था करेगा।

36.2.5 जी सी सी उप नियम 36.2.6 के अध्यधीन ठेकेदार को अनुबंध समाप्ति की तारीख को निष्पादित सुविधाओं के लिए अनुबंध कीमत, स्थल पर संयंत्र एवं उपकरण के बिना उपयोग अथवा आंशिक उपयोग का मूल्य और सुविधाओं के संरक्षण में खर्च हुई लागत, यदि कोई हो, और स्थल को साफ सुथरी अवस्था में छोड़ने में हुए व्यय के भुगतान के लिए जी सी सी उप नियम 36.2.3 के पैरा (क) के अनुसार पात्र होगा। नियोजक पर ठेकेदार से अनुबंध समाप्ति की तारीख से पूर्व की बकाया राशि इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जाएगी।

36.2.6 यदि नियोजक सुविधाओं को पूरा करता है तो नियोजक द्वारा सुविधाओं को पूरा करने की लागत निर्धारित की जाएगी।

यदि जी सी सी उप नियम 36.2.5 के तहत ऐसी राशि, जिसके भुगतान के लिए ठेकेदार पात्र है, और सुविधाओं को पूरा करने में नियोजक द्वारा खर्च की गई तर्कसंगत लागत दोनों मिलाकर, अनुबंध की कीमत अथवा समग्र सुविधाओं, यदि समग्र सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं अथवा यदि आंशिक सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं तो आंशिक सुविधाओं के लिए कीमत अधिक हो, तो ठेकेदार ऐसी अधिक राशि के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि ऐसी अधिक राशि जी सी सी उप नियम 36.2.5 के तहत ठेकेदार पर बकाया राशि से अधिक है तो ठेकेदार नियोजक को शेष राशि का भुगतान

करेगा और यदि ऐसी अधिक राशि जी सी सी उप नियम 36.2.5 के तहत ठेकेदार पर बकाया राशि से कम है तो नियोजक ठेकेदार को शेष राशि का भुगतान करेगा। ऐसे भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए नियोजक द्वारा नियोजक के पास उपलब्ध ठेकेदार की बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी और इस अनुबंध के तहत अथवा किसी अन्य अनुबंध, जो नियोजक द्वारा ठेकेदार के साथ किया गया हो, के तहत ठेकेदार पर बकाया ऐसे अन्य भुगतानों को रख लिया जाएगा।

नियोजक और ठेकेदार उपरोक्त गणना पर और जिस तरीके से धनराशि का भुगतान किया जाना है, उस पर लिखित में सहमति देंगे।

36.3 इस जी सी सी नियम 36 में, ''निष्पादित सुविधाएं'' में निष्पादित सभी कार्य, प्रदान की गई संस्थापन सेवाएं और ठेकेदार द्वारा अर्जित और उपयोग किए गए अथवा सुविधाओं के लिए समापन की तारीख सहित तब तक उपयोग किए जाने के प्रयोजन के लिए (अथवा खरीद की कानूनी बाध्यता के अध्यधीन) सभी संयंत्र और उपकरण शामिल होंगे।

36.4 इस जी सी सी नियम 36 में, नियोजक से ठेकेदार पर बकाया किसी राशि की गुणना में अनुबंध करार के सदृश परिशिष्ट (भुगतान की शर्तें एवं प्रक्रिया) के अनुसरण में भुगतान की गई किसी अग्रिम भुगतान की राशि सहित अनुबंध के तहत ठेकेदार को नियोजक द्वारा पूर्व में भुगतान की गई किसी राशि में शामिल की जाएगी।

37. कार्य की सुपुर्दगी

37.1 न तो नियोजक और न ही ठेकेदार अन्य पक्षकार की लिखित सहमति को छोड़कर इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप में पूरा करेगा।

झ. विवादों का समाधान

38. विवादों का निपटारा

38.1 यदि नियोजक और ठेकेदार के बीच अनुबंध के संबंध में अथवा अनुबंध की वजह से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसमें इसके अस्तित्व में होने, वैध होना अथवा समाप्त होना शामिल है अथवा इन सुविधाओं को कार्यान्वित किए जाने, चाहे वह इन सुविधाओं की प्रगति के दौरान अथवा उनके पूरा होने के बाद और चाहे समाप्ति, अनुबंध का त्याग

करने अथवा उसके उल्लंघन के पूर्व में अथवा बाद में हुआ हो, के संबंध में किसी प्रश्न का पूर्व में सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना पक्षकार इस प्रकार के विवाद अथवा मतभेद को पक्षकारों द्वारा आपसी विचार विमर्श के द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से संभव सीमा तक हल करने की कोशिश की जाएगी।

38.2 यदि पक्षकार कार्यान्वयन स्थल के स्तर पर आपसी विचार विमर्श के द्वारा इस प्रकार के किसी विवाद अथवा मतभेद का समाधान नहीं कर पाते हैं तब इस विवाद को ठेकेदार द्वारा परियोजना प्रबंधक को भेजा जाएगा जो ऐसा करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए अनुरोध के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय के बारे में लिखित सूचना देगा।

38.2.1 परियोजना प्रबंधक के निर्णय/ अनुदेश को तब तक ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया गया हुआ माना जाएगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के निर्णय/ अनुदेश को तीस (30) दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए इस मामले को भेजे जाने के उसके आशय को अधिसूचित न किया गया हो।

38.2.2 परियोजना प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त तीस (30) दिनों के भीतर अपने निर्णय को अधिसूचित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार, यदि उसका उद्देश्य मध्यस्थता करने का हो तब वह परियोजना प्रबंधक को तीस (30) दिनों की प्रथमतया उल्लिखित अवधि के समाप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया हो तब यह माना जाएगा कि नियोजक और ठेकेदार के बीच कोई विवाद अथवा मतभेद नहीं है।

38.3 नियोजक और ठेकेदार के बीच किसी प्रकार विवाद अथवा मतभेद होने की स्थिति में, यदि नियोजक का उद्देश्य मध्यस्थता करना हो तब वह ठेकेदार को इस प्रकार के आशय की सूचना देगा।

39. मध्यस्थता

39.1 सभी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद, जिनके संबंध में परियोजना प्रबंधक और/ अथवा कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारी के प्रमुख का निर्णय, यदि कोई हो, अंतिम अथवा बाध्यकारी नहीं हो गया हो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तो उसका निपटारा यहां नीचे दिए गए तरीके से मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

39.2 मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा की जाएगी जिसमें ठेकेदार और नियोजक द्वारा एक–एक मध्यस्थ को नामित किया जाएगा और तीसरा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार दोनों मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा । यदि इन पक्षकारों में से कोई पक्षकार मध्यस्थता नियम को रद्द करते हुए अन्य पक्षकार से सूचना प्राप्त होने की तिथि के बाद साठ (60) दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर पाता हो तब मध्यस्थता नियम को रद्द करने वाले पक्षकार द्वारा नियुक्त किया गया मध्यस्थ इस प्रकार की मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ हो जाएगा।

39.3 मध्यस्थता की कार्यवाही और इन पक्षकारों के बीच पत्राचार तथा दस्तावेजों की भाषा अंग्रेजी होगी। इस मध्यस्थता को भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों अथवा उसके किसी सांविधिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

39.4 बहुमत से मध्यस्थों का निर्णय इन पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। उपर्युक्त में से किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा लापरवाही बरते जाने, परित्याग करने अथवा किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, संबंधित पक्षकार के लिए बाहर जाने वाले मध्यस्थ के स्थान पर एक अन्य मध्यस्थ को नामित करना विधिसम्मत होगा।

39.5 विवादों का निपटारा एवं मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के दौरान, दोनों पक्षकार इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अलग अलग दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरायी होंगे।

--- खंड - IV (जी सी सी) का समाप्ति ---